

वित्त विधेयक, 2017

खंडों का क्रम

अध्याय 1 प्रारंभिक

खंड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

अध्याय 2 आय-कर की दरें

2. आय-कर ।

अध्याय 3 प्रत्यक्ष कर आय-कर

3. धारा 2 का संशोधन ।
4. धारा 9 का संशोधन ।
5. धारा 9क का संशोधन ।
6. धारा 10 का संशोधन ।
7. धारा 10कक का संशोधन ।
8. धारा 11 का संशोधन ।
9. धारा 12क का संशोधन ।
10. धारा 12कक का संशोधन ।
11. धारा 13क का संशोधन ।
12. धारा 23 का संशोधन ।
13. धारा 35कघ का संशोधन ।
14. धारा 36 का संशोधन ।
15. धारा 40क का संशोधन ।
16. धारा 43 का संशोधन ।
17. धारा 43ख का संशोधन ।
18. धारा 43घ का संशोधन ।
19. धारा 44कक का संशोधन ।
20. धारा 44कख का संशोधन ।

खंड

21. धारा 44कघ का संशोधन ।
22. धारा 45 का संशोधन ।
23. धारा 47 का संशोधन ।
24. धारा 48 का संशोधन ।
25. धारा 49 का संशोधन ।
26. नई धारा 50गक का अंतःस्थापन ।
27. धारा 54ङग का संशोधन ।
28. धारा 55 का संशोधन ।
29. धारा 56 का संशोधन ।
30. धारा 58 का संशोधन ।
31. धारा 71 का संशोधन ।
32. धारा 79 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
33. धारा 80गगघ का संशोधन ।
34. धारा 80गगछ का संशोधन ।
35. धारा 80छ का संशोधन ।
36. धारा 80झकग का संशोधन ।
37. धारा 80झखक का संशोधन ।
38. धारा 87क का संशोधन ।
39. धारा 90 का संशोधन ।
40. धारा 90क का संशोधन ।
41. धारा 92खक का संशोधन ।
42. नई धारा 92गड का अंतःस्थापन ।
43. नई धारा 94ख का अंतःस्थापन ।
44. धारा 115खखघक का संशोधन ।
45. नई धारा 115खखछ का अंतःस्थापन ।
46. धारा 115जकक का संशोधन ।
47. धारा 115जख का संशोधन ।
48. धारा 115जघ का संशोधन ।
49. धारा 119 का संशोधन ।
50. धारा 132 का संशोधन ।
51. धारा 132क का संशोधन ।
52. धारा 133 का संशोधन ।
53. धारा 133क का संशोधन ।
54. धारा 133ग का संशोधन ।
55. धारा 139 का संशोधन ।

खंड

56. धारा 140क का संशोधन ।
57. धारा 143 का संशोधन ।
58. धारा 153 का संशोधन ।
59. धारा 153क का संशोधन ।
60. धारा 153ख का संशोधन ।
61. धारा 153ग का संशोधन ।
62. धारा 155 का संशोधन ।
63. नई धारा 194झख का अंतःस्थापन ।
64. नई धारा 194झग का अंतःस्थापन ।
65. धारा 194ञ का संशोधन ।
66. धारा 194ठक का संशोधन ।
67. धारा 194ठग का संशोधन ।
68. धारा 194ठघ का संशोधन ।
69. धारा 197क का संशोधन ।
70. धारा 204 का संशोधन ।
71. धारा 206ग का संशोधन ।
72. नई धारा 206गग का अंतःस्थापन ।
73. धारा 211 का संशोधन ।
74. धारा 234ग का संशोधन ।
75. नई धारा 234च का अंतःस्थापन ।
76. नई धारा 241क का अंतःस्थापन ।
77. धारा 244क का संशोधन ।
78. धारा 245क का संशोधन ।
79. धारा 245ढ का संशोधन ।
80. धारा 245ण का संशोधन ।
81. धारा 245थ का संशोधन ।
82. धारा 253 का संशोधन ।
83. नई धारा 269धन का अन्तःस्थापन ।
84. नई धारा 271घक का संशोधन ।
85. धारा 271च का संशोधन ।
86. नई धारा 271ञ का अंतःस्थापन ।
87. धारा 273ख का संशोधन ।

अध्याय 4
अप्रत्यक्ष कर
सीमाशुल्क

88. धारा 2 का संशोधन ।
89. धारा 7 का संशोधन ।
90. धारा 17 का संशोधन ।
91. धारा 27 का संशोधन ।
92. धारा 28ड का संशोधन ।
93. धारा 28च के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
94. धारा 28छ का लोप ।
95. धारा 28ज का संशोधन ।
96. धारा 28झ का संशोधन ।
97. नई धारा 30क का अंतःस्थापन ।
98. नई धारा 41क का अंतःस्थापन ।
99. धारा 46 का संशोधन ।
100. धारा 47 का संशोधन ।
101. धारा 49 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
102. धारा 69 का संशोधन ।
103. धारा 82 का लोप ।
104. धारा 84 का संशोधन ।
105. धारा 127ख का संशोधन ।
106. धारा 127ग का संशोधन ।
107. धारा 157 का संशोधन ।

सीमाशुल्क टैरिफ

108. धारा 9 का संशोधन ।
109. पहली अनुसूची का संशोधन ।
110. दूसरी अनुसूची का संशोधन ।

उत्पाद-शुल्क

111. धारा 23क का संशोधन ।
112. धारा 23ख का लोप ।
113. धारा 23ग का संशोधन ।
114. धारा 23घ का संशोधन ।
115. नई धारा 23झ का अंतःस्थापन ।
116. धारा 32ड का संशोधन ।
117. धारा 32च का संशोधन ।

खंड

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

118. पहली अनुसूची का संशोधन ।
119. पहली अनुसूची में की कतिपय प्रवि-टियों का भूतलक्षी रूप से संशोधन ।

**अध्याय 5
सेवा कर**

120. धारा 65ख का संशोधन ।
121. धारा 66घ का संशोधन ।
122. धारा 96क का संशोधन ।
123. धारा 96ख का लोप ।
124. धारा 96ग का संशोधन ।
125. धारा 96घ का संशोधन ।
126. नई धारा 96जक का अंतःस्थापन ।
127. नई धारा 104 और नई धारा 105 का अंतःस्थापन ।
128. सेवा कर (मूल्य अवधारण) नियम, 2006 के नियम 2क का भूतलक्षी रूप से संशोधन ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

भाग 1

भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 का संशोधन

129. इस भाग का प्रारंभ ।
130. 1882 के अधिनियम सं. 2 की धारा 20 का संशोधन ।

भाग 2

भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का संशोधन

131. इस भाग का प्रारंभ ।
132. 1898 के अधिनियम सं. 6 की धारा 7 का संशोधन ।

भाग 3

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का संशोधन

133. इस भाग का प्रारंभ ।
134. 1934 के अधिनियम सं. 2 की धारा 31 का संशोधन ।

भाग 4

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का संशोधन

135. इस भाग का प्रारंभ ।
136. 1951 के अधिनियम सं. 43 की धारा 29ग का संशोधन ।

खंड

भाग 5

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 का संशोधन

137. इस भाग का प्रारंभ ।
138. 1974 के अधिनियम सं. 47 की धारा 18 का संशोधन ।

भाग 6

अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 का निरसन

139. इस भाग का प्रारंभ ।
140. 1986 के अधिनियम सं. 32 का निरसन ।
141. व्यावृत्ति ।
142. शुल्कों की बकाया का संग्रहण और संदाय ।

भाग 7

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 का संशोधन

143. इस भाग का प्रारंभ ।
144. 1992 के अधिनियम सं. 15 का संशोधन ।
145. अध्याय 6ख का संशोधन ।

भाग 8

वित्त अधिनियम, 2005 का संशोधन

146. 2005 के अधिनियम सं. 18 का संशोधन ।

भाग 9

संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 का संशोधन

147. इस भाग का प्रारंभ ।
148. 2007 के अधिनियम सं. 51 का संशोधन ।
149. धारा 38 का संशोधन ।

भाग 10

वित्त अधिनियम, 2016 का संशोधन

150. 2016 के अधिनियम सं. 28 का संशोधन ।
पहली अनुसूची ।
दूसरी अनुसूची ।
तीसरी अनुसूची ।
चौथी अनुसूची ।
पांचवीं अनुसूची ।
छठी अनुसूची ।
सातवीं अनुसूची ।

[दि फाइनेंस बिल, 2017 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2017

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए केन्द्रीय सरकार
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2017 है ।
- 5 (2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 87 तक 1 अप्रैल, 2017 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2017 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण
10 वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा आय-कर ।
में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारित की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—

- 15 (क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :—

- 20 (i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

- 25 (iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी ;

परंतु यह कि पहली अनुसूची के भाग I के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष का या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “तीन लाख रुपए” शब्द रखे गए हों :

- 30 परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रुपए” शब्द रखे गए हों ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 115जग या अध्याय 12चक या अध्याय 12खक या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में यथा उपबंधित रीति से, और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा :

5

परंतु धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ और पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा:

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखघक, धारा 115खखच, धारा 115ङ, धारा 115जख या धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य 10 है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से 15 अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ; 20

(घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

25

परंतु यह भी कि उपरोक्त (क) और (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन 30 कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन 35 कर से प्रभार्य है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखड की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम का, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

40

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 115ण या धारा 115थक या धारा 115द की उपधारा (2) या धारा 115नक या धारा 115नघ के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, वहां, कर उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उसमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उन मामलों में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

45

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 192क, धारा 194ग, धारा 194घक, धारा 194ङ, धारा 194ङड, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194झक, धारा 194झख, धारा 194झग, धारा 194ज, 50

धारा 194ठक, धारा 194ठख, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग, धारा 194ठग, धारा 194ठघ, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन, काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उसमें,—

- (क) प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,
- 5 (i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए पचास लाख रुपए से अधिक है, किन्तु एक करोड़ रुपए से कम है ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;
- (ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;
- (ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए
- 10 संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;
- (ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—
- (i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;
- 15 (ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

- (7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उन दशाओं में, जहां कहीं विहित किया
- 20 गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें,—

- (क) प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—
- 25 (i) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से कम है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;
- (ii) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;
- (ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम
- 30 या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;
- (ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—
- (i) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;
- (ii) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर
- 35 के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

- (9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य
- 40 आय में से काटा जाना है, या उस पर संदत्त किया जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय “अग्रिम कर” की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर”, पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 115जग

45 या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, “अग्रिम कर” की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रतिनिर्देश से की जाएगी :

परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित “अग्रिम कर” की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ और पैरा ङ में यथा उपबंधित

50 अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखघक, धारा 115खखड, धारा 115खखच, धारा 115ड, धारा 115जख या धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परंतुक के अधीन संगणित “अग्रिम कर” में,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, 5

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है किंतु एक करोड़ रुपए से कम है, ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ; 10

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के सात प्रतिशत की दर से ; 15

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के बारह प्रतिशत की दर से ;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के पांच प्रतिशत की दर से, 20

परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उपरोक्त (क) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में जिनकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य हैं और ऐसी आय,—

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है किन्तु एक करोड़ से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय और उस पर अधिभार की कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी जो पचास लाख रुपए से अधिक है ; 25

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय और उस पर अधिभार की कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है : 30

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है : 35

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है : 40

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखड की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य पहले परंतुक के अधीन संगणित “अग्रिम कर” को ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय “अग्रिम कर” की संगणना करने में,— 45

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, केवल यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रूपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात्:—

- 5 (i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो;
- (ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रूपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;
- 10 (iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या “अग्रिम कर” होगी :

परंतु ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध 15 ऐसे प्रभावी होंगे मानो “दो लाख पचास हजार रूपए” शब्दों के स्थान पर, “तीन लाख रूपए” शब्द रखे गए हों:

परंतु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो “दो लाख पचास हजार रूपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रूपए” शब्द रखे गए हों :

परंतु यह भी कि इस प्रकार संकलित आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम पर, प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार, 20 उसमें उपबंधित रीति में, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(11) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर दो प्रतिशत की दर से परिकलित “आय-कर पर शिक्षा उपकर” नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की 25 प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय को देशी कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संदत्त किया जाता है ।

30 (12) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर एक प्रतिशत की दर से परिकलित “आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर” नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

35 परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय को देशी कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संदत्त किया जाता है ।

(13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

40 (क) “देशी कंपनी” से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2017 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेरों पर लाभांश भी हैं) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए विहित इंतजाम कर लिए हैं ;

45 (ख) “बीमा कमीशन” से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, “शुद्ध कृषि-आय” से, पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

50 (घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन। 3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (42क) में,—

(क) [वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 3 द्वारा यथा अंतःस्थापित] तीसरे परंतुक में, “(जो भारत में किसी 5 2016 का 28 मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयर नहीं है)” शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात् “या कोई स्थावर संपत्ति जो भूमि या भवन या दोनों हों” शब्द 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) में,—

(अ) उपखंड (जड) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(जच) किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो किसी कंपनी का साधारण शेयर है, धारा 47 के खंड (ख) 10 में निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो गई है, वहां वह कालावधि, जिसके लिए निर्धारिती द्वारा अधिमानी शेयर धारित किए गए थे, सम्मिलित कर ली जाएगी।”;

(आ) इस प्रकार अंतःस्थापित उपखंड (जच) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(जछ) किसी ऐसी पूंजी आस्ति, जो कोई यूनिट या यूनिटें हैं, की दशा में, जो धारा 47 के खंड (खि) में 15 निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो जाती है, वह कालावधि, जिसके लिए पारस्परिक निधि स्कीम की समेकित योजना में यूनिट या यूनिटें निर्धारिती द्वारा धारित की गई थीं, सम्मिलित कर ली जाएगी ;”।

धारा 9 का संशोधन। 4. आय-कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में, स्पष्टीकरण 5 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2012 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :— 20

“स्पष्टीकरण 5क—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि स्पष्टीकरण 5 में अंतर्विष्ट कोई बात, उसमें उल्लिखित किसी ऐसी आस्ति या पूंजी आस्ति को लागू नहीं होगी, जो किसी अनिवासी द्वारा धारा 115कघ के स्पष्टीकरण के खंड (क) में यथा निर्दिष्ट किसी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) 1992 का 15 विनियम, 2014 के अधीन प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, में प्रत्यक्षतः 25 या अप्रत्यक्षतः विनिधान के माध्यम से धारित की जाती है।”।

धारा 9क का संशोधन। 5. आय-कर अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (3) के खंड (ज) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसी निधि को लागू नहीं होगी जिसका परिसमापन पूर्ववर्ष में हो गया था ;”। 30

धारा 10 का संशोधन। 6. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) खंड (4) के उपखंड (ii) के परंतुक में, “खंड (थ)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर, “खंड (ब)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2013 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) खंड (12क) [वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 7 द्वारा यथा अंतःस्थापित] के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— 35

“(12ख) राष्ट्रीय पेंशन स्कीम न्यास से किसी कर्मचारी को धारा 80गघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार उसके खाते से आंशिक रूप से रकम निकाले जाने पर कोई संदाय, उस परिमाण तक, जो उसके द्वारा किए गए अभिदायों की रकम के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो ;”;

(ग) खंड (23ग) में,— 40

(I) उपखंड (iiiककक) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1998 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“(iiiकककक) धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (iiiजच) में यथानिर्दिष्ट किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में मुख्यमंत्री सहायता निधि या उप राज्यपाल सहायता निधि ; या”;

(II) ग्यारहवें परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vik) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था की आय में से धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था के पास जमा की गई या संदत्त किसी रकम को, जो ऐसा स्वैच्छिक अभिदाय है जिसे इस विनिर्दिष्ट निदेश के साथ किया गया है कि वह न्यास या संस्था की समग्र निधि का भाग बनेगा, उन उद्देश्यों के प्रति आय के उपयोग के रूप में नहीं समझा जाएगा, जिनके लिए, यथास्थिति, ऐसी निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था को स्थापित किया गया है ;”;

(घ) खंड (37) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“(37क) किसी निर्धारिती, जो एक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है और जो 2 जून, 2014 को ऐसी विनिर्दिष्ट पूंजी आस्ति का स्वामी है और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2014 और उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों और स्कीमों के उपबंधों के अधीन बनाई गई आंध्र प्रदेश राजधानी नगर लैंड पूलिंग स्कीम (तैयार करना और कार्यान्वयन) नियम, 2015 के अंतर्गत आने वाली लैंड पूलिंग स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् “स्कीम” कहा गया है) के अधीन ऐसी विनिर्दिष्ट पूंजी आस्ति का अंतरण करता है, को विनिर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण की बाबत उद्भूत होने वाले “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोई आय।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट पूंजी आस्ति” से अभिप्रेत है,—

(क) 2 जून, 2014 को निर्धारिती के स्वामित्वाधीन भूमि या भवन या दोनों और जिसे स्कीम के अधीन अंतरित कर दिया गया है ; या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट भूमि या भवन या दोनों की बाबत निर्धारिती को स्कीम के अधीन जारी लैंड पूलिंग स्वामित्व प्रमाणपत्र ; या

(ग) स्कीम के अनुसार उपखंड (क) में निर्दिष्ट भूमि या भवन या दोनों के बदले में निर्धारिती द्वारा प्राप्त, यथास्थिति, पुनःगठित भूखंड या भूमि, यदि इस प्रकार प्राप्त, यथास्थिति, ऐसा भूखंड या भूमि का उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष के भीतर अंतरण कर दिया जाता है, जिसमें ऐसे भूखंड या भूमि का कब्जा उसे सौंपा गया था ;”;

(ड) खंड (38) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् और [वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 7 द्वारा यथा अंतःस्थापित] स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात, दीर्घकालिक पूंजी आस्ति, जो किसी कंपनी में साधारण शेयर है, के अंतरण से उद्भूत होने वाली किसी आय को लागू नहीं होगी यदि ऐसे साधारण शेयर का, इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अर्जन से भिन्न अर्जन का संव्यवहार, 1 अक्टूबर, 2004 को या उसके पश्चात् किया गया है और ऐसा संव्यवहार वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 के अधीन प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभार्य नहीं है।”;

(च) खंड (48क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(48ख) किसी विदेशी कंपनी को, उपखंड (48क) में निर्दिष्ट करार या ठहराव के अवसान के पश्चात् भारत में सुविधा से ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाएं, अपरिष्कृत तेल के बचे हुए स्टाक, यदि कोई हो, के विक्रय के मद्दे प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली कोई आय;”।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 10कक की उपधारा (1) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2018 से, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के अधीन कटौती की रकम, इस धारा के उपबंधों को प्रभावी करने से पूर्व, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित निर्धारिती की कुल आय से अनुज्ञात की जाएगी और इस धारा के अधीन कटौती, निर्धारिती की ऐसी कुल आय से अधिक नहीं होगी।”।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (घ) के नीचे स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, 1 अप्रैल, 2018 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 2— धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य न्यास या संस्था, इस विनिर्दिष्ट निदेश के साथ कि वे न्यास या संस्था की समग्र निधि का भाग बनेंगे, के पास, स्पष्टीकरण 1 के साथ पठित खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट आय में से जमा की गई या संदत्त किसी रकम को, जो ऐसा अभिदाय है, पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के प्रति आय के उपयोग के रूप में नहीं समझा जाएगा।”।

धारा 12क का संशोधन ।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2018 से,—

(i) खंड (कक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(कख) उस दशा में, जहां किसी न्यास या किसी संस्था को धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है या जिसने धारा 12क [जैसी यह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 द्वारा संशोधन से पूर्व थी] के अधीन किसी समय रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है और तत्पश्चात् उसने उद्देश्यों के ऐसे उपांतरण अंगीकृत किए हैं या उनमें उपांतरण किए हैं जो रजिस्ट्रीकरण की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं, आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए विहित प्ररूप और विहित रीति में उक्त अंगीकरण या उपांतरण की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रधान आयुक्त या आयुक्त को आवेदन किया है और ऐसा न्यास या संस्था धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;”;

1996 का 33

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(खक) आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने धारा 139 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अनुसार पूर्ववर्ष के लिए आय-कर की विवरणी उस धारा के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर दे दी है।”।

धारा 12कक का संशोधन ।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 12कक में, 1 अप्रैल, 2018 से,—

(क) उपधारा (1) में, “खंड (कक)” शब्द, कोष्ठक और अक्षरों के पश्चात् “या खंड (कख)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, “खंड (कक)” शब्द, कोष्ठक और अक्षरों के पश्चात् “या खंड (कख)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 13क का संशोधन ।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 13क में, 1 अप्रैल, 2018 से,—

(I) पहले परंतुक के —

(i) खंड (ख) में,—

(अ) “प्रत्येक ऐसे स्वैच्छिक अभिदाय” शब्दों के पूर्व, “निर्वाचन बंधपत्र द्वारा अभिदाय से भिन्न” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) खंड (ख) के अंत में आने वाले “और” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ग) के अंत में “और” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(iii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) ऐसे राजनैतिक दल द्वारा किसी बैंक पर देय पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले खाते में बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रानिक निकासी पद्धति के उपयोग या निर्वाचन-बंधपत्र के माध्यम से भिन्न रूप में दो हजार रुपए से अधिक का दान प्राप्त नहीं किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिए,— “निर्वाचन-बंधपत्र” से ऐसा बंधपत्र अभिप्रेत है, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 31 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट है।।

1934 का 2

(II) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि ऐसा राजनैतिक दल, धारा 139 की उपधारा (4ख) के उपबंधों के अनुसार उस धारा के अधीन नियत तारीख को या उसके पूर्व, पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करे ।”।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 23 में, उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(5) जहां किसी भवन या उससे संलग्न भूमि को समाविष्ट करने वाली कोई संपत्ति या संपत्ति के भाग व्यापार स्टाक के रूप में धारित किए जाते हैं और संपत्ति या संपत्ति का कोई भाग संपूर्ण पूर्ववर्ष या उसके किसी भाग के दौरान किराए पर नहीं दिया जाता है, वहां ऐसी संपत्ति या संपत्ति के भाग का वार्षिक मूल्य उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की अवधि तक के लिए जिसमें सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त संपत्ति के सन्निर्माण का समापन प्रमाणपत्र प्राप्त होता है, शून्य के रूप में किया जाएगा ।”।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ की उपधारा (8) के खंड (च) में “सम्मिलित नहीं होगा” शब्दों के पश्चात्, “जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को किसी एक दिवस में किसी बैंक पर आहरित किसी खाते में देय चेक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रानिक प्रणाली का उपयोग करके संदाय करने से भिन्न ऐसा कोई संदाय या कुल संदाय किए जाते हैं, जो दस हजार रुपए से अधिक है,” शब्द 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 35कघ का संशोधन ।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (vii) के उपखंड (क) में, “साढ़े सात प्रतिशत” धारा 36 का संशोधन। शब्दों के स्थान पर, “साढ़े आठ प्रतिशत” शब्द 1 अप्रैल, 2018 से रखे जाएंगे।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 40क में, —

धारा 40क का संशोधन।

5 (क) उपधारा (2) के खंड (क) के परन्तुक में “परन्तुक” शब्द के पश्चात् “1 अप्रैल, 2016 को या उसके पूर्व प्रारम्भ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए” अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) 1 अप्रैल, 2018 से,—

10 (अ) उपधारा (3) में, “बीस हजार रुपए से अधिक राशि के बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न” शब्दों के स्थान पर, “दस हजार रुपए से अधिक राशि के बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक निकासी पद्धति के उपयोग से भिन्न” शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) उपधारा (3क) में,—

(i) “पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट” शब्दों के पश्चात्, “या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक निकासी पद्धति के उपयोग” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) “बीस” शब्द के स्थान पर, “दस” शब्द रखा जाएगा ;

15 (iii) पहले परन्तुक में, “बीस हजार रुपए से अधिक राशि के बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न” शब्दों के स्थान पर “दस हजार रुपए से अधिक राशि के बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक निकासी पद्धति के उपयोग से भिन्न” शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) दूसरे परन्तुक में, “बीस” शब्द के स्थान पर, “दस” शब्द रखा जाएगा ;

20 (इ) उपधारा (4) में,—

(i) “पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट” शब्दों के पश्चात्, “या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक निकासी पद्धति के उपयोग” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) “ऐसे चेक या ड्राफ्ट” शब्दों के पश्चात्, “या बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक निकासी पद्धति” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

25 16. आय-कर अधिनियम की धारा 43 में, 1 अप्रैल, 2018 से,—

धारा 43 का संशोधन।

(क) परन्तुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

30 “परन्तु यह और कि जहां निर्धारिती किसी ऐसी आस्ति या उसके भाग के अर्जन के लिए कोई व्यय उपगत करता है, जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को किसी एक दिवस में किसी बैंक पर आहरित किसी खाते में देय चेक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली का उपयोग करके संदाय करने से भिन्न ऐसा कोई संदाय या कुल संदाय किए जाते हैं, जो दस हजार रुपए से अधिक है, वहां ऐसे व्यय की वास्तविक लागत को अवधारण के प्रयोजनों के लिए छोड़ दिया जाएगा।”;

(ख) स्पष्टीकरण 13 में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

35 “परन्तु जहां कोई आस्ति जिसकी बाबत धारा 35कघ के अधीन अनुज्ञात कटौती या कटौती के भाग को उक्त धारा की उपधारा (7ख) के उपबंधों के अनुसार निर्धारिती की आय समझा जाता है वहां निर्धारिती की आस्ति की वास्तविक लागत, निर्धारिती की ऐसी वास्तविक लागत होगी जैसी कि वह प्रवृत्त दर पर संगणित अवक्षयण की रकम के बराबर रकम तक घटाई गई हो जो अनुज्ञेय होती यदि आस्ति का उपयोग इसके अर्जन की तारीख से कारबार के प्रयोजनों के लिए किया गया होता।”।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 43ख में, 1 अप्रैल, 2018 से,—

धारा 43ख का संशोधन।

40 (i) खंड (ड) में, “अनुसूचित बैंक” शब्दों के पश्चात्, “या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण 4 के खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) “सहकारी बैंक”, “प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी” और “प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक” के वही अर्थ होंगे, जो धारा 80त की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में क्रमशः उनके हैं।”।

धारा 43घ का संशोधन ।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 43घ में, 1 अप्रैल, 2018 से,—

(i) खंड (क) में, “अनुसूचित बैंक या” शब्दों के पश्चात्, “किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक या” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) दीर्घ पंक्ति में, “अनुसूचित बैंक या” शब्दों के पश्चात्, “किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक या” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ; 5

(iii) स्पष्टीकरण के खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(छ) “सहकारी बैंक”, “प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी” और “प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक” के वही अर्थ होंगे, जो धारा 80त की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में क्रमशः उनके हैं ।”

धारा 44कक का संशोधन ।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 44कक की उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 10

‘परंतु किसी व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब है, की दशा में, खंड (i) और खंड (ii) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “एक लाख बीस हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्द रख दिए गए हों :

परंतु यह और कि किसी व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब है, की दशा में, खंड (i) और खंड (ii) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “दस लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर “पच्चीस लाख रुपए” शब्द रख दिए गए हों ।’ 15

धारा 44कघ का संशोधन ।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ में, —

(i) पहले परंतुक से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह धारा उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो धारा 44कघ की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार पूर्ववर्ष के लिए लाभों और अभिलाभों की घोषणा करता है और कारबार में उसकी, यथास्थिति, कुल विक्रय, आवर्त या 20 सकल प्राप्तियां दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं हैं :”;

(ii) पहले परंतुक में “परंतु” शब्द के स्थान पर “परंतु यह और कि” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) दूसरे परंतुक में “परंतु यह और कि” शब्दों के स्थान पर “परंतु यह भी कि” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 44कघ का संशोधन ।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 25

‘परंतु यह उपधारा इस प्रकार प्रभावी होगी मानो कुल आवर्त या सकल प्राप्तियों की उस रकम की बाबत जिसे किसी पूर्ववर्ष के दौरान या धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट निश्चित तारीख से पूर्व उस पूर्ववर्ष के संबंध में किसी खाते में देय चेक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली का उपयोग करके प्राप्त किया गया है वहां “आठ प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “छह प्रतिशत” शब्द रखे गए हों ।’

धारा 45 का संशोधन ।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (5) और उसके स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित 30 उपधारा 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

‘(5क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी विनिर्दिष्ट करार के अधीन ऐसी किसी पूंजी आस्ति, जो भूमि या भवन या दोनों है, के अंतरण से, किसी ऐसे निर्धारिती को, जो व्यक्ति है या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, को पूंजी अभिलाभ उद्भूत होता है, वहां पूंजी अभिलाभ, उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगा, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपूर्ण परियोजना या उसके भाग के लिए समापन प्रमाणपत्र जारी किया जाता है ; और 35 धारा 48 के प्रयोजनों के लिए, नकद रूप में प्रतिफल, यदि कोई हो, द्वारा हुई वृद्धि के अनुसार परियोजना में उसे शेयर, जो भूमि या भवन या दोनों हैं, उक्त प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख को स्टाम्प शुल्क मूल्य पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाएगा :

परंतु इस उपधारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे, जहां निर्धारिती उक्त समापन प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख को या उससे पहले परियोजना में अपने शेयर का अंतरण करता है और पूंजी अभिलाभ उस पूर्ववर्ष की आय 40 समझे जाएंगे, जिसमें ऐसा अंतरण हुआ था, इस उपधारा के उपबंधों से भिन्न इस अधिनियम के उपबंध ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के अवधारण के प्रयोजन को लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “सक्षम प्राधिकारी” पद से तत्समय प्रवृत्त किसी भवन योजना को अनुमोदित करने के लिए सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ii) “विनिर्दिष्ट करार” पद से ऐसा रजिस्ट्रीकृत करार अभिप्रेत है जिसमें भूमि या भवन या दोनों का स्वामित्व रखने वाला व्यक्ति, ऐसे किसी शेयर, जो ऐसी परियोजना में भूमि या भवन या दोनों हैं, के प्रतिफलस्वरूप, चाहे वह नकद रूप में प्रतिफल के भाग के संदाय सहित या रहित हो, ऐसी भूमि या भवन पर भू-संपदा परियोजना विकसित करने के लिए एक अन्य व्यक्ति को अनुज्ञात करने का करार करता है ;

5 (iii) “स्टाम्प शुल्क मूल्य” पद से ऐसा मूल्य अभिप्रेत है जिसे स्थावर संपत्ति, जो भूमि या भवन है या दोनों की बाबत स्टाम्प शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत किया गया है या निर्धारित किया गया है या उसके द्वारा निर्धारणीय है ।’

23. आय-कर अधिनियम की धारा 47 में, 1 अप्रैल, 2018 से,—

धारा 47 का संशोधन ।

(क) खंड (viiक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

10 “(viiकक) किसी अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी को भारत के बाहर किया गया पूंजी आस्ति का, जो भारतीय कंपनी के भारत के बाहर निर्गमित किए गए रूप में अंकित किए गए बंधपत्र हैं, कोई अंतरण ;”;

(ख) खंड (xक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“ (xख) किसी कंपनी के अधिमानी शेयरों का उस कंपनी के साधारण शेयरों में संपरिवर्तन के माध्यम से कोई अंतरण;” ।

15 24. आय-कर अधिनियम की धारा 48 में, 1 अप्रैल, 2018 से,—

धारा 48 का संशोधन ।

(क) पांचवें परंतुक में, “उसके द्वारा अभिदत्त” शब्दों के स्थान पर, “उसके द्वारा धारित” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण में, खंड (iii) में, “1 अप्रैल, 1981” अंकों और शब्द के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2001” अंक और शब्द, रखे जाएंगे ।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 49 में,—

धारा 49 का संशोधन ।

20 (क) उपधारा (1) के खंड (iii) के उपखंड (ड) में “खंड (viख)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर के पश्चात् “या खंड (viग)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2कघ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

25 “(2कड) जहां कोई पूंजी आस्ति, जो किसी कंपनी का साधारण शेयर है, धारा 47 के खंड (xख) में निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो गई है, वहां आस्ति के अर्जन की लागत को ऐसे अधिमानी शेयर की लागत का ऐसा भाग समझा जाएगा, जिसके संबंध में निर्धारिती द्वारा ऐसी आस्ति अर्जित की गई है ।”;

(ग) इस प्रकार अंतःस्थापित उपधारा (2कड) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

30 “(2कच) जहां कोई पूंजी आस्ति, किसी पारस्परिक निधि स्कीम की समेकित योजना में की कोई यूनिट या यूनिटें हैं, धारा 47 के खंड (xix) में निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो गई है, वहां आस्ति के अर्जन की लागत को पारस्परिक निधि स्कीम की समेकित योजना में यूनिट या यूनिटों के उसे अर्जित होने की लागत समझा जाएगा;”;

(घ) उपधारा (4) में, “या खंड (viiक)” शब्दों, कोष्ठक, अंकों और अक्षर के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, “या खंड (x)” शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

2016 का 28

35 (ड) उपधारा (5) [वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 30 द्वारा यथा अंतःस्थापित] के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

40 “(6) जहां पूंजी अभिलाभ किसी ऐसी आस्ति के, जो धारा 10 के खंड (37क) के स्पष्टीकरण के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट है, जिसका उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अंतरण किया गया है, जिसमें ऐसी आस्ति का कब्जा निर्धारिती को सौंपा गया था, अंतरण से उद्भूत होता है, वहां ऐसी विनिर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अर्जन की लागत को उस वित्तीय वर्ष, जिसमें उक्त विनिर्दिष्ट पूंजी आस्ति का कब्जा निर्धारिती को सौंपा गया था, की समाप्ति के पश्चात् दूसरे वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को उसका स्टांप शुल्क मूल्य समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, “स्टांप शुल्क मूल्य” से किसी स्थावर संपत्ति की बाबत स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है ।

(7) जहां पूंजी अभिलाभ, ऐसी पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत होता है, जो धारा 45 की उपधारा (5क) में यथा निर्दिष्ट भूमि या भवन या दोनों के रूप में ऐसी परियोजना में के शेयर हैं, जो उक्त उपधारा के परंतुक में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति नहीं है, वहां ऐसी आस्ति के अर्जन की लागत वह रकम होगी, जिसे उस उपधारा में प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा गया है।”;

(च) इस प्रकार अंतःस्थापित उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 जून, 5 2016 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

“(8) जहां पूंजी अभिलाभ किसी ऐसी आस्ति के, जो किसी न्यास या किसी संस्था, जिसके संबंध में अनुवर्धित आय संगणित की गई हो और उस पर अध्याय 12डख के उपबंधों के अनुसार कर का संदाय कर दिया गया हो, द्वारा धारित आस्ति हो, वहां ऐसी आस्ति के अर्जन की लागत उस आस्ति का उचित बाजार मूल्य समझा जाएगा, जिसे धारा 115नघ की उपधारा (2) के प्रतिनिर्देश से विनिर्दिष्ट तारीख को अनुवर्धित आय की संगणना के लिए 10 हिसाब में लिया गया है।”।

नई धारा 50गक का अंतःस्थापन।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 50ग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कोट किए गए शेयर से भिन्न शेयर के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य हेतु विशेष उपबंध।

“50गक. जहां निर्धारित द्वारा किसी पूंजीगत आस्ति के, जो किसी कंपनी के कोट किए गए शेयर से भिन्न शेयर हैं, अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अवधारित ऐसे शेयर के 15 उचित बाजार मूल्य से कम है, तो इस प्रकार अवधारित मूल्य, धारा 48 के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “कोट किए गए शेयर” से, जहां ऐसे शेयर का कुटेशन कारबार के सामान्य अनुक्रम में किए गए चालू संव्यवहार पर आधारित है, वहां समय-समय पर नियमितता के साथ किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर कोट किया गया शेयर अभिप्रेत है।”। 20

धारा 54डग का संशोधन।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 54डग की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण में खंड (खक) में, “या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी रूल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी रूल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा या इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य बंधपत्र द्वारा” शब्द और अंक, 1 अप्रैल, 2018 से रखे जाएंगे। 25

1956 का 1

1956 का 1

धारा 55 का संशोधन।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 55 में, 1 अप्रैल, 2018 से,—

(अ) उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (2) की मद (i) में, “1 अप्रैल, 1981” अंकों और शब्द के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2001” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) उपधारा (2) के खंड (ख) में, “1 अप्रैल, 1981” अंकों और शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, “1 अप्रैल, 2001” अंक और शब्द रखे जाएंगे। 30

धारा 56 का संशोधन।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में, —

(I) खंड (vii) में, “1 अक्टूबर, 2009 को या उसके पश्चात्” अंकों और शब्दों के पश्चात्, “किन्तु 1 अप्रैल, 2017 से पूर्व” अंक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(II) खंड (viii) में, “1 जून, 2010 को या उसके पश्चात्” अंकों और शब्दों के पश्चात्, “किन्तु 1 अप्रैल, 2017 से पूर्व” अंक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ; 35

(III) खंड (ix) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(x) जहां कोई व्यक्ति पूर्ववर्ष में 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात्,—

(क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से, बिना प्रतिफल के ऐसी धनराशि प्राप्त करता है, जिसका कुल मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां ऐसी राशि का समग्र कुल मूल्य ;

(ख) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से,— 40

(अ) बिना प्रतिफल के ऐसी स्थावर संपत्ति प्राप्त करता है, जिसके स्टांप शुल्क का मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां ऐसी संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य ;

(आ) प्रतिफल के लिए ऐसी स्थावर संपत्ति प्राप्त करता है, जो संपत्ति के स्टांप शुल्क मूल्य से उतनी रकम से कम है, जो पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां ऐसी संपत्ति का उतना स्टांप शुल्क मूल्य, जो ऐसे प्रतिफल से अधिक है : 45

परंतु जहां स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल की रकम को नियत करने वाले करार की तारीख और उसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख एक समान नहीं है, वहां करार की तारीख को स्टांप शुल्क मूल्य इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए विचार में लिया जा सकेगा :

5 परंतु यह और कि पहले परंतुक का उपबंध केवल उस दशा में लागू होगा, जहां ऐसी स्थावर संपत्ति का अंतरण के लिए करार की तारीख को या उससे पूर्व उसमें निर्दिष्ट प्रतिफल की रकम या उसके किसी भाग को खाते में संदेय चेक या किसी बैंक ड्राफ्ट द्वारा या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक निकासी प्रणाली का उपयोग करते हुए संदत्त किया गया है :

10 परंतु यह भी कि जहां स्थावर संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य धारा 50ग की उपधारा (2) में उल्लिखित आधारों पर निर्धारिती द्वारा विवादित है, वहां निर्धारण अधिकारी ऐसी संपत्ति के मूल्यांकन को मूल्यांकन अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा और धारा 50ग तथा धारा 155 की उपधारा (15) के उपबंध, यथाशक्य इस उपखंड के प्रयोजन के लिए ऐसी संपत्ति के स्टांप शुल्क मूल्य के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे कि वे उन धाराओं के अधीन पूंजी आस्ति के मूल्यांकन के लिए लागू होते हैं ;

(ग) स्थावर संपत्ति से भिन्न कोई संपत्ति—

15 (अ) बिना प्रतिफल के, जिसका कुल उचित बाजार मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां ऐसी संपत्ति के कुल उचित बाजार मूल्य का समग्र मूल्य ;

(आ) प्रतिफल के लिए, जो संपत्ति के समग्र कुल उचित बाजार मूल्य से पचास हजार रुपए से अधिक की रकम से कम है, वहां ऐसी संपत्ति का वह समग्र उचित बाजार मूल्य, जो ऐसे प्रतिफल से अधिक है :

परंतु यह खंड,—

- 20 (I) किसी नातेदार से ; या
- (II) व्यक्ति के विवाह के अवसर पर ; या
- (III) वसीयत के अधीन या उत्तराधिकार के माध्यम से ; या
- (IV) यथास्थिति, संदायकर्ता या दानकर्ता की मृत्यु को आसन्न मान कर; या
- (V) धारा 10 के खंड (20) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी से ; या
- 25 (VI) धारा 10 के खंड (23ग) में निर्दिष्ट किसी निधि या प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था या किसी न्यास या संस्था से ; या
- (VII) धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था से या उसके द्वारा ; या
- (VIII) धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vik) में निर्दिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था द्वारा ; या
- 30 (IX) ऐसे संव्यवहार के माध्यम से, जो धारा 47 के खंड (i) या खंड (vi) या खंड (vik) या खंड (vikक) या खंड (viख) या खंड (vig) या खंड (vigक) या खंड (vigख) या खंड (viघ) या खंड (vii) के अधीन अंतरण नहीं माना जाता है,

प्राप्त किसी धनराशि या किसी संपत्ति को लागू नहीं होगा ।

35 **स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “निर्धारणीय”, “उचित बाजार मूल्य”, “आभूषण”, “संपत्ति”, “नातेदार” और “स्टांप शुल्क मूल्य” के वही अर्थ होंगे, जो खंड (vii) के स्पष्टीकरण में क्रमशः उनके हैं ।’

30. आय-कर अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1क) में, 1 अप्रैल, 2018 से “उपखंड (iiक)” शब्द, कोष्ठकों, धारा 58 का अंकों और अक्षर के स्थान पर, “उपखंड (iक) और उपखंड (iiक)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे । संशोधन ।

40 31. आय-कर अधिनियम की धारा 71 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2018 से धारा 71 का अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— संशोधन ।

‘(3क) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी निर्धारण वर्ष की बाबत “गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन संगणना का अंतिम परिणाम हानि है और निर्धारिती की आय किसी अन्य शीर्ष के अधीन निर्धारणीय आय है, वहां निर्धारिती ऐसी हानि का उस सीमा तक मुजरा करने का हकदार नहीं होगा, जहां तक हानि की रकम अन्य शीर्ष के अधीन आय के विरुद्ध दो लाख रुपए से अधिक हो जाती है ।’

धारा 79 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। 32. आय-कर अधिनियम की धारा 79 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2018 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय कंपनियों की दशा में हानियों का अग्रणीत किया जाना और उनका मुजरा किया जाना।

“79. इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) किसी कंपनी की दशा में, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता सारवान् रूप से हितबद्ध है और जो खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी कंपनी से भिन्न है, पूर्ववर्ष में शेयरधृति में कोई परिवर्तन हुआ है, वहां किसी भी ऐसी हानि को, जो उस पूर्ववर्ष के किसी पूर्ववर्ष में उपगत हुई थी, तब तक अग्रणीत नहीं किया जाएगा या पूर्ववर्ष की आय के प्रति उसका मुजरा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को कंपनी के वे शेयर, जो इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति वाले थे, ऐसे व्यक्तियों द्वारा फायदाप्रद रूप से धारित है, न रहे हों, जो उस वर्ष या उन वर्षों के, जिसमें या जिनमें हानि उपगत हुई थी, अंतिम दिन कंपनी के ऐसे शेयरों को फायदाप्रद रूप से धारण करते थे, जो इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति वाले थे ;

(ख) किसी कंपनी की दशा में, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता सारवान् रूप से हितबद्ध है किंतु जो इस अधिनियम की धारा 80झकग में यथानिर्दिष्ट पात्र स्टार्ट अप है, पूर्ववर्ष से पूर्व किसी वर्ष में उपगत हानि को अग्रणीत किया जाएगा और पूर्ववर्ष की आय के प्रति उसका मुजरा किया जाएगा, यदि ऐसी कंपनी के सभी शेयर धारकों ने, जो उस वर्ष या उन वर्षों के, जिसमें या जिनमें ऐसी हानि उपगत हुई थी, अंतिम दिन को मतदान शक्ति वाले शेयरों को धारण कर रहे थे :

(i) ऐसे पूर्ववर्ष के अंतिम दिन उन शेयरों को धारण करना जारी रखा था ; और

(ii) ऐसी हानि उन सात वर्षों की अवधि के दौरान उपगत हुई है, जो उस वर्ष से आरंभ हुई थी, जिसमें ऐसी कंपनी को निगमित किया गया था :

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी जहां उक्त मत देने की शक्ति और शेयरधृति में पूर्ववर्ष में कोई परिवर्तन, किसी शेयर धारक की मृत्यु या ऐसा दान करने वाले शेयर धारक द्वारा शेयर धारक के नातेदार को किसी दान के माध्यम से शेयरों के अंतरण के फलस्वरूप होता है :

परंतु यह और कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसी भारतीय कंपनी के, जो विदेशी कंपनी के समामेलन या निर्विलयन के परिणामस्वरूप किसी विदेशी कंपनी की समनुषंगी है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि समामेलित या निर्विलीन विदेशी कंपनी के इक्यावन प्रतिशत शेयरधारक, समामेलित या परिणामी विदेशी कंपनी के शेयरधारक बने रहते हैं, शेयरधृति में किसी परिवर्तन को लागू नहीं होगी ।”।

धारा 80गगघ का संशोधन। 33. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ की उपधारा (1) में, खंड (ख) में “दस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “बीस प्रतिशत” शब्द 1 अप्रैल, 2018 से रखे जाएंगे।

धारा 80गगघ का संशोधन। 34. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(5) उपधारा (1) से उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष की बाबत इस धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी :

परंतु ऐसे निर्धारित को, जिसने उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम के अनुसार साधारण शेयरोन्मुखी निधि के सूचीबद्ध साधारण शेयर या सूचीबद्ध यूनिट अर्जित किए हैं और 1 अप्रैल, 2017 को या उससे पहले प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया है, 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष तक इस धारा के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाएगी यदि वह इस धारा के अन्य उपबंधों के अनुसार कटौती का दावा करने के लिए अन्यथा पात्र है ।”।

धारा 80छ का संशोधन। 35. आय-कर अधिनियम की धारा 80छ की उपधारा (5घ) में, “दस हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दो हजार रुपए” शब्द 1 अप्रैल, 2018 से रखे जाएंगे।

धारा 80झकग का संशोधन। 36. आय-कर अधिनियम की धारा 80झकग [वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 42 द्वारा यथा अंतःस्थापित] की उपधारा (2) में “पांच” शब्द के स्थान पर “सात” शब्द 1 अप्रैल 2018 से रखा जाएगा। 2016 का 28 40

धारा 80झखक का संशोधन। 37. आय-कर अधिनियम की धारा 80झखक [वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 44 द्वारा यथा अंतःस्थापित] में, 1 अप्रैल, 2018 से,— 2016 का 28

‘(क) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ख) में “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “पांच वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) और खंड (घ) में “निर्मित क्षेत्र” शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं, “कार्पेट क्षेत्र” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) “या नगरों की नगरपालिका सीमा से पच्चीस किलोमीटर आकाशी मापी दूरी के भीतर” शब्दों का, जहां-जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (6) के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

2016 का 16

5

“(क) “कार्पेट क्षेत्र” का वही अर्थ होगा, जो भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (ट) में उसका है।”।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 87क में, 1 अप्रैल, 2018 से,—

धारा 87क का संशोधन।

(क) “पांच लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर “तीन लाख पचास हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

2016 का 28

(ख) “पांच हजार रुपए” [वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 46 द्वारा यथा प्रतिस्थापित] शब्दों के स्थान पर “दो हजार पांच सौ रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

10 39. आय-कर अधिनियम की धारा 90 में, स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2018 से निम्नलिखित स्पष्टीकरण धारा 90 का अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— संशोधन।

15 “स्पष्टीकरण 4—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि जहां उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी करार में प्रयुक्त किसी पद को उक्त करार में परिभाषित किया गया है, वहां उक्त पद का वही अर्थ होगा जो करार में उसका है और जहां ऐसा पद करार में परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वहां उसका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उसका है और केंद्रीय सरकार द्वारा किसी स्पष्टीकरण में उसे दिया गया है।”।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 90क में, स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2018 से निम्नलिखित स्पष्टीकरण धारा 90क का अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— संशोधन।

20 “स्पष्टीकरण 4—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि जहां उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी करार में प्रयुक्त किसी पद को उक्त करार में परिभाषित किया गया है, वहां उक्त पद का वही अर्थ होगा जो करार में उसका है और जहां ऐसा पद करार में परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वहां उसका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उसका है और केंद्रीय सरकार द्वारा किसी स्पष्टीकरण में उसे दिया गया है।”।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 92खक के खंड (i) का लोप किया जाएगा।

धारा 92खक का संशोधन।

25 42. आय-कर अधिनियम की धारा 92गघ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 92गड का अंतःस्थापन।

‘92गड. (1) जहां अंतरण कीमत के लिए कोई प्राथमिक समायोजन,—

कतिपय मामलों में द्वितीय समायोजन।

(i) निर्धारिती द्वारा अपनी आय की विवरणी में स्वप्रेरणा से किया गया है ;

(ii) निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया है और निर्धारिती द्वारा स्वीकार किया गया है ;

30 (iii) निर्धारिती द्वारा धारा 92गग के अधीन किए गए अग्रिम कीमत करार द्वारा अवधारित है ;

(iv) धारा 92गख के अधीन विरचित सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अनुसार किया गया है ; या

(v) दोहरे कराधान को परिवर्जित करने के लिए धारा 90 या धारा 90क के अधीन किए गए करार के अधीन पारस्परिक सहमति की प्रक्रिया के माध्यम से किसी निर्धारिती के संकल्प के परिणामस्वरूप उद्भूत हुआ है,

वहां निर्धारिती द्वितीय समायोजन करेगा :

35 परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात लागू नहीं होगी, यदि,—

(i) किसी पूर्ववर्ष में प्राथमिक समायोजन की रकम एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ; और

(ii) प्राथमिक समायोजन 1 अप्रैल, 2016 को या उससे पहले प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष की बाबत किया गया है।

40 (2) जहां अंतरण कीमत के लिए प्राथमिक समायोजन के परिणामस्वरूप निर्धारिती की, यथास्थिति, कुल आय में कोई वृद्धि या हानि में कमी हुई है, वहां अतिरिक्त धन को, जो उसके सहयुक्त उद्यम के पास उपलब्ध है, यदि भारत में ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संप्रत्यावर्तित नहीं हुआ है, ऐसे सहयुक्त उद्यम को निर्धारिती द्वारा किया गया अग्रिम समझा जाएगा और ऐसे अग्रिम पर ब्याज को ऐसी रीति में संगणित किया जाएगा जो विहित की जाए।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “सहयुक्त उद्यम” का वही अर्थ होगा जो धारा 92क की उपधारा (1) और उपधारा (2) में उसका है ;

(ii) “आसन्निकट कीमत” का वही अर्थ होगा जो धारा 92च के खंड (ii) में उसका है ;

(iii) “अतिरिक्त धन” से प्राथमिक समायोजन में अवधारित आसन्निकट सिद्धांत और उस कीमत के, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार वास्तविक रूप से किया गया है, बीच का अंतर अभिप्रेत है ;

5

(iv) किसी अंतरण कीमत के लिए “प्राथमिक समायोजन” से आसन्निकट कीमत के अनुसार अंतरण कीमत का अवधारण अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप निर्धारिती की, यथास्थिति, कुल आय में किसी वृद्धि या हानि में कमी हुई है;

(v) “द्वितीय समायोजन” से निर्धारिती और उसके सहयुक्त उद्यम की लेखा बहियों में यह परावर्तित करने के लिए कि निर्धारिती और उसके सहयुक्त उद्यम के बीच लाभों का वास्तविक आबंटन प्राथमिक समायोजन के परिणामस्वरूप अवधारित अंतरण कीमत के संगत है, जिसके द्वारा निर्धारिती के नकद खाते और वास्तविक लाभ में असंतुलन को दूर किया जाता है, समायोजन अभिप्रेत है ।’

10

नई धारा 94ख का अंतःस्थापन ।

43. आय-कर अधिनियम में धारा 94क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय मामलों में ब्याज कटौती को सीमित करना ।

‘94ख. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई भारतीय कंपनी या भारत में किसी विदेशी कंपनी का स्थायी स्थापन, जो उधार लेने वाला है, एक करोड़ रुपए से अधिक ब्याज या वैसे ही प्रतिफल का संदाय करता है, जो “कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन किसी गैर-निवासी, जो ऐसे उधार लेने वाले का सहयुक्त उपक्रम है, द्वारा जारी किसी उधार के संबंध में प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती योग्य है, वहां ब्याज के शीर्ष के अधीन आय की संगणना में उस सीमा तक जहां तक उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट हो, वह, अधिक ब्याज से उद्भूत होता है, कटौती नहीं की जाएगी :

15

परंतु जहां ऋण किसी ऐसे उधार देने वाले द्वारा जारी किया गया है जो सहयुक्त नहीं है किंतु कोई सहयुक्त उद्यम, या तो ऐसे उधार देने वाले को कोई अस्पष्ट या स्पष्ट प्रत्याभूति उपलब्ध कराता है या उधार देने वाले की निधियों की रकम के तत्स्थानी या समरूप निक्षेप करता है, वहां ऐसे ऋण को ऐसे किसी सहयुक्त उपक्रम द्वारा जारी किया गया समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अधिक ब्याज से, पूर्ववर्ष में उधार लेने वाले के ब्याज, करों, अवक्षयण और अपाकरण या उस पूर्ववर्ष के लिए सहयुक्त उपक्रमों को संदत्त या संदेय ब्याज के पूर्व उपार्जनों के तीस प्रतिशत से अधिक संदत्त या संदेय कुल ब्याज की रकम अभिप्रेत है ।

20

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात भारतीय कंपनी या विदेशी कंपनी के स्थायी स्थापन को, जो बैंककारी या बीमा के कारबार में लगा हुआ है, लागू नहीं होगी ।

(4) जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे ब्याज व्यय की पूर्णतः “कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय के विरुद्ध कटौती नहीं की गई है तो उतने ब्याज व्यय को आगामी निर्धारण वर्ष या निर्धारण वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा जितने की इस प्रकार कटौती नहीं की गई है, और इसका उसके द्वारा किए जाने वाले कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ, यदि कोई हों, और उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय के विरुद्ध उपधारा (2) के अनुसार अधिकतम अनुज्ञेय ब्याज व्यय के विस्तार तक कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा :

30

परंतु इस उपधारा के अधीन किसी ब्याज व्यय को उस निर्धारण वर्ष जिसके लिए पहली बार अधिक ब्याज व्यय की संगणना की गई थी, से तुरंत उत्तरवर्ती आठ निर्धारण वर्षों से अधिक के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “सहयुक्त उपक्रम” पद का वही अर्थ है जो उसका धारा 92क की उपधारा (1) और उपधारा (2) में है ;

(ii) “ऋण” पद से कोई उधार, वित्तीय लिखत, वित्तीय पट्टा, वित्तीय व्युत्पन्नी या कोई इंतजाम अभिप्रेत है जिससे कोई ब्याज, छूट या अन्य वित्तीय प्रभार उत्पन्न होता है, जो “कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती योग्य है ;

40

(iii) “स्थायी स्थापन” पद के अंतर्गत कारबार का नियत स्थान है जिसके माध्यम से उद्यम का कारबार पूर्णतः या भागतः किया जाता है ।’

44. आय-कर अधिनियम की धारा 115खखक [वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 52 द्वारा यथा अंतःस्थापित] में, धारा 115खखक का संशोधन ।
1 अप्रैल, 2018 से,—

(i) उपधारा (1) में, “निर्धारिती, जो कोई व्यक्ति, हिंदू अविभक्त कुटुंब या फर्म है,” शब्दों के स्थान पर, “विनिर्दिष्ट निर्धारिती” शब्द रखे जाएंगे ;

5 (ii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “लाभांश” का वही अर्थ होगा, जो धारा 2 के खंड (22) में उसका है, किन्तु इसमें उसका खंड (ड) सम्मिलित नहीं होगा ;

(ख) “विनिर्दिष्ट निर्धारिती” से निम्नलिखित से भिन्न व्यक्ति अभिप्रेत है,—

10 (i) देशी कंपनी ; या

(ii) धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vik) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या न्यास या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अन्य अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था ; या

(iii) धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई न्यास या संस्था ।’

15 45. आय-कर अधिनियम की धारा 115खखक [वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 54 द्वारा यथा अंतःस्थापित] के नई धारा 115खखक का अंतःस्थापन ।
पश्चात्, 1 अप्रैल, 2018 से निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

‘115खखक. (1) जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में, कार्बन प्रत्ययों के अंतरण के माध्यम से होने वाली कोई कार्बन प्रत्ययों के आय सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर निम्नलिखित का योग होगा— अंतरण से आय पर कर ।

(क) कार्बन प्रत्ययों के अंतरण के माध्यम से होने वाली आय पर दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम; और

(ख) आय-कर की वह रकम, जो उस समय निर्धारिती से प्रभार्य होती, यदि उसकी कुल आय में से खंड (क) में निर्दिष्ट आय की रकम को घटा दिया जाता ।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निर्धारिती को, उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट उसकी आय की संगणना में इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किए गए किसी व्यय या मोक के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक यूनिट के संबंध में “कार्बन प्रत्यय” से कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जनों या उसके समतुल्य गैसों के उत्सर्जन में, जिसका विधिमाम्यकरण संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संबंधी फ्रेमवर्क द्वारा किया जाता है, एक टन की ऐसी कमी अभिप्रेत होगी और जिसका बाजार में व्यापार उसकी विद्यमान बाजार कीमत पर किया जा सकता है, ।’

30 46. आय-कर अधिनियम की धारा 115जकक में, 1 अप्रैल, 2018 से,—

धारा 115जकक का संशोधन ।

(क) उपधारा (2क) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि जहां धारा 115जख की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन संदेय कर के प्रति अनुज्ञात, धारा 90 या धारा 90क या धारा 91 के अधीन किसी देश या भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त आय-कर के संबंध में कर प्रत्यय की रकम, निर्धारिती द्वारा इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार उसकी आय पर संदेय कर के प्रति अनुज्ञेय ऐसे कर प्रत्यय की रकम से अधिक है, वहां इस उपधारा के अधीन प्रत्यय की रकम की संगणना करते समय ऐसी अधिक रकम पर ध्यान नहीं दिया जाएगा :”;

(ख) उपधारा (3क) में, “दसवें निर्धारण वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “पंद्रहवें निर्धारण वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 115जख में,—

धारा 115जख का संशोधन ।

(i) उपधारा (2) में,—

40 (क) “लाभ और हानि लेखा” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “लाभ और हानि का विवरण” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “कंपनी अधिनियम, 1956” शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “कंपनी अधिनियम, 2013” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (क) में, “अनुसूची 6 का भाग 2” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “अनुसूची 3” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (ख) में, “धारा 211 की उपधारा (2) का परंतुक” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “धारा 129 की उपधारा (1) का दूसरा परंतुक” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ङ) पहले परंतुक में, “धारा 210” शब्द और अंकों के स्थान पर, “धारा 129” शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 5

(ii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

‘(2क) किसी कंपनी के, जिसके वित्तीय विवरणों को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है, उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार यथा संगणित बही-लाभ,—

(क) को ऐसी सभी रकमों द्वारा और बढ़ा दिया जाएगा, जो ‘मदें, जो लाभ या हानि के रूप में पुनःवर्गीकृत 10 नहीं की जाएंगी’ शीर्ष के अधीन लाभ और हानि विवरण में अन्य समग्र आय में जमा की जाती हैं ;

(ख) में से ऐसी सभी रकमों को और घटा दिया जाएगा, जो ‘मदें, जो लाभ या हानि के रूप में पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी’ शीर्ष के अधीन लाभ और हानि विवरण में अन्य समग्र आय में से विकलित की जाती हैं ;

(ग) को ऐसी रकमों या कुल रकमों द्वारा और बढ़ा दिया जाएगा, जो भारतीय लेखांकन मानक 10 के 15 परिशिष्ट ‘क’ के अनुसार किसी निर्विलयन में शेयर धारकों को गैर-नकद आस्तियों के वितरण पर लाभ और हानि विवरण में से विकलित की जाती हैं ;

(घ) में से ऐसी रकमों या कुल रकमों को और घटा दिया जाएगा, जो भारतीय लेखांकन मानक 10 के 20 परिशिष्ट क के अनुसार किसी निर्विलयन में शेयर धारकों को गैर-नकद आस्तियों के वितरण पर लाभ और हानि विवरण में जमा की जाती हैं ;

परंतु खंड (क) या खंड (ख) में अंतर्विष्ट कोई बात, निम्नलिखित के संबंध में, ‘मदें, जो लाभ या हानि के रूप में पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी’ शीर्ष के अधीन अन्य समग्र आय में जमा या उससे विकलित की गई रकम को लागू नहीं होगी,—

(i) भारतीय लेखांकन मानक 16 और भारतीय लेखांकन मानक 38 के अनुसार आस्तियों के लिए पुनर्मूल्यांकन अधिशेष ; या 25

(ii) भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर अभिहित साम्या लिखतों में विनिधानों से अभिलाभ या हानियां ;

परंतु यह और कि उस पूर्ववर्ष के, जिसमें पहले परंतुक में निर्दिष्ट आस्ति या विनिधान की निवृत्ति, व्ययन, वसूली या उसे अन्यथा अंतरित किया गया है, बही-लाभ को पूर्ववर्ष के लिए या उससे पूर्ववर्ती पूर्ववर्षों के लिए, जो ऐसी आस्ति या विनिधान से संबंधित हैं, निर्दिष्ट रकमों द्वारा, यथास्थिति, बढ़ा दिया जाएगा या उसमें से उन 30 रकमों को घटा दिया जाएगा ।

(2ख) किसी परिणामी कंपनी की दशा में, जहां उसके द्वारा प्राप्त की जाने वाली उद्यम या उद्यमों की संपत्ति और दायित्वों को उन मूल्यों से, जो निर्विलयन से तुरंत पूर्व निर्विलीन कंपनी की लेखा-बहियों में उपदर्शित मूल्यों से भिन्न मूल्यों पर अभिलिखित किया जाता है, वहां ऐसे मूल्य में परिवर्तन पर, इस धारा के अधीन परिणामी कंपनी के बही-लाभ की संगणना के प्रयोजन के लिए ध्यान नहीं दिया जाएगा । 35

(2ग) उपधारा (2क) में निर्दिष्ट किसी कंपनी के लिए, अभिसरण के वर्ष के और चार पूर्ववर्ती वर्षों में से प्रत्येक के आगामी वर्ष के बही-लाभ को, यथास्थिति, संक्रमण रकम के पांचवें भाग द्वारा आगे और बढ़ाया जाएगा या उस रकम को उसमें से घटाया जाएगा ;

परंतु उस पूर्ववर्ष के, जिसमें स्पष्टीकरण के खंड (iii) के उपखंड (ख) से उपखंड (ङ) में निर्दिष्ट आस्ति या विनिधान की निवृत्ति, व्ययन, वसूली या उसे अन्यथा अंतरित किया गया है, बही-लाभ को ऐसी आस्ति या विनिधान 40 से संबंध रखने वाले उक्त उपखंड में निर्दिष्ट रकम या कुल रकमों द्वारा, यथास्थिति, बढ़ा दिया जाएगा या उसमें से उन रकमों को घटा दिया जाएगा ;

परंतु यह और कि उस पूर्ववर्ष के, जिसमें स्पष्टीकरण के उपखंड (iii) के उपखंड (च) में निर्दिष्ट विदेशी प्रचालन का व्ययन या उसका अन्यथा अंतरण किया गया है, बही-लाभ को ऐसे विदेशी प्रचालनों से संबंध रखने वाले उक्त उपखंड में निर्दिष्ट रकम या कुल रकमों द्वारा, यथास्थिति, बढ़ा दिया जाएगा या उसमें से उन रकमों को घटा 45 दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, पद—

(i) “अभिसरण का वर्ष” से वह पूर्ववर्ष अभिप्रेत है जिसमें अभिसरण तारीख आती है ;

(ii) “अभिसरण तारीख” से भारतीय लेखांकन मानक 101 में यथा परिभाषित प्रथम भारतीय लेखांकन मानक रिपोर्टिंग अवधि का प्रथम दिवस अभिप्रेत है ;

5 (iii) “संक्रमण रकम” से ऐसी रकम या कुल रकममें अभिप्रेत हैं, जिन्हें अभिसरण की तारीख को अन्य साम्या (मिश्र वित्तीय लिखतों, पूंजी आरक्षिति और प्रतिभूति, प्रीमियम आरक्षिति के साम्या संघटक को छोड़कर) में समायोजित किया गया है, किन्तु इनके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है :—

(अ) अभिसरण की तारीख को अन्य समग्र आय में समायोजित रकम या कुल रकममें, जिन्हें तत्पश्चात् लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा ;

10 (आ) भारतीय लेखांकन मानक 16 और भारतीय लेखांकन मानक 38 के अनुसार आस्तियों के लिए पुनर्मूल्यांकन अधिशेष, जिसे अभिसरण की तारीख को समायोजित किया गया है ;

(इ) भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर अभिहित साम्या लिखतों में विनिधानों से लाभ या हानियां, जिसे अभिसरण की तारीख को समायोजित किया गया है;

15 (ई) अभिसरण की तारीख को भारतीय लेखांकन मानक 101 के पैरा घ 5 और घ 7 के अनुसार समझी गई लागत के रूप में उचित मूल्य पर लेखबद्ध संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त आस्तियों की मदों से संबंधित समायोजन ;

(उ) अभिसरण की तारीख को भारतीय लेखांकन मानक 101 के पैरा घ 15 के अनुसार समझी गई लागत के रूप में उचित मूल्य पर लेखबद्ध समनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयुक्तों में विनिधानों से संबंधित समायोजन ;

20 (ऊ) अभिसरण की तारीख को भारतीय लेखांकन मानक 101 के पैरा घ 13 के अनुसार किसी विदेशी प्रचालन में संचयी संपरिवर्तन अंतर से संबंधित समायोजन ।’;

(iii) स्पष्टीकरण 1 में,—

(क) “शुद्ध लाभ” शब्दों के स्थान पर, “लाभ” शब्द रखा जाएगा ;

25 (ख) “लाभ और हानि लेखा” शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर, “लाभ और हानि का विवरण” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (ट) में, “लाभ या हानि लेखा” शब्दों के स्थान पर, “लाभ और हानि का विवरण” शब्द रखे जाएंगे;

(iv) स्पष्टीकरण 3 में,—

1956 का 1
2013 का 18

30 (क) “कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (2) का परंतुक” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 की उपधारा (1) का दूसरा परंतुक” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) “लाभ और हानि लेखा” शब्दों के स्थान पर, “लाभ और हानि का विवरण” शब्द रखे जाएंगे ;

1956 का 1
2013 का 18

(ग) “कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के भाग 2 और भाग 3” शब्दों और अंकों के स्थान पर “कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 115जघ में, 1 अप्रैल, 2018 से,—

धारा 115जघ का संशोधन ।

35 (क) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु जहां संदत्त अनुकल्पी न्यूनतम कर के प्रति अनुज्ञात कर प्रत्यय की रकम, किसी देश या भारत के बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में धारा 90 या धारा 90क या धारा 91 के अधीन संदत्त आय-कर के संबंध में, निर्धारिती द्वारा संदेय नियमित आय-कर के प्रति अनुज्ञेय कर प्रत्यय की रकम से अधिक है, वहां इस उपधारा के अधीन प्रत्यय की रकम की संगणना करते समय ऐसी अधिक रकम पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।”;

40 (ख) उपधारा (4) में, “दसवें निर्धारण वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “पंद्रहवें निर्धारण वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 119 की उपधारा (2) के खंड (क) में, “धारा 271” शब्द और अंकों के पश्चात्, धारा 119 का संशोधन ।
“, धारा 271ग, धारा 271गक” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 132 का संशोधन ।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 132 में,—

(i) उपधारा (1) में, चौथे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1962 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस उपधारा के अधीन आय-कर प्राधिकारी द्वारा यथा अभिलिखित विश्वास करने के कारण को, किसी व्यक्ति या किसी प्राधिकारी या अपील 5 अधिकरण को प्रकट नहीं किया जाएगा ।”;

(ii) उपधारा (1क) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अक्टूबर, 1975 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस उपधारा के अधीन आय-कर प्राधिकारी द्वारा यथा अभिलिखित संदेह करने के कारण को, किसी व्यक्ति या किसी प्राधिकारी या अपील अधिकरण 10 को प्रकट नहीं किया जाएगा ।”;

(iii) उपधारा (9क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

‘(9ख) जहां तलाशी या अभिग्रहण के दौरान या उस तारीख से, जिसको तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, साठ दिन की कालावधि के भीतर प्राधिकृत अधिकारी का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से समाधान हो जाता है कि राजस्व के हित के संरक्षण के लिए, ऐसा करना आवश्यक है, तो वह प्रधान 15 महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक के पूर्वानुमोदन से, लिखित आदेश द्वारा, निर्धारिती की किसी संपत्ति की अनंतिम रूप से कुर्की कर सकेगा और उक्त प्रयोजन के लिए, दूसरी अनुसूची के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

(9ग) उपधारा (9ख) के अधीन की गई प्रत्येक अनंतिम कुर्की उपधारा (9ख) के अधीन आदेश की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् निष्प्रभावी हो जाएगी । 20

(9घ) प्राधिकृत अधिकारी तलाशी या अभिग्रहण के दौरान या उस तारीख से, जिसको तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, साठ दिन की कालावधि के भीतर धारा 142क में निर्दिष्ट मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश करेगा, जो उस धारा के अधीन उपबंधित रीति से संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का प्राक्कलन करेगा और ऐसे निर्देश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की कालावधि के भीतर उक्त अधिकारी को प्राक्कलन की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।” 25

(iv) स्पष्टीकरण 1 के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण 1—उपधारा (9क), उपधारा (9ख) और उपधारा (9घ) के प्रयोजनों के लिए, “तलाशी के लिए प्राधिकार का निष्पादन” के संबंध में धारा 153ख की उपधारा (2) के उपबंध लागू होंगे ।’

धारा 132क का संशोधन ।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 132क की उपधारा (1) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अक्टूबर, 1975 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :— 30

“स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस उपधारा के अधीन आय-कर प्राधिकारी द्वारा यथा अभिलिखित, विश्वास करने के कारण को, किसी व्यक्ति या किसी प्राधिकारी या अपील अधिकरण को प्रकट नहीं किया जाएगा ।”

धारा 133 का संशोधन ।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 133 में,—

(i) पहले परंतुक में, “, और प्रधान आयुक्त या आयुक्त” शब्दों के स्थान पर “या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या 35 संयुक्त निदेशक या उप निदेशक या सहायक निदेशक” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) दूसरे परंतुक में, “बाबत शक्ति का प्रयोग” शब्दों के पश्चात्, “, संयुक्त निदेशक या उप निदेशक या सहायक निदेशक से भिन्न” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 133क का संशोधन ।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 133क की उपधारा (1) में,—

(i) दीर्घ पंक्ति में, “जहां कोई कारबार” से आरंभ होने वाले और “सकता है कि वह—” पर समाप्त होने वाले भाग 40 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“जहां कोई कारबार या वृत्ति या पूर्ण प्रयोजन के लिए कोई क्रियाकलाप चलाया जाता है, चाहे ऐसा स्थान ऐसे कारबार या वृत्ति या पूर्ण प्रयोजन के लिए ऐसे किसी क्रियाकलाप का प्रधान स्थान हो या नहीं, प्रवेश कर सकता है और किसी स्वामी, न्यासी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति से, जो उस समय और उस स्थान पर ऐसे कारबार या वृत्ति या पूर्ण प्रयोजन के ऐसे क्रियाकलाप को चलाने का कार्य किसी रीति से कर रहा हो या उसमें सहायता 45 कर रहा हो, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह—”;

(ii) स्पष्टीकरण में, “कारबार या वृत्ति” शब्द जहां कहीं वे आते हैं, के पश्चात्, “या पूर्ण प्रयोजन के लिए कोई क्रियाकलाप” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 133ग में, उपधारा (2) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 133ग का संशोधन ।

“(3) बोर्ड, केंद्रीयकृत रूप से सूचना जारी करने के लिए और जानकारी या दस्तावेजों पर कार्यवाही करने और निर्धारण अधिकारी को कार्यवाही का परिणाम उपलब्ध कराने के लिए, कोई स्कीम बना सकेगा ।”।

5 55. आय-कर अधिनियम की धारा 139 में, 1 अप्रैल, 2018 से—

धारा 139 का संशोधन ।

(i) उपधारा (4ग) में,—

(I) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(गक) धारा 10 के खंड (23ककक) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति ;”;

(II) खंड (डख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

10 “(डखक) धारा 10 के खंड (23डग) या खंड (23डघ) में निर्दिष्ट विनिधानकर्ता संरक्षा निधि ;

(डखख) धारा 10 के खंड (23डड) में निर्दिष्ट कोर समाधान प्रत्याभूति निधि ;”;

(III) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(चक) धारा 10 के खंड (29क) में निर्दिष्ट बोर्ड या प्राधिकरण ;”;

15 (IV) खंड (ज) की दीर्घ पंक्ति में, “संगम या संस्था,” शब्दों के पश्चात् “व्यक्ति या” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

2016 का 28

(ii) उपधारा (5) [वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 67 द्वारा यथा प्रतिस्थापित] में, “से एक वर्ष की समाप्ति” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 140क में, 1 अप्रैल, 2018 से,—

धारा 140क का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में,—

20 (क) दीर्घ पंक्ति में,—

(अ) “के अधीन संदेय ब्याज” शब्दों के पश्चात्, “और फीस” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) “और ब्याज” शब्दों के स्थान पर “, ब्याज और फीस” शब्द रखे जाएंगे ;

25 (ख) स्पष्टीकरण में, “और ब्याज के योग से कम पड़ती है, वहां इस प्रकार संदत्त रकम का समायोजन, पहले पूर्वोक्त संदेय ब्याज” शब्दों के स्थान पर, “ब्याज और फीस के योग से कम पड़ती है, वहां इस प्रकार संदत्त रकम का समायोजन, पहले पूर्वोक्त संदेय ब्याज और फीस” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) में, “कर या ब्याज या उसके किसी भाग का अथवा दोनों का” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, “कर या ब्याज या उसके किसी भाग या फीस का” शब्द रखे जाएंगे ।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 143 में,—

धारा 143 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2018 से,—

30 (i) खंड (ख) में “और ब्याज” शब्दों के स्थान पर, “, ब्याज और फीस” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) में,—

(अ) “और ब्याज” शब्दों के स्थान पर, “, ब्याज और फीस” शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) “या ब्याज” शब्दों के स्थान पर, “, ब्याज या फीस” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) पहले परंतुक में “या ब्याज” शब्दों के स्थान पर, “, ब्याज या फीस” शब्द रखे जाएंगे ;

2016 का 28

35 (ख) उपधारा (1घ) [वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 68 द्वारा यथा प्रतिस्थापित] के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1घ) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (2) के अधीन निर्धारिती को सूचना जारी की गई है, वहां किसी विवरणी पर कार्यवाही करना आवश्यक नहीं होगा ;

40 परंतु इस उपधारा के उपबंध, 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए प्रस्तुत किसी विवरणी को लागू नहीं होंगे ।”।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 153 में,—

(i) उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘परंतु 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के संबंध में, किसी निर्धारण आदेश की बाबत इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “इक्कीस मास” शब्दों के स्थान पर “अठारह मास” शब्द रख दिए गए हों :

5

परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के संबंध में, किसी निर्धारण आदेश की बाबत इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “इक्कीस मास” शब्दों के स्थान पर “बारह मास” शब्द रख दिए गए हों ।’;

(ii) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘परंतु जहां धारा 148 के अधीन सूचना 1 अप्रैल, 2019 को या उसके पश्चात् तामील की जाती है, वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “नौ मास” शब्दों के स्थान पर “बारह मास” शब्द रख दिए गए हों ।’;

10

(iii) उपधारा (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘परंतु जहां 1 अप्रैल, 2019 को या उसके पश्चात् प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 254 के अधीन आदेश प्राप्त किया जाता है या, यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश पारित किया जाता है, वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “नौ मास” शब्दों के स्थान पर “बारह मास” शब्द रख दिए गए हों ।’;

15

(iv) उपधारा (5) में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2016 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

‘परंतु यह और कि जहां धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या धारा 263 या धारा 264 के अधीन किसी आदेश का निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करके सत्यापन अपेक्षित है या जहां निर्धारिती को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना है, वहां धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या धारा 263 या धारा 264 के अधीन उक्त आदेश को प्रभावी करने वाला आदेश उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर किया जाएगा ।’;

20

(v) उपधारा (9) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2016 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

25

‘परंतु जहां धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 143 की उपधारा (2) या धारा 148 के अधीन सूचना 1 जून, 2016 से पहले जारी की गई है और स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट समय के अपवर्जन के कारण उस तारीख तक निर्धारण या पुनः निर्धारण पूरा नहीं किया गया है, वहां ऐसा निर्धारण या पुनः निर्धारण इस धारा के उपबंधों के अनुसार, जैसी वह वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा इसके प्रतिस्थापन से ठीक पहले थी, किया जाएगा ।’;

2016 का 28

(vi) स्पष्टीकरण 1 के तीसरे परंतुक में, “धारा 153ख,” शब्द, अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगा ।

30

59. आय-कर अधिनियम की धारा 153क की उपधारा (1) में,—

(i) खण्ड (क), पहले परन्तुक और दूसरे परन्तुक में, “छह निर्धारण वर्षों में आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष की बाबत” शब्दों के पश्चात्, जहां कहीं वे आते हैं, “और सुसंगत निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खण्ड (ख) में “छह निर्धारण वर्षों की” शब्दों के पश्चात्, “और सुसंगत निर्धारण वर्ष या वर्षों की” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

35

(iii) तीसरे परंतुक में, “छह निर्धारण वर्षों की” शब्दों के पश्चात्, “और सुसंगत निर्धारण वर्ष या वर्षों की” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iv) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘परंतु यह भी कि निर्धारण अधिकारी द्वारा सुसंगत निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए तब तक निर्धारण या पुनः निर्धारण के लिए कोई सूचना जारी नहीं की जाएगी—

40

(क) जब तक निर्धारण अधिकारी के कब्जे में ऐसी लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज या साक्ष्य न हों, जो यह प्रकट करते हों कि आस्ति के रूप में व्यपदेशित आय, जो निर्धारण से रह गई है, सुसंगत निर्धारण वर्ष में पचास लाख रुपए या अधिक की रकम के बराबर है या बराबर होने की संभावना है या सुसंगत निर्धारण वर्षों में उसका कुल योग पचास लाख रुपए या अधिक है ;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आय या उसका भाग ऐसे वर्ष या वर्षों के लिए निर्धारण से रह गया है ; और

(ग) धारा 132 के अधीन प्रारंभ की गई तलाशी या धारा 132क के अधीन की गई अध्यक्षता 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् की गई है ।

5 **स्पष्टीकरण 1**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “सुसंगत निर्धारण वर्ष” पद से, उस पूर्ववर्ष, जिसमें तलाशी ली जाती है या अध्यक्षता की जाती है, से सुसंगत निर्धारण वर्ष से पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है और जो उस पूर्ववर्ष, जिसमें तलाशी ली जाती है या अध्यक्षता की जाती है, से सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति के छह निर्धारण वर्षों से परे है, किंतु दस निर्धारण वर्षों से अपश्चात् है ।

स्पष्टीकरण 2—चौथे परंतुक के प्रयोजनों के लिए, “आस्ति” के अंतर्गत ऐसी स्थावर संपत्ति भी होगी, जो भूमि या भवन या दोनों, शेयर और प्रतिभूतियां, ऋण और अग्रिम, बैंक खातों में निक्षेप हैं ।’

10 **60. आय-कर अधिनियम की धारा 153ख में,—**

धारा 153ख का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में, “छह निर्धारण वर्षों में आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष की बाबत” शब्दों के पश्चात्, “और सुसंगत निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) दूसरे और तीसरे परंतुकों के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

15 ‘परंतु यह और कि उस दशा में, जहां धारा 132 के अधीन तलाशी या धारा 132क के अधीन अध्यक्षता के लिए अंतिम प्राधिकार को 1 अप्रैल, 2018 को आरंभ होने वाले वित्त वर्ष के दौरान निष्पादित किया गया था वहां,—

(i) वहां इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) के उपबंधों का ऐसे प्रभाव होगा मानो “इक्कीस मास” शब्दों के स्थान पर, “अठारह मास” शब्द रखे गए हों ;

20 (ii) धारा 153ग में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में, निर्धारण या पुनः निर्धारण करने के लिए परिसीमा की अवधि उस वित्तीय वर्ष, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी या धारा 132क के अधीन अध्यक्षता के अंतिम प्राधिकारों को निष्पादित किया गया था, के अंत से अठारह मास की अवधि या उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अभिगृहीत या अध्यक्षता लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियों को धारा 153ग के अधीन ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दिया जाता है, के अंत से बारह मास की अवधि, जो भी पश्चात्वर्ती हो, होगी :

25 परंतु यह भी कि उस दशा में, जहां धारा 132 के अधीन तलाशी या धारा 132क के अधीन अध्यक्षता के लिए अंतिम प्राधिकारों को 1 अप्रैल, 2019 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित किया गया था वहां,—

(i) इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) के उपबंधों का ऐसे प्रभाव होगा मानो “इक्कीस मास” शब्दों के स्थान पर, “बारह मास” शब्द रखे गए हों ;

30 (ii) धारा 153ग में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में, निर्धारण या पुनः निर्धारण करने के लिए परिसीमा की अवधि उस वित्तीय वर्ष, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी या धारा 132क के अधीन अध्यक्षता के अंतिम प्राधिकारों को निष्पादित किया गया था, के अंत से बारह मास की अवधि या उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अभिगृहीत या अध्यक्षता लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियां धारा 153ग के अधीन ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दिया जाता है, के अंत से बारह मास की अवधि, जो भी पश्चात्वर्ती हो :

35 परंतु यह भी कि उस दशा में, जहां धारा 132 के अधीन तलाशी या धारा 132क के अधीन अध्यक्षता के लिए अंतिम प्राधिकार को निष्पादित किया गया था और कुल आय के निर्धारण या पुनः निर्धारण की कार्यवाहियों के अनुक्रम में धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन निर्देश किया गया है, वहां निर्धारण या पुनः निर्धारण का आदेश करने के लिए उपलब्ध अवधि को बारह मास से विस्तारित किया जाएगा :

40 परंतु यह भी कि उस दशा में, जहां धारा 153ग में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में कुल आय के निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए कार्यवाहियों के अनुक्रम के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन निर्देश किया जाता है, वहां ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा में निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश करने के लिए उपलब्ध अवधि को बारह मास से विस्तारित किया जाएगा ।’;

45 (ख) उपधारा (3) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2016 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु जहां धारा 153क या धारा 153ग के अधीन कोई सूचना 1 जून, 2016 से पूर्व जारी की गई है और स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट समय के अपवर्जन के कारण ऐसी नियत तारीख तक निर्धारण पूरा नहीं हुआ है, वहां ऐसा निर्धारण इस धारा, जैसी वह वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा उसके प्रतिस्थापन से ठीक पूर्व थी, के उपबंधों के अनुसार पूरा किया जाएगा ।’;

(ग) स्पष्टीकरण में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि जहां धारा 245जक के अधीन समझौता आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही का उपशमन होता है, वहां निर्धारण अधिकारी को, यथास्थिति, निर्धारण या पुनः निर्धारण का आदेश करने के लिए इस धारा के अधीन उपलब्ध अवधि, धारा 245जक की उपधारा (4) के अधीन अवधि के अपवर्जन के पश्चात् एक वर्ष से कम नहीं होगी; और जहां परिसीमा की ऐसी अवधि एक वर्ष से कम है, उसे एक वर्ष तक विस्तारित किया गया समझा जाएगा।” 5

धारा 153ग का संशोधन ।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 153ग की उपधारा (1) में, —

(क) दीर्घ पंक्ति में “या अध्यक्षित आस्तियां,” शब्दों के पश्चात्, “उस पूर्ववर्ष, जिसमें तलाशी ली जाती है या अध्यक्षिता की जाती है, से सुसंगत निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती छह निर्धारण वर्षों के लिए और” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) दूसरे परंतुक में, “छह निर्धारण वर्षों की” शब्दों के पश्चात्, “और धारा 153क की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट सुसंगत निर्धारण वर्ष या वर्षों की” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे । 10

धारा 155 का संशोधन ।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 155 की उपधारा (14) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(14क) जहां किसी पूर्ववर्ष के निर्धारण में या किसी पूर्ववर्ष के लिए धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना या समझी गई सूचना में, भारत से बाहर किसी देश या धारा 90, धारा 90क या धारा 91 में निर्दिष्ट भारत से बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त किसी आय-कर के लिए प्रत्यय इस आधार पर नहीं दिया गया है कि ऐसे कर का संदाय किसी विवाद के अधीन था और यदि तत्पश्चात् ऐसे विवाद का समाधान हो जाता है और निर्धारिती, उस मास के, जिसमें विवाद का समाधान हो जाता है, अंत से छह मास के भीतर निर्धारण अधिकारी को विवाद के समाधान का साक्ष्य और ऐसे कर के संदाय का साक्ष्य इस वचनबंध के साथ प्रस्तुत करता है कि किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी रकम के संबंध में किसी प्रत्यय का दावा नहीं किया गया है या दावा नहीं किया जाएगा, वहां निर्धारण अधिकारी धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, निर्धारण आदेश या किसी सूचना या समझी गई किसी सूचना का संशोधन करेगा और धारा 154 के उपबंध यथाशक्य रूप से उसे लागू होंगे : 15 20

परंतु उस कर का, जो विवाद के अधीन था, प्रत्यय उस वर्ष के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जिसमें ऐसी आय को भारत में कर के लिए प्रस्थापित या कर के लिए उसका निर्धारण किया गया था ।”।

नई धारा 194झख का अंतःस्थापन ।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 194झक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2017 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 25

कतिपय व्यष्टियों या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा किराए का संदाय ।

‘194झख. (1) कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, (धारा 194झ के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट से भिन्न) और जो किसी पूर्ववर्ष के दौरान किसी मास या मास के भाग के लिए किराए द्वारा पचास हजार रुपए से अधिक किसी आय का संदाय किसी निवासी को करने के लिए उत्तरदायी है, वह ऐसी रकम के पांच प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती आय-कर के रूप में करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय-कर की कटौती, यथास्थिति, पूर्ववर्ष के अंतिम मास या किराएदारी के अंतिम मास, यदि वर्ष के दौरान संपत्ति रिक्त की जाती है, के लिए, ऐसी आय पर किराए को जमा करने के समय पाने वाले के खाते में या उसके नकद संदाय के समय या चेक अथवा ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से जमा किए जाने के समय, इनमें जो पूर्वतर हो, की जाएगी। 30

(3) धारा 203क के उपबंध, इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे । 35

(4) ऐसे मामले में, जहां कर की कटौती धारा 206कक के उपबंधों के अनुसार की जानी अपेक्षित है, ऐसी कटौती, यथास्थिति, पूर्ववर्ष के अंतिम मास या किराएदारी के अंतिम मास के लिए संदेय किराए की रकम से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “किराया” से किसी भूमि या भवन या दोनों के उपयोग के लिए किसी पट्टा, उप पट्टा, किराएदारी या किसी अन्य करार या ठहराव के अधीन किया गया कोई संदाय, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है ।’। 40

नई धारा 194झग का अंतःस्थापन ।

64. आय-कर अधिनियम में इस प्रकार अंतःस्थापित धारा 194झख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

विनिर्दिष्ट करार के अधीन संदाय ।

“194झग. धारा 194झक में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 45 की उपधारा (5क) में निर्दिष्ट करार के अधीन प्रतिफल द्वारा, जो वस्तु के रूप में प्रतिफल न हो, किसी राशि का किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, पाने वाले के खाते में ऐसी राशि जमा करते समय या इसका नकद में या किसी चेक अथवा ड्राफ्ट या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, ऐसी राशि के दस प्रतिशत के बराबर रकम की आय-कर के रूप में कटौती करेगा ।”। 45

65. आय-कर अधिनियम की धारा 194ज में, तीसरे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक धारा 194ज का संशोधन ।
1 जून, 2017 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि इस धारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो किसी ऐसे पाने वाले की दशा में, जो केवल किसी काल सेंटर के प्रचालन के कारबार में ही लगा हुआ है, “दस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “दो प्रतिशत” शब्द रखे गए हों ।”।

66. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठक के परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक धारा 194ठक का संशोधन ।
अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि इस धारा के अधीन उस दशा में कोई कटौती नहीं की जाएगी, जहां ऐसा संदाय किसी ऐसे अधिनिर्णय या करार की बाबत किया गया है, जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अधीन आय-कर के उद्ग्रहण से छूट प्राप्त है ।”।

67. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठग की उपधारा (2) में,—

धारा 194ठग का संशोधन ।

(क) खंड (i) में, 1 अप्रैल, 2018 से,—

(अ) उपखंड (क) और उपखंड (ग) में, “1 जुलाई, 2017” अंकों और शब्द के स्थान पर, “1 जुलाई, 2020” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) दीर्घ पंक्ति में, “और” शब्द के स्थान पर, “या” शब्द रखा जाएगा ;

(ख) खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) भारत के बाहर किसी स्रोत से 1 जुलाई, 2020 के पूर्व रूप में अंकित बंधपत्र के निर्गमन द्वारा उसके द्वारा उधार ली गई धनराशियों की बाबत, और”।

68. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठघ की उपधारा (2) में, “1 जुलाई, 2017” अंकों और शब्द के स्थान पर धारा 194ठघ का संशोधन ।
“1 जुलाई, 2020” अंक और शब्द, 1 अप्रैल, 2018 से रखे जाएंगे ।

69. आय-कर अधिनियम की धारा 197क में, 1 जून, 2017 से,—

धारा 197क का संशोधन ।

(क) उपधारा (1क) में, “धारा 194क” शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, “या धारा 194घ” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (1ग) में, “धारा 194क” शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, “या धारा 194घ” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

70. आय-कर अधिनियम की धारा 204 में, खंड (iiक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, धारा 204 का संशोधन ।
अर्थात् :—

“(iiख) किसी अनिवासी, जो कंपनी नहीं है, को या किसी विदेशी कंपनी को किसी ऐसी राशि के संदाय के संबंध में, जो चाहे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य है अथवा नहीं, सूचना प्रस्तुत किए जाने की दशा में, स्वयं संदायकर्ता या यदि संदायकर्ता कोई कंपनी है तो स्वयं कंपनी, जिसके अंतर्गत उसका प्रधान अधिकारी भी है ;”।

71. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग में,—

धारा 206ग का संशोधन ।

(क) उपधारा (1घ) में,—

(अ) “या आभूषणों या किसी अन्य माल (सोना-चांदी या आभूषणों से भिन्न)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर “या किसी अन्य माल (सोना-चांदी से भिन्न)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (ii) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (1ड) में, “और आभूषण” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (11) के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण में,—

(अ) खंड (कक) में,—

(I) उपखंड (ii) में, “या उपधारा (1च)” शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर का लोप किया जाएगा ;

(II) उपखंड (ii) में, स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(iii) उपधारा (1च) के संबंध में ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी विक्रय या उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट प्रकृति का माल अभिप्राप्त करता है, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है,—

(अ) केंद्रीय सरकार, कोई राज्य सरकार, किसी विदेशी राज्य का कोई राजदूतावास, कोई उच्चायोग, दूतावास, आयोग, कौंसल कार्यालय और व्यापार प्रतिनिधित्व; या

5

(आ) धारा 10 के खंड (20) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित कोई स्थानीय प्राधिकारी; या

(इ) कोई ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी, जो यात्रियों का वहन करने के कारबार में लगी हुई है;” ;

(आ) खंड (कख) का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 206गग का अंतःस्थापन ।

उस व्यक्ति द्वारा, जिससे संग्रह किया गया है, स्थायी खाता संख्यांक दिए जाने की अपेक्षा ।

72. आय-कर अधिनियम की धारा 206गख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

‘206गग. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी राशि या रकम 10 का, जिस पर अध्याय 17खख के अधीन स्रोत पर कर संग्रहणीय है, संदाय करने वाला कोई भी व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् वह व्यक्ति, जिससे संग्रह किया गया है, कहा गया है) ऐसा कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् संग्रहकर्ता कहा गया है) अपना स्थायी खाता संख्यांक देगा जिसमें असफल रहने पर कर निम्नलिखित दरों से उच्चतर दर पर संगृहीत किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) इस अधिनियम के सुसंगत उपबंध में विनिर्दिष्ट दर का दो गुना ; या

15

(ii) पांच प्रतिशत की दर से ।

(2) धारा 206ग की उपधारा (1क) के अधीन कोई भी घोषणा तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक ऐसी घोषणा में व्यक्ति अपना स्थायी खाता संख्यांक नहीं देता है ।

(3) उस दशा में, जब उपधारा (2) के अधीन कोई घोषणा अविधिमान्य हो जाती है, संग्रहकर्ता, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर का संग्रह करेगा ।

20

(4) धारा 206ग की उपधारा (9) के अधीन कोई भी प्रमाणपत्र तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक उस धारा के अधीन आवेदन में आवेदक का स्थायी खाता संख्यांक नहीं है ।

(5) वह व्यक्ति, जिससे संग्रह किया गया है, अपना स्थायी खाता संख्यांक संग्रहकर्ता को देगा और उसे दोनों समस्त पत्राचार, बिलों, वाउचरों और ऐसे अन्य दस्तावेजों में उपदर्शित करेंगे जो एक दूसरे को भेजे जाते हैं ।

(6) जहां संग्रहकर्ता को दिया गया स्थायी खाता संख्यांक अविधिमान्य है या उस व्यक्ति से संबंधित नहीं है, जिससे 25 संग्रह किया गया है, वहां यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने, जिससे संग्रह किया गया है, संग्रहकर्ता को स्थायी खाता संख्यांक नहीं दिया है और उपधारा (1) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

(7) इस धारा के उपबंध ऐसे अनिवासी को लागू नहीं होंगे जिसका भारत में स्थायी स्थापन नहीं है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “स्थायी स्थापन” अभिव्यक्ति के अन्तर्गत कारबार का ऐसा कोई नियत स्थान आता है जिसके माध्यम से उद्यम का कारबार पूर्णतः या भागतः चलाया जाता है ।’।

30

धारा 211 का संशोधन ।

73. आय-कर अधिनियम की धारा 211 की उपधारा (1) के खंड (ख) में, “धारा 44कघ में निर्दिष्ट किसी पात्र कारबार के संबंध में किसी पात्र निर्धारिती द्वारा” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “ऐसे किसी निर्धारिती द्वारा, जो, यथास्थिति, धारा 44कघ या धारा 44कघक की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार लाभ और अभिलाभ घोषित करता है” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 234ग का संशोधन ।

74. आय-कर अधिनियम की धारा 234ग की उपधारा (1) में,—

35

(i) खंड (क) में, “धारा 44कघ में निर्दिष्ट पात्र कारबार के संबंध में किसी पात्र निर्धारिती” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्धारिती” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, “धारा 44कघ में निर्दिष्ट पात्र कारबार के संबंध में कोई पात्र निर्धारिती” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “ऐसा कोई निर्धारिती, जो, यथास्थिति, धारा 44कघ या धारा 44कघक की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार लाभ और अभिलाभ घोषित करता है” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

40

(iii) पहले परंतुक में,—

(अ) खंड (ग) के अंत में आने वाले “उद्भूत होती है ;” शब्दों के स्थान पर, “उद्भूत होती है ; या” शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (ग) के पश्चात् और दीर्घ पंक्ति से पहले निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) धारा 115खखघक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय,”;

(इ) दीर्घ पंक्ति में, “या खंड (ग)” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर के पश्चात्, “या खंड (घ)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

- 5 **75.** आय-कर अधिनियम की धारा 234ड के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित की जाएगी, नई धारा 234च का अंतःस्थापन।
अर्थात् :—

“234च. (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे धारा 139 के अधीन आय की विवरणी देने की अपेक्षा है, उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन विहित समय के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है, वह फीस के रूप में,—

- 10 (क) पांच हजार रुपए की धनराशि, यदि विवरणी निर्धारण वर्ष की 31 दिसंबर को या उसके पूर्व दी जाती है ;

(ख) किसी अन्य दशा में, दस हजार रुपए की धनराशि,

का संदाय करेगा :

परंतु जहां व्यक्ति की कुल आय पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है, वहां इस धारा के अधीन संदेय फीस एक हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।

- 15 (2) इस धारा के उपबंध, 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए दिए जाने के लिए अपेक्षित आय की विवरणी के संबंध में लागू नहीं होंगे ।”।

2001 का 14

- 76.** आय-कर अधिनियम की धारा 241 [जैसी वह वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 81 द्वारा उसके लोप होने से तुरंत नई धारा 241क का अंतःस्थापन।
पूर्व विद्यमान थी] के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

- 20 “241क. 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए, जहां धारा 143 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन निर्धारिती को किसी रकम का प्रतिदाय शोध्य हो जाता है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी विवरणी के संबंध में धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन कोई सूचना जारी की गई है, निर्धारण अधिकारी की राय यह है कि प्रतिदाय मंजूर किए जाने पर राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, वहां वह लिखित में कारणों को लेखबद्ध करके और, यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से प्रतिदाय को उस तारीख तक रोक सकेगा, जिसको निर्धारण किया जाता है ।”।

- 25 **77.** आय-कर अधिनियम की धारा 244क में,—

धारा 244क का संशोधन ।

(i) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1ख) जहां अध्याय 17ख के अधीन केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त किसी रकम के संबंध में किसी रकम का प्रतिदाय कटौतीकर्ता को देय हो जाता है, वहां ऐसा कटौतीकर्ता, उस तारीख से, जिसको—

(क) प्रतिदाय के लिए दावा विहित प्ररूप में किया जाता है ; या

- 30 (ख) कर संदत्त किया जाता है, जहां धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के मद्दे प्रतिदाय उद्भूत होता है,

उस तारीख तक, जिसको प्रतिदाय अनुदत्त किया जाता है, की अवधि में समाविष्ट प्रत्येक मास या मास के किसी भाग के लिए उक्त रकम के अतिरिक्त उस पर आधा प्रतिशत की दर से परिकलित साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा।”;

- 35 (ii) उपधारा (2) में,—

(क) “निर्धारिती” शब्द के स्थान पर, “यथास्थिति, निर्धारिती या कटौतीकर्ता” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “या उपधारा (1क)” शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के पश्चात्, “या उपधारा (1ख)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

- 40 **78.** आय-कर अधिनियम की धारा 245क के खंड (ख) के स्पष्टीकरण के खंड (iv) में, “सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से दो वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “धारा 153 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण करने के लिए विनिर्दिष्ट समय” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।
धारा 245क का संशोधन ।

धारा 245ड का संशोधन ।

79. आय-कर अधिनियम की धारा 245ड में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(ख) “आवेदक” से अभिप्रेत है—

(अ) कोई ऐसा व्यक्ति, जो—

(I) खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट कोई अनिवासी है ; या

(II) खंड (क) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट कोई निवासी है ; या 5

(III) खंड (क) के उपखंड (ii)क में निर्दिष्ट कोई निवासी है, जो ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों में आता है, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ; या

(IV) ऐसा निवासी है, जो ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों में आता है, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ; या

(V) खंड (क) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट है ; 10

और धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करता है ;

(आ) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28ड के खंड (ग) में यथापरिभाषित कोई आवेदक ; 1962 का 52

(इ) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 23क के खंड (ग) में यथापरिभाषित कोई आवेदक ; 1944 का 1

(ई) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 96क के खंड (ख) में यथापरिभाषित कोई आवेदक ;’। 1994 का 32

धारा 245ण का संशोधन ।

80. आय-कर अधिनियम की धारा 245ण में,— 15

(क) उपधारा (3) में,—

(i) खंड (क) में, “उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश” शब्दों के पश्चात्, “या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या कम से कम सात वर्ष के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) रिक्ति होने की तारीख को,— 20

(i) भारतीय राजस्व सेवा से ऐसा राजस्व सदस्य, जो बोर्ड का सदस्य है या होने के लिए अर्हित है ; या

(ii) भारतीय सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सेवा से ऐसा राजस्व सदस्य, जो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड का सदस्य है या होने के लिए अर्हित है ;”;

(iii) खंड (घ) में, “ऐसा विधि सदस्य, जो” शब्दों के पश्चात्, “रिक्ति होने की तारीख को” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ; 25

(ख) उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(6क) अध्यक्ष के पद पर उसकी मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा कोई रिक्ति होने की दशा में, ज्येष्ठतम उपाध्यक्ष उस तारीख तक, जब तक ऐसी रिक्ति भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

(6ख) उस दशा में, जब अध्यक्ष, अनुपस्थिति, रुग्णता या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है, ज्येष्ठतम उपाध्यक्ष उस तारीख तक, जब तक अध्यक्ष अपना कर्तव्य पुनः नहीं संभाल लेता है, अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करेगा ।”। 30

धारा 245थ का संशोधन ।

81. आय-कर अधिनियम की धारा 245थ की उपधारा (1) में, “इस अध्याय के अधीन” शब्दों के पश्चात्, “या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय 5 के अधीन या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अध्याय 3क के अधीन या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5क के अधीन” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे । 35

धारा 253 का संशोधन ।

82. आय-कर अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (1) के खंड (च) में, “धारा 10 के खंड (23ग) के” शब्दों, अंक, कोष्ठकों और अक्षर के पश्चात्, “उपखंड (iv) या उपखंड (v) या” शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 269घन का अंतःस्थापन। संव्यवहार करने का ढंग।

83. आय-कर अधिनियम की धारा 269घघ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

‘269घन. कोई व्यक्ति तीन लाख रुपए या अधिक की —

(क) किसी व्यक्ति से एक दिन में सकल रकम; या 40

(ख) किसी एकल संव्यवहार के संबंध में; या

(ग) किसी एक घटना या अवसर के संबंध में किन्हीं संव्यवहारों की बाबत किसी व्यक्ति से,

किसी पाने वाले के खाते में देय चेक या खाता देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक निकासी प्रणाली के सिवाय प्राप्त नहीं करेगा:

5 परंतु इस धारा के उपबंध—

(i) निम्नलिखित द्वारा किसी प्राप्ति को लागू नहीं होंगे—

(क) सरकार;

(ख) किसी बैंककारी कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक;

(ii) धारा 269घघ में निर्दिष्ट प्रकृति के संव्यवहारों को लागू नहीं होंगे;

10 (iii) ऐसे अन्य व्यक्तियों के वर्ग या प्राप्तियों को लागू नहीं होंगे, जिन्हें केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “बैंककारी कंपनी” का वही अर्थ होगा जो धारा 269घघ के स्पष्टीकरण के खंड (i) में उसका है;

(ख) “सहकारी बैंक” का वही अर्थ होगा जो धारा 269घघ के स्पष्टीकरण के खंड (ii) में उसका है।

15 **84.** आय-कर अधिनियम की धारा 271घ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“271घक. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 269घघ के उपबंधों के उल्लंघन में कोई राशि प्राप्त करता है तो वह ऐसी प्राप्ति के बराबर रकम का, शास्ति के माध्यम से संदाय करने का दायी होगा :

परंतु ऐसी कोई शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी यदि ऐसा व्यक्ति साबित कर देता है कि उल्लंघन के लिए ठोस और पर्याप्त कारण थे।

20 (2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपणीय कोई शास्ति संयुक्त आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाएगी।”।

85. आय-कर अधिनियम की धारा 271च में, निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2018 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए दी जाने के लिए अपेक्षित आय की विवरणी को और उसके संबंध में लागू नहीं होगी।”।

25 **86.** आय-कर अधिनियम की धारा 271ज के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“271ज. इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) को इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुक्रम में यह पता चलता है कि किसी लेखापाल या किसी वाणिज्यिक बैंककार या किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक ने इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के अधीन प्रस्तुत किसी रिपोर्ट या प्रमाणपत्र में ऐसी गलत जानकारी प्रस्तुत की है, तो निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील), यथास्थिति, ऐसे लेखापाल या वाणिज्यिक बैंककार या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक को यह निदेश दे सकेगा कि वह शास्ति के रूप में ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट या प्रमाणपत्र के लिए दस हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

35 (क) “लेखापाल” से धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट कोई लेखापाल अभिप्रेत है ;

(ख) “वाणिज्यिक बैंककार” से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत प्रवर्ग 1 का वाणिज्यिक बैंककार अभिप्रेत है ;

(ग) “रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक” से धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 2 के खंड (णकक) में परिभाषित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।”।

40 **87.** आय-कर अधिनियम की धारा 273ख में, “धारा 271ज,” शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात्, “धारा 271ज,” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

नई धारा 271घक का संशोधन।

धारा 269घघ के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति।

धारा 271च का संशोधन।

नई धारा 271ज का अंतःस्थापन।

रिपोर्टों या प्रमाणपत्रों में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए शास्ति।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

- धारा 2 का संशोधन। 88. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— 1962 का 52
- (क) खंड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 5
- ‘(3क) “हिताधिकारी स्वामी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी ओर से माल आयात या निर्यात किया जा रहा हो या जो आयात या निर्यात किए जा रहे माल पर प्रभावी नियंत्रण रखता हो ;’;
- (ख) खंड (13) में, “सीमाशुल्क विमान पत्तन” शब्दों के स्थान पर “सीमाशुल्क विमान पत्तन, अंतरराष्ट्रीय कुरियर टर्मिनल, विदेशी डाकघर” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ग) खंड (16) में “आयातित माल या डाक द्वारा निर्यात किए जाने वाले माल की दशा में, धारा 82 में निर्दिष्ट 10 प्रविष्टि या” शब्दों का लोप किया जाएगा ;
- (घ) खंड (20) में, “स्वामी” शब्द के स्थान पर “कोई स्वामी, हिताधिकारी स्वामी” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ङ) खंड (20) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- ‘(20क) “विदेशी डाकघर” से धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन विदेशी डाकघर नियत किया गया कोई डाकघर अभिप्रेत है ;’; 15
- (च) खंड (26) में “स्वामी” शब्द के स्थान पर “कोई स्वामी, हिताधिकारी स्वामी” शब्द रखे जाएंगे ;
- (छ) खंड (28) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- ‘(28क) “अंतरराष्ट्रीय कुरियर टर्मिनल” से धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन अंतरराष्ट्रीय कुरियर टर्मिनल नियत किया गया कोई स्थान अभिप्रेत है ;’;
- (ज) खंड (30क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 20
- ‘(30ख) “यात्री नाम अभिलेख सूचना” से किसी यात्री द्वारा या उसकी ओर से बुक की गई प्रत्येक यात्रा के लिए वायुयान या जलयान या यान का प्रचालक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा तैयार किए गए अभिलेख अभिप्रेत हैं ;’।
- धारा 7 का संशोधन। 89. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— 25
- “(ङ) कुछ डाकघरों को इस प्रकार नियत कर सकती है कि वे ही केवल आयातित माल या निर्यात माल या ऐसे माल के किसी वर्ग की निकासी के लिए विदेशी डाकघर होंगे ;
- (च) कुछ स्थानों को इस प्रकार नियत कर सकती है कि वे ही केवल आयातित माल या निर्यात माल या ऐसे माल के किसी वर्ग की निकासी के लिए अंतरराष्ट्रीय कुरियर टर्मिनल होंगे ।”।
- धारा 17 का संशोधन। 90. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— 30
- “(3) उपधारा (2) के अधीन स्वतः निर्धारण के सत्यापन के लिए, उचित अधिकारी, आयातकर्ता, निर्यातकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति से कोई दस्तावेज या जानकारी, जिसके द्वारा, यथास्थिति, आयातित माल या निर्यात माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क अभिनिश्चित किया जा सकता है, पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा और तदुपरि आयातकर्ता, निर्यातकर्ता या ऐसा अन्य व्यक्ति, ऐसा दस्तावेज पेश करेगा या ऐसी जानकारी देगा ।”।
- धारा 27 का संशोधन। 91. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के पहले परंतुक में, खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 35 अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- “(छ) किसी आयातकर्ता द्वारा, घरेलू उपभोग के लिए माल की निकासी को अनुज्ञात करने वाले किसी आदेश के लिए जाने से पूर्व संदत्त अधिक शुल्क,—
- (i) जहां स्वतः निर्धारित प्रवेश पत्र की दशा में, शुल्क का ऐसा अधिक संदाय प्रवेश पत्र से सुव्यक्त है ; या
- (ii) जहां पुनः निर्धारण की दशा में पुनः निर्धारित प्रवेश पत्र में वास्तविक रूप से संदेय शुल्क उपदर्शित किया जाता है ।”। 40

- 1961 का 43 92. सीमाशुल्क अधिनियम में, धारा 28ड के खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:— धारा 28ड का संशोधन ।
 ‘(ड) “प्राधिकरण” से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245ण के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अभिप्रेत है ;’ ।
- 1961 का 43 5 93. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28च के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 28च के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
 “28च. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245ण के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अग्रिम विनिर्णय देने के लिए प्राधिकरण होगा और उक्त प्राधिकरण इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा :
 परंतु भारतीय राजस्व सेवा (सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क) से ऐसा सदस्य, जो बोर्ड का सदस्य होने के लिए अर्हित है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण का राजस्व सदस्य होगा ।
 (2) उस तारीख से ही, जिसको वित्त विधेयक, 2017 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तत्कालीन अग्रिम विनिर्णय (केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, सीमाशुल्क और सेवा कर) प्राधिकरण के समक्ष लंबित प्रत्येक आवेदन और कार्यवाही, उसी प्रक्रम से प्राधिकरण को अंतरित हो जाएगी, जिस पर ऐसा आवेदन या कार्यवाही, ऐसी अनुमति की तारीख को विद्यमान थी ।” ।
- 15 94. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28छ का लोप किया जाएगा । धारा 28छ का लोप ।
 95. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ज की उपधारा (3) में, “दो हजार पांच सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे । धारा 28ज का संशोधन ।
 96. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28झ की उपधारा (6) में, “नब्बे दिन” शब्दों के स्थान पर, “छह मास” शब्द रखे जाएंगे । धारा 28झ का संशोधन ।
- 20 97. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 30 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 30क का अंतःस्थापन ।
 “30क. (1) किसी ऐसे प्रवहण का, जो भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में प्रवेश करता है, भारसाधक व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाए, उचित अधिकारी को, ऐसे प्ररूप में, ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए ऐसी रीति से तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए,— यात्री और कर्मदल आगमन सूची और यात्री नाम अभिलेख सूचना ।
 (i) किसी वायुयान या किसी जलयान की दशा में, पहुंचने से पूर्व की और किसी यान की दशा में आगमन के समय की, यात्री और कर्मदल आगमन सूची ; और
 (ii) आने वाले यात्रियों की यात्री नाम अभिलेख सूचना, परिदत्त करेगा ।
 (2) जहां उचित अधिकारी को, विहित समय के भीतर यात्री और कर्मदल आगमन सूची या यात्री नाम अभिलेख सूचना या उसका कोई भाग परिदत्त नहीं किया जाता है और यदि उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विलंब के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं था, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट भारसाधक व्यक्ति या अन्य व्यक्ति पचास हजार रुपए से अनधिक की ऐसी शास्ति, जो विहित की जाए का दायी होगा ।” ।
- 15 98. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 41 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 41क का अंतःस्थापन ।
 “41क. (1) किसी ऐसे प्रवहण का, जो भारत से बाहर किसी स्थान को भारत से प्रस्थान करता है, भारसाधक व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाए, उचित अधिकारी को, ऐसे प्ररूप में, ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, ऐसी रीति से तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए— यात्री और कर्मदल प्रस्थान सूची और यात्री नाम अभिलेख सूचना ।
 (i) यात्री और कर्मदल प्रस्थान सूची ; और
 (ii) प्रस्थान करने वाले यात्रियों की यात्री नाम अभिलेख सूचना, परिदत्त करेगा ।
- 40 (2) जहां उचित अधिकारी को, विहित समय के भीतर यात्री और कर्मदल प्रस्थान सूची या यात्री नाम अभिलेख सूचना या उसका कोई भाग परिदत्त नहीं किया जाता है और यदि उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विलंब के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं था, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट भारसाधक व्यक्ति या अन्य व्यक्ति पचास हजार रुपए से अनधिक की ऐसी शास्ति, जो विहित की जाए का दायी होगा ।” ।

धारा 46 का संशोधन ।

99. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(3) आयातकर्ता, उपधारा (1) के अधीन, उस दिन के, जिसको माल का वहन करने वाला ऐसा वायुयान या जलयान या यान ऐसे किसी सीमाशुल्क स्टेशन पर पहुंचता है, जिस पर ऐसे माल की देशी उपभोग या भांडागारण के लिए निकासी की जानी है, पश्चात् आगामी दिवस (अवकाश के दिन को छोड़कर) के अंत से पूर्व प्रवेश पत्र प्रस्तुत करेगा:

5

परंतु कोई प्रवेश पत्र, ऐसे वायुयान या जलयान या यान के, जिसके द्वारा माल को भारत में आयात के लिए भेजा गया है, पहुंचने की संभावित तारीख के तीस दिन के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि जहां प्रवेश पत्र इस प्रकार विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है और उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विलंब के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं था, वहां आयातकर्ता प्रवेश पत्र को देशी से प्रस्तुत किए जाने के लिए ऐसे प्रभारों का, जो विहित किए जाएं संदाय करेगा ।”।

10

धारा 47 का संशोधन ।

100. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (2) में, “जहां आयातकर्ता उस तारीख से” शब्दों से आरंभ होने वाले और “राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तत्समय नियत की जाए” शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“आयातकर्ता—

(क) स्वतः निर्धारण की दशा में, प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को ; या

15

(ख) निर्धारण, पुनः निर्धारण या अनंतिम निर्धारण की दशा में, उस तारीख से, जिसको उचित अधिकारी द्वारा प्रवेश पत्र उसे शुल्क के संदाय के लिए लौटाया जाता है, एक दिन के भीतर (अवकाश के दिन को छोड़कर); या

(ग) उपधारा (1) के परंतुक के अधीन आस्थगित संदाय की दशा में, ऐसी नियत तारीख से, जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए,

आयात शुल्क का संदाय करेगा और यदि वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट समय के भीतर शुल्क का संदाय करने में असफल रहता है, तो वह उसके संदाय की तारीख तक संदत्त न किए गए या कम संदत्त किए गए शुल्क पर केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत ऐसी दर पर, ब्याज का संदाय करेगा, जो दस प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम किन्तु छत्तीस प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी ।”।

20

धारा 49 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

101. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 49 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

निकासी होने या हटाए जाने तक आयातित माल का भांडागार में भंडारकरण ।

“49. जहां,—

25

(क) किसी आयातित माल की दशा में, चाहे शुल्क्य हो या नहीं, जो देशी उपभोग के लिए प्रविष्ट किए गए हैं, आयातकर्ता के आवेदन पर सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि युक्तियुक्त समय के भीतर माल की निकासी नहीं हो सकती है, ;

(ख) किसी ऐसे आयातित शुल्क्य माल की दशा में, जो भांडागारण के लिए प्रविष्ट किए गए हैं, आयातकर्ता के आवेदन पर सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि युक्तियुक्त समय के भीतर माल को भांडागार में निक्षेप के लिए नहीं हटाया जा सकता है,

30

वहां माल को यथास्थिति, निकासी होने तक या हटाए जाने के लिए लम्बित रहने तक सार्वजनिक भांडागार में तीस दिन से अनधिक की अवधि तक भंडारकरण की अनुज्ञा दी जा सकेगी :

परंतु अध्याय 9 के उपबंध इस धारा के अधीन सार्वजनिक भांडागार में भंडारकरण के लिए अनुज्ञात माल को लागू नहीं होंगे :

35

परंतु यह और कि सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त भंडारकरण की अवधि को एक बार में तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।”।

धारा 69 का संशोधन ।

102. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) ऐसे माल की बाबत पोत पत्र या निर्यात पत्र या धारा 84 के अधीन यथाविहित प्ररूप पेश किया गया है ;”।

40

धारा 82 का लोप।

103. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 82 का लोप किया जाएगा ।

धारा 84 का संशोधन ।

104. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 84 के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) वह प्ररूप और रीति, जिसमें डाक द्वारा आयातित या निर्यात किए जाने वाले माल की बाबत कोई प्रविष्टि की जा सकेगी ;”।

105. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ख में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 127ख का संशोधन ।

- 5 “(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आवेदक से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति भी समझौता आयोग को, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, आवेदक से संबंधित किसी ऐसे मामले में उसे जारी ऐसी कारण बताओ सूचना के संबंध में, जिसका समाधान हो गया है या जो समझौता आयोग के समक्ष लंबित है और ऐसी सूचना न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है, आवेदन कर सकेगा।” ।

106. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ग में,— धारा 127ग का संशोधन ।

- 10 (i) उपधारा (3) में, “अधिकारिता रखने वाला सीमाशुल्क आयुक्त से सुसंगत अभिलेखों के साथ रिपोर्ट मांगेगा और आयुक्त” शब्दों के स्थान पर, “अधिकारिता रखने वाला, यथास्थिति, सीमाशुल्क आयुक्त या राजस्व आसूचना का प्रधान अपर महानिदेशक या राजस्व आसूचना का अपर महानिदेशक से सुसंगत अभिलेखों के साथ रिपोर्ट मांगेगा और ऐसा आयुक्त या अपर महानिदेशक” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

- 15 “(5क) समझौता आयोग, उपधारा (5) के अधीन आदेश पारित करने की तारीख से तीन मास के भीतर किसी भी समय, अभिलेख को देखने से ही प्रकट होने वाली किसी गलती का परिशोधन करने के लिए, स्वप्रेरणा से या अधिकारिता रखने वाला सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त या राजस्व आसूचना के प्रधान अपर महानिदेशक या राजस्व आसूचना के अपर महानिदेशक या आवेदक द्वारा ऐसी गलती को उसकी जानकारी में लाए जाने पर, ऐसे आदेश का संशोधन कर सकेगा :

- 20 परंतु इस उपधारा के अधीन ऐसा कोई संशोधन जिसका प्रभाव आवेदक के दायित्व में अभिवृद्धि करने वाला है, तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि समाधान आयोग द्वारा, आवेदक और, यथास्थिति, अधिकारिता रखने वाला सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त या राजस्व आसूचना के प्रधान अपर महानिदेशक या राजस्व आसूचना के अपर महानिदेशक को ऐसे आशय की सूचना न दे दी गई हो और उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया हो ।” ।

- 25 **107.** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 157 की उपधारा (2) में, खंड (कक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 157 का संशोधन ।

“(कख) आगमन और प्रस्थान के लिए यात्री और कर्मदल सूची तथा यात्री नाम अभिलेख सूचना देने का प्ररूप, विशिष्टियां, रीति और समय तथा धारा 30क और धारा 41क के अधीन ऐसी सूचना परिदत्त करने में विलंब के लिए शास्ति ;” ।

30

सीमाशुल्क टैरिफ

- 1975 का 51 **108.** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 का संशोधन। धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) सहायिकी, वस्तुओं के विनिर्माण, उत्पादन या निर्यात में लगे हुए व्यक्तियों की सीमित संख्या को प्रदत्त की गई है ;” ।

- 35 **109.** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का,— पहली अनुसूची का संशोधन ।

(क) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ;

(ख) तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में भी संशोधन किया जाएगा ।

- 110.** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची का, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा। दूसरी अनुसूची का संशोधन ।

उत्पाद-शुल्क

- 1944 का 1 **40** **111.** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 23क के खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 23क का संशोधन ।

- 1962 का 52 “(ड) “प्राधिकरण” से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28ड के खंड (ड) के अधीन यथा परिभाषित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अभिप्रेत है ;” ।

- धारा 23ख का लोप । **112.** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23ख का लोप किया जाएगा ।
- धारा 23ग का संशोधन। **113.** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23ग की उपधारा (3) में, “दो हजार पांच सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।
- धारा 23घ का संशोधन। **114.** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23घ की उपधारा (6) में, “नब्बे दिन” शब्दों के स्थान पर, “छह मास” शब्द रखे जाएंगे ।
- नई धारा 23ज का अंतःस्थापन। **115.** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23ज के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
- संक्रमणकालीन उपबंध । “23ज. उस तारीख से ही, जिसको वित्त विधेयक, 2017 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तत्कालीन अग्रिम विनिर्णय (केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, सीमाशुल्क और सेवा कर) प्राधिकरण के समक्ष लंबित प्रत्येक आवेदन और कार्यवाही, उसी प्रक्रम से प्राधिकरण को अंतरित हो जाएंगी, जिस पर ऐसा आवेदन या कार्यवाही, ऐसी अनुमति की तारीख को विद्यमान थी ।” ।
- धारा 32ड का संशोधन। **116.** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ड में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- “(5) किसी निर्धारिती से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति भी समझौता आयोग को, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, निर्धारिती से संबंधित किसी ऐसे मामले में, उसे जारी ऐसी कारण बताओ सूचना के सम्बन्ध में, जिसका समाधान हो गया है या जो समझौता आयोग के समक्ष लंबित है और ऐसी सूचना किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है, आवेदन कर सकेगा।” ।
- धारा 32च का संशोधन। **117.** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32च में,—
- (i) उपधारा (3) में, “अधिकारिता रखने वाला केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त से सुसंगत अभिलेखों के साथ रिपोर्ट मांगेगा और आयुक्त” शब्दों के स्थान पर, “अधिकारिता रखने वाला, यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आसूचना का प्रधान अपर महानिदेशक या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आसूचना का अपर महानिदेशक से सुसंगत अभिलेखों के साथ रिपोर्ट मांगेगा और ऐसा आयुक्त या अपर महानिदेशक” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- “(5क) समझौता आयोग, उपधारा (5) के अधीन आदेश पारित करने की तारीख से तीन मास के भीतर किसी भी समय, अभिलेख को देखने से ही प्रकट होने वाली किसी गलती का परिशोधन करने के लिए स्वप्रेरणा से या अधिकारिता रखने वाला केंद्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आसूचना के प्रधान अपर महानिदेशक या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आसूचना के अपर महानिदेशक या आवेदक द्वारा ऐसी गलती को उसकी जानकारी में लाए जाने पर, ऐसे आदेश का संशोधन कर सकेगा :
- परंतु इस उपधारा के अधीन ऐसा संशोधन, जिसका प्रभाव आवेदक के दायित्व में अभिवृद्धि करने वाला है, तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि समझौता आयोग द्वारा, आवेदक और, यथास्थिति, अधिकारिता रखने वाला केंद्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आसूचना के प्रधान अपर महानिदेशक या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आसूचना के अपर महानिदेशक को ऐसे आशय की सूचना न दे दी गई हो और उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया हो ।” ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

- पहली अनुसूची का संशोधन। **118.** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची का पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।
- पहली अनुसूची में की कतिपय प्रविष्टियों का भूतलक्षी रूप से संशोधन। **119.** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 87 के स्तंभ (4) में, टैरिफ मद 8702 90 21, 8702 90 22, 8702 90 28 और 8702 90 29 के सामने आने वाली प्रविष्टि “27%” के स्थान पर “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी और 1 जनवरी, 2017 से भूतलक्षी रूप से रखी गई समझी जाएगी ।

अध्याय 5

सेवा कर

- धारा 65ख का संशोधन। **120.** वित्त अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 1994 का अधिनियम कहा गया है) की धारा 65ख के खंड (40) का लोप किया जाएगा ।

121. 1994 के अधिनियम की धारा 66घ के खंड (च) का लोप किया जाएगा । धारा 66घ का संशोधन।
122. 1994 के अधिनियम की धारा 96क के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 96क का संशोधन।
 ‘(घ) “प्राधिकरण” से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28ड के खंड (ड) के अधीन यथा परिभाषित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अभिप्रेत है ;’ ।
- 5 123. 1994 के अधिनियम की धारा 96ख का लोप किया जाएगा । धारा 96ख का लोप।
124. 1994 के अधिनियम की धारा 96ग की उपधारा (3) में, “दो हजार पांच सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे । धारा 96ग का संशोधन।
125. 1994 के अधिनियम की धारा 96घ की उपधारा (6) में, “नब्बे दिन” शब्दों के स्थान पर, “छह मास” शब्द रखे जाएंगे । धारा 96घ का संशोधन।
- 10 126. 1994 के अधिनियम की धारा 96ज के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 96जक का अंतःस्थापन ।
 “96जक. उस तारीख से ही, जिसको वित्त विधेयक, 2017 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तत्कालीन अग्रिम विनिर्णय (केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, सीमाशुल्क और सेवा कर) प्राधिकरण के समक्ष लंबित प्रत्येक आवेदन और कार्यवाही, उसी प्रक्रम से प्राधिकरण को अंतरित हो जाएगी, जिस पर ऐसा आवेदन या कार्यवाही, ऐसी अनुमति की तारीख को विद्यमान थी ।”। संक्रमणकालीन उपबंध ।
- 15 127. 1994 के अधिनियम की धारा 103 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— नई धारा 104 और नई धारा 105 का अंतःस्थापन ।
 “104. (1) धारा 66 में, जैसी वह 1 जुलाई, 2012 से पूर्व थी या धारा 66ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1 जून, 2007 से प्रारंभ होने वाली और 21 सितंबर, 2016 को समाप्त होने वाली अवधि (दोनों दिन सम्मिलित हैं) के दौरान, किसी राज्य सरकार के औद्योगिक विकास निगम या उपक्रम द्वारा औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक प्लांटों का तीस वर्ष या अधिक का दीर्घकालिक पट्टा देकर उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराए जाने के लिए करार पायी गई कराधेय सेवा के संबंध में एक बारगी उद्ग्रहणीय (प्रीमियम, सलामी, लागत, कीमत, विकास प्रभार या जिस भी नाम से ज्ञात) अग्रिम रकम पर कोई सेवा कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा । औद्योगिक प्लांटों के दीर्घकालिक पट्टे से संबंधित कतिपय मामलों में छूट के लिए विशेष उपबंध ।
 (2) ऐसे समस्त सेवा कर का प्रतिदाय किया जाएगा, जो संगृहीत किया गया है किंतु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रही होती ।
 (3) इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन, उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2017 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।
- 20 105. (1) धारा 66 में, जैसी वह 1 जुलाई, 2012 से पूर्व थी या धारा 66ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 10 सितंबर, 2004 से प्रारंभ होने वाली और 1 फरवरी, 2016 को समाप्त होने वाली अवधि (दोनों दिन सम्मिलित हैं) के दौरान, केंद्रीय सरकार की समूह बीमा स्कीमों के अधीन क्रमशः सेना, नौसेना और वायु सेना के सदस्यों को जीवन बीमा द्वारा सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई गई कराधेय सेवाओं के संबंध में कोई सेवा कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा । संघ के सशस्त्र बलों के सदस्यों को उपलब्ध कराई गई जीवन बीमा सेवाओं से संबंधित कतिपय मामलों में छूट के लिए विशेष उपबंध।
 (2) ऐसे समस्त सेवा कर का प्रतिदाय किया जाएगा, जो संगृहीत किया गया है किंतु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समय पर प्रवर्तन में रही होती ।
 (3) इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन, उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2017 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।”।
- 25 128. (1) 1994 के अधिनियम की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सेवा कर (मूल्य अवधारण) नियम, 2006 में, जो भारत के राजपत्र में, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 228(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे,— सेवा कर (मूल्य अवधारण) नियम, 2006 के नियम 2क का भूतलक्षी रूप से संशोधन ।
- 40 (क) सा0का0नि0 संख्यांक 375(अ), तारीख 22 मई, 2007 द्वारा प्रकाशित सेवा कर (मूल्य अवधारण) (संशोधन) नियम, 2007 द्वारा यथा अंतःस्थापित नियम 2क ; और
 (ख) सा0का0नि0 संख्यांक 431(अ), तारीख 6 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित सेवा कर (मूल्य अवधारण) दूसरा संशोधन नियम, 2012 द्वारा यथा प्रतिस्थापित नियम 2क,

का संशोधन किया जाएगा और उसे छठी अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक नियम के सामने, उसके स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति में, स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही और उस तक संशोधित हुआ समझा जाएगा।

(2) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित उपबंधों के संबंध में छठी अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान किसी समय की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्यतः और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त था।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार को, भूतलक्षी प्रभाव से, नियम बनाने की शक्ति होगी और उसके पास नियम बनाने की शक्ति का इस प्रकार होना समझा जाएगा मानो केंद्रीय सरकार के पास सभी तात्त्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 के अधीन नियम बनाने की शक्ति थी।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से की गई कोई कार्रवाई या किया गया कोई लोप किसी ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवृत्त नहीं हुई होती।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

भाग 1

भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ।
1882 के अधिनियम सं० 2 की धारा 20 का संशोधन।

129. इस भाग के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

130. भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 [भारतीय न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित] की धारा 20 में,—

(i) “के अधधीन रहते हुए, उस धन को न्यास की लिखत द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के वर्ग में या केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में विनिहित करेगा” शब्दों के स्थान पर “के अधीन रहते हुए, उस धन का विनिधान करेगा जो न्यास की लिखत द्वारा या भारत सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किन्ही प्रतिभूतियों या प्रतिभूतियों के वर्ग में अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत है” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक में, “ऊपर उल्लिखित किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के वर्ग में” शब्दों का लोप किया जाएगा।

भाग 2

भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ।
1898 के अधिनियम सं० 6 की धारा 7 का संशोधन।

131. इस भाग के उपबंध 1 अप्रैल, 2017 को प्रवृत्त होंगे।

132. भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 7 में,—

(क) उपधारा (1) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने तक, पहली अनुसूची में उपवर्णित दरें, इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य दरें होंगी;”;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

भाग 3

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ।
1934 के अधिनियम सं० 2 की धारा 31 अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
का संशोधन।

133. इस भाग के उपबंध 1 अप्रैल, 2017 को प्रवृत्त होंगे।

134. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 31 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

‘(3) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, निर्वाचन बंधपत्र निर्गमित करने के लिए किसी अधिसूचित बैंक को प्राधिकृत कर सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “निर्वाचन बंधपत्र” से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली स्कीम के अधीन किसी अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गमित कोई बंधपत्र अभिप्रेत है।’।

भाग 4

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का संशोधन

135. इस भाग के उपबंध 1 अप्रैल, 2017 को प्रवृत्त होंगे।

इस भाग का प्रारंभ।

136. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1951 के अधिनियम सं० 43 की धारा 29ग का संशोधन।

“परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी निर्वाचन बंधपत्र द्वारा प्राप्त अभिदायों को लागू नहीं होगी।

1934 का 2

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “निर्वाचन बंधपत्र” से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 31 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट कोई बंधपत्र अभिप्रेत है।’

भाग 5

10

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 का संशोधन

137. इस भाग के उपबंध 1 अप्रैल, 2017 का प्रवृत्त होंगे।

इस भाग का प्रारंभ।

138. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 की धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

1974 के अधिनियम सं० 47 की धारा 18 का संशोधन।

“(ड) तेल और गैस सेक्टर में किसी केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा केन्द्रीय सरकार की ओर से उपगत किसी व्यय की पूर्ति के लिए;

(च) तेल और गैस सेक्टर से संबंधित किसी स्कीम या क्रियाकलाप पर केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय की पूर्ति के लिए।”।

भाग 6

अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 का निरसन

139. इस भाग के उपबंध 1 अप्रैल, 2017 को प्रवृत्त होंगे।

इस भाग का प्रारंभ।

1986 का 32

20 140. अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 निरसित किया जाता है।

1986 के अधिनियम सं० 32 का निरसन।

141. (1) इस अधिनियम द्वारा, अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 का निरसन—

व्यावृत्ति।

(क) किसी ऐसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें निरसित अधिनियमिति को लागू, निगमित या निर्दिष्ट किया गया है;

(ख) पहले की गई या हुई किसी बात की, या पहले अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व या उसकी बाबत किसी उपचार या कार्यवाही की या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या मांग की किसी निर्मुक्ति या उससे उन्मोचन की या पहले प्रदत्त किसी संरक्षण या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणामों को प्रभावित नहीं करेगा;

(ग) किसी विधि के सिद्धांत या नियम को, या किसी स्थापित अधिकारिता को, अभिवचन के प्ररूप या क्रम को, पद्धति या प्रक्रिया को या विद्यमान प्रथा, रूढि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को, इस बात के होते हुए भी प्रभावित नहीं करेगा कि उसे क्रमशः इसके द्वारा निरसित अधिनियमिति में या उसके द्वारा किसी रीति में, अभिपुष्ट किया गया है या मान्यता दी गई है या व्युत्पन्न किया गया है।

(घ) किसी अधिकारिता, पद, रूढि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या ऐसे किसी अन्य विषय या बात को, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं करेगा।

1897 का 10

35 6 (2) उपधारा (1) में विशिष्ट विषय का उल्लेख, निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा के साधारण रूप से लागू होने के प्रतिकूल नहीं होगी या उस पर प्रभाव नहीं डालेगी।

1986 का 32

142. अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 के निरसन होने पर भी इस भाग के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पहले, उक्त अधिनियम के अधीन उद्गृहीत शुल्कों के आगम,—

शुल्कों के बकाया का संग्रहण और संदाय।

(i) यदि संग्रहण करने वाले अभिकरणों द्वारा संगृहीत किए गए हैं किन्तु, भारतीय रिजर्व बैंक को संदत्त नहीं किए गए हैं; या

40 (ii) यदि संग्रहण करने वाले अभिकरणों द्वारा संगृहीत नहीं किए गए हैं,

यथास्थिति, संदत्त या संगृहीत किए जाएंगे और उन्हें भारत की संचित निधि में जमा किए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को संदत्त किया जाएगा।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ। 143. इस भाग के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस भाग के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

1992 के अधिनियम सं० 15 का संशोधन। 144. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(अ) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(घक) “बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण” से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(घख) “न्यायिक सदस्य” से धारा 15डक की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिभूति अपील अधिकरण का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत पीठासीन अधिकारी भी है ;’;

(आ) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(चक) “पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण” से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है ;’;

(इ) खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(ज) “तकनीकी सदस्य” से धारा 15डख की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है।’

अध्याय 6ख का संशोधन।

145. मूल अधिनियम के अध्याय 6ख में,—

(क) अध्याय शीर्षक में, “अपील अधिकरण” शब्दों के स्थान पर, “प्रतिभूति अपील अधिकरण” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) धारा 15ट के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“ 15ट. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रतिभूति अपील अधिकरण नामक अधिकरण की स्थापना, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए करेगी।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना में, उन विषयों और स्थानों को भी विनिर्दिष्ट करेगी जिनके संबंध में प्रतिभूति अपील अधिकरण अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगा।’;

(ग) धारा 15ट के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“15ट. (1) प्रतिभूति अपील अधिकरण में, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन करने के लिए एक पीठासीन अधिकारी और उतनी संख्या में न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्य होंगे, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अवधारित करे।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) प्रतिभूति अपील अधिकरण की अधिकारिता का प्रयोग उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा ;

(ख) किसी न्यायपीठ का गठन, प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा दो या अधिक ऐसे न्यायिक या तकनीकी सदस्यों से, जो वह ठीक समझे, किया जा सकेगा ;

परंतु प्रत्येक गठित न्यायपीठ के अंतर्गत कम से कम एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य होगा;

(ग) प्रतिभूति अपील अधिकरण की न्यायपीठें साधारणतया मुंबई में आसीन होंगी तथा ऐसे अन्य स्थानों पर भी आसीन हो सकेंगी जो केंद्रीय सरकार पीठासीन अधिकारी के परामर्श से अधिसूचित करे।

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पीठासीन अधिकारी, प्रतिभूति अपील अधिकरण के किसी न्यायिक सदस्य या किसी तकनीकी सदस्य को एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ में स्थानांतरित कर सकेगा।’;

प्रतिभूति अपील अधिकरण की स्थापना।

प्रतिभूति अपील अधिकरण की संरचना।

(घ) धारा 15ड के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“15ड. कोई व्यक्ति प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी या किसी न्यायिक सदस्य या किसी पीठासीन अधिकारी, न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह,—

- 5 (क) पीठासीन अधिकारी की दशा में कम से कम सात वर्ष के लिए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा है ; और
- (ख) किसी न्यायिक सदस्य की दशा में कम से कम पांच वर्ष के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है ; या

(ग) किसी तकनीकी सदस्य की दशा में,—

- 10 (i) केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग में सचिव या अपर सचिव या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार में किसी समतुल्य पद पर है या रहा है ; या

(ii) वित्तीय सेक्टर, जिसके अंतर्गत प्रतिभूति बाजार या पेंशन निधि या वस्तु व्युत्पाद या बीमा भी है, में विशेष ज्ञान तथा पन्द्रह वर्ष से अन्वून का वृत्तिक अनुभव रखने वाला सिद्ध योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है ।

- 15 15डक. प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और न्यायिक सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके नामनिर्देशिती के परामर्श से नियुक्त किए जाएंगे । पीठासीन अधिकारी और न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति।

15डख. (1) प्रतिभूति अपील अधिकरण के तकनीकी सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा, निम्नलिखित से मिलकर बनी खोज-सह-चयन समिति के परामर्श से नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :— तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोज-सह-चयन समिति ।

(क) पीठासीन अधिकारी, प्रतिभूति अपील अधिकरण — अध्यक्ष ;

(ख) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग — सदस्य ;

- 20 (ग) सचिव, वित्तीय सेवा विभाग — सदस्य ; और

(घ) सचिव, विधायी विभाग या सचिव, विधि कार्य विभाग — सदस्य ।

(2) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, खोज-सह-चयन समिति का संयोजक होगा ।

(3) खोज-सह-चयन समिति, उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के नामों की सिफारिश के लिए अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगी ।

- 25 15डग. (1) प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी, किसी न्यायिक सदस्य या किसी तकनीकी सदस्य की नियुक्ति, केवल चयन समिति में किसी रिक्ति के कारण या उसके गठन में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी । रिक्ति से चयन कार्यवाही का अविधिमान्य न होना।

- 30 (2) बोर्ड या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के किसी सदस्य या अंशकालिक सदस्य को या बोर्ड या ऐसे प्राधिकरणों में कार्यकारी निदेशक के समतुल्य ज्येष्ठ प्रबंध स्तर पर के किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, बोर्ड या ऐसे प्राधिकरणों में उसकी सेवा या पदावधि के दौरान, या उस तारीख से, जिसको वह बोर्ड या ऐसे प्राधिकरणों में उस हैसियत से पद धारण करने से प्रविरत हो जाता है, दो वर्ष के भीतर प्रतिभूति अपील अधिकरण का उस हैसियत से पीठासीन अधिकारी या सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा।

- 35 (3) वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 7 के प्रारंभ की तारीख को पद धारण करने वाला प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी या ऐसा अन्य सदस्य, ऐसी अवधि के लिए पद धारण करता रहेगा जिसके लिए वह नियुक्त किया गया था और इस अधिनियम के अन्य उपबंध ऐसे पीठासीन अधिकारी या ऐसे अन्य सदस्य को इस प्रकार लागू होंगे मानो वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 का भाग 7 अधिनियमित नहीं किया गया था।”।

(ड) धारा 15ड के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

- 40 “15ड. प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी या प्रत्येक न्यायिक या तकनीकी सदस्य उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और अधिकतम पांच वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा : प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी, न्यायिक या तकनीकी सदस्यों की पदावधि।

परंतु कोई भी पीठासीन अधिकारी या न्यायिक और तकनीकी सदस्य उसके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।”;

(च) धारा 15त के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“15तक. प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद में, उसकी मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा कोई रिक्ति होने की दशा में प्रतिभूति अपील अधिकरण का ज्येष्ठतम न्यायिक सदस्य पीठासीन अधिकारी के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिसको इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी नए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है।”;

5

(छ) धारा 15थ की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(2) केंद्रीय सरकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई जांच के पश्चात् प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी या न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य को हटा सकेगी, यदि —

(क) वह दिवालिया न्यायनिर्णीत है या किसी भी समय किया गया है ;

(ख) वह पीठासीन अधिकारी, न्यायिक या तकनीकी सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है ;

(ग) वह किसी ऐसे अपराध का दोषसिद्ध किया गया है जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ;

(घ) उसने केंद्रीय सरकार की राय में अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए हानिकर है ; या

15

(ङ) उसने ऐसा वित्तीय हित या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे पीठासीन अधिकारी या न्यायिक या तकनीकी सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है :

परंतु उसे खंड (घ) और खंड (ङ) के अधीन तब तक पद से नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।”;

(ज) धारा 15न में,—

20

(I) उपधारा (1) में,—

(अ) खंड (ख) में “किसी आदेश से,” शब्दों के स्थान पर, “किसी आदेश से; या” शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (ख) और दीर्घ पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के किसी आदेश द्वारा ”;

25

(II) उपधारा (3) में, “न्यायनिर्णायक अधिकारी” शब्दों के पश्चात् “या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(III) उपधारा (5) में, “बोर्ड” शब्द के स्थान पर “यथास्थिति, बोर्ड या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण” शब्द रखे जाएंगे ;

(झ) धारा 15प की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

30

“(4) जहां न्यायपीठों का गठन किया जाता है वहां प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी समय-समय पर न्यायपीठों के बीच प्रतिभूति अपील अधिकरण के कार्य के वितरण के बारे में उपबंध कर सकेगा और ऐसे विषयों का भी उपबंध कर सकेगा जिनका निपटारा प्रत्येक न्यायपीठ द्वारा किया जा सकेगा।

(5) प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी किसी भी पक्षकार के आवेदन पर तथा पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात् और उनमें से ऐसे पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात्, जिनको सुनने की वह वांछ करे या स्वप्रेरणा से बिना सूचना दिए एक न्यायपीठ के समक्ष लंबित किसी मामले को निपटारे के लिए किसी दूसरी न्यायपीठ को अंतरित कर सकेगा।

35

(6) यदि प्रतिभूति अपील अधिकरण की दो सदस्यों वाली किसी न्यायपीठ की राय में किसी बिंदु पर मतभेद हो तो वे उस बिंदु या बिंदुओं का कथन करेंगे, जिन पर उनका मतभेद है और प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को निर्देश करेंगे जो या तो स्वयं उस बिंदु या बिंदुओं पर सुनवाई करेगा या उस मामले को केवल उस बिंदु या बिंदुओं पर सुनवाई के लिए प्रतिभूति अपील अधिकरण के एक या अधिक सदस्यों को निर्दिष्ट करेगा और ऐसे बिंदु या बिंदुओं का विनिश्चय प्रतिभूति अपील अधिकरण के उन सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा, जिन्होंने मामले की सुनवाई की हो, जिसके अंतर्गत वे भी हैं, जिन्होंने इसकी पहले सुनवाई की थी।”।

40

वित्त अधिनियम, 2005 का संशोधन

146. वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची का सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा। 2005 के अधिनियम सं० 18 का संशोधन।

5 संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 का संशोधन

147. इस भाग के उपबंध, उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस भाग इस भाग का प्रसंभ। के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2007 का 51

148. संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) 2007 के अधिनियम के अध्याय 2 के स्थान पर, निम्नलिखित अध्याय रखा जाएगा, अर्थात् :— सं० 51 का संशोधन।

10

‘अध्याय 2

अभिहित प्राधिकारी

3. (1) इस अधिनियम के अधीन संदाय प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए रिजर्व बैंक, अभिहित अभिहित प्राधिकारी। प्राधिकारी होगा।

(2) रिजर्व बैंक, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन 15 “संदाय विनियामक बोर्ड” नामक बोर्ड के माध्यम से करेगा।

(3) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) रिजर्व बैंक का गवर्नर — अध्यक्ष, पदेन ;

(ख) रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर, जो संदाय और निपटान प्रणालियों का प्रभारी हो — सदस्य, पदेन ;

(ग) रिजर्व बैंक का एक अधिकारी, जिसे रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित किया जाए — सदस्य, 20 पदेन ; और

(घ) तीन व्यक्ति, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएं — सदस्य।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट बोर्ड की शक्तियां और कृत्य, उसके अधिवेशनों का समय और स्थान, ऐसे अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाएं (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) और उसके आनुषंगिक अन्य विषय ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं।

25 149. मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (क) में, “उपधारा (2) के अधीन गठित समिति” शब्दों, धारा 38 का कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, “उपधारा (2) में निर्दिष्ट बोर्ड” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे। संशोधन।

वित्त अधिनियम, 2016 का संशोधन

150. वित्त अधिनियम, 2016 में,—

2016 के अधिनियम सं० 28 का संशोधन।

30 (i) धारा 50 में, “1 अप्रैल, 2017 से रखे जाएंगे” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2013 से रखे गए समझे जाएंगे” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) धारा 197 के खंड (ग) का लोप किया जाएगा और उसका 1 जून, 2016 से लोप किया गया समझा जाएगा।

अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

1931 का 16

35

यह घोषणा की जाती है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 109(क), खंड 110, खंड 118 और खंड 146 के उपबंध अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रवृत्त होंगे।

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

5

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;	10
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु से अधिक हो जाती है ;	
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु से अधिक नहीं है	25,000 रु धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु से अधिक हो जाती है ;	
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु से अधिक है	1,25,000 रु धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु से अधिक हो जाती है ।	15

(II) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रु से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;	20
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रु से अधिक है किंतु 5,00,000 रु से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु से अधिक हो जाती है ;	
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु से अधिक है किंतु 10,00,000 रु से अधिक नहीं है	20,000 रु धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु से अधिक हो जाती है ;	
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु से अधिक है	1,20,000 रु धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु से अधिक हो जाती है ।	25

(III) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;	
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु से अधिक है किंतु 10,00,000 रु से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु से अधिक हो जाती है ;	30
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु से अधिक है	1,00,000 रु धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु से अधिक हो जाती है ।	

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य 40 में है।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

- (1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है कुल आय का 10 प्रतिशत ;
- 5 (2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है 1,000 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
- (3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है 3,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

- 10 इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

- 15 परंतु ऊपर उल्लिखित सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

- 20 संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

- इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

- 25 परंतु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

- 30 संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

- इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

- 35 परंतु ऊपर उल्लिखित स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

- 40 I. देशी कंपनी की दशा में,—
- (i) जहां पूर्ववर्ष 2014-15 में इसका कुल आवर्त या कुल प्राप्तियां पांच करोड़ रुपए से अधिक न हो कुल आय का 29 प्रतिशत ;
- (ii) मद (i) में निर्दिष्ट के सिवाय कुल आय का 30 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

- 45 (i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; अथवा

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है

50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो

40 प्रतिशत ।

5

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; 10
और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से, 15

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से, उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है । 20

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी :— 25

	आय-कर की दर	
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—		
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—		30
(i) “प्रतिभूतियों पर ब्याज” से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;	
(ii) लाटरी, वर्ग पहिली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	5 प्रतिशत ;	
(v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर—	10 प्रतिशत ;	35
(अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या प्रतिभूतियां ;		
(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं ;		40
(इ) केंद्रीय या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति		
(vi) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;	
(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—		

	(i) किसी अनिवासी भारतीय की दशा में,—	
	(अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;
5	(आ) धारा 115ड या धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
	(इ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
	(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
10	(उ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
15	(ऊ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	10 प्रतिशत ;
20	(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(ऊ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर	10 प्रतिशत ;
25	(ए) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
30	(ऐ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
	(ओ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
	(औ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
	(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—	
35	(अ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
40	(आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है,	10 प्रतिशत ;
45	(इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर	10 प्रतिशत ;
50	(ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, वहां उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा प्रत्येक तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर	
(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(ऋ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;	
(ए) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;	5
(ऐ) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;	
(ओ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;	
2. किसी कंपनी की दशा में,—		10
(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—		
(i) “प्रतिभूतियों पर ब्याज” से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;	
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(iv) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;	15
(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—		
(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(iii) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;	20
(iv) उसके द्वारा 31 मार्च, 1976 के पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	10 प्रतिशत ;	25
(v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है]—		30
(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;	
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;	
(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—		35
(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;	
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;	40
(vii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;	
(viii) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;	
(ix) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;	45
(x) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत ।	

स्पष्टीकरण — इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजनों के लिए, “विनिधान से आय” और “अनिवासी भारतीय” के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में उनके हैं ।

आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,—

(i) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, —

5 (क) प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है —

(I) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य, कटौती के अधीन रहते हुए आय या ऐसी आयों का योग पचास लाख रुपए से अधिक है किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;

(II) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य, कटौती के अधीन रहते हुए आय या ऐसी आयों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से; और ;

10 (ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य, कटौती के अधीन रहते हुए आय या ऐसी आयों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है। ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ,

परिकलित अधिभार, बढ़ा दिया जाएगा ;

(ii) इस भाग की मद 2 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

15 (क) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से; और

(ख) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, बढ़ा दिया जाएगा।

भाग 3

20 कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और “अग्रिम कर” की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा ‘वेतन’ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय ‘अग्रिम कर’ की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या ‘अग्रिम कर’ [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 115जग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ‘अग्रिम कर’ नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खक या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखग या धारा 115खखघ या धारा 115खखघक या धारा 115खखड या धारा 115खखच या धारा 115खखछ या धारा 115ड या धारा 115जख या धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे “अग्रिम कर” पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :—

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

35

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु० से अधिक नहीं है

कुछ नहीं ;

(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु० से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु० से अधिक नहीं है

उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु० से अधिक हो जाती है ;

40 (3) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु० से अधिक नहीं है

12,500 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ;

(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक है

1,12,500 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

45

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रु० से अधिक नहीं है

कुछ नहीं ;

(2) जहां कुल आय 3,00,000 रु० से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु० से अधिक नहीं है

उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ;

50 (3) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु० से अधिक नहीं है

10,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ;

(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक है

1,10,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;	
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु से अधिक है, किन्तु 10,00,000 रु से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु से अधिक होती जाती है ;	5
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु से अधिक है	1,00,000 रु धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु से अधिक हो जाती है।	

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, — 10

(क) जिसकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है किन्तु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से; और
(ख) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,
परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय, —		15
(क) पचास लाख रुपए से अधिक है किन्तु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।		
(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।		

पैरा ख

20

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;	
(2) जहां कुल आय 10,000 रु से अधिक है, किन्तु 20,000 रु से अधिक नहीं है	1,000 रु धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु से अधिक हो जाती है ;	25
(3) जहां कुल आय 20,000 रु से अधिक है	3,000 रु धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु से अधिक हो जाती है ।	

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा : 30

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ग

35

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा : 40

परंतु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है । 45

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

- 5 परंतु ऊपर उल्लिखित स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ६

कंपनी की दशा में,—

10

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में

- (i) जहां पूर्ववर्ष 2015-16 में उसका कुल आवर्त या सकल प्राप्तियां पचास करोड़ रुपए से अधिक नहीं है कुल आय का 25 प्रतिशत;
(ii) मद (i) में निर्दिष्ट से भिन्न कुल आय का 30 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

15

- (i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

20

- और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है 50 प्रतिशत ;
(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो 40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित 25 दर से,—

- (i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

30

- (ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

- 35 परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

[धारा 2(13)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतरण के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) से भिन्न] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “गृह-संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में—

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए खड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक खड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रैप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रैप) या ब्राउन क्रैप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रैप, रिमिल्ड क्रैप, स्माक्ड ब्लैन्केट क्रैप या फ्लेट बार्क क्रैप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा।

नियम 5—जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यक्ति निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यक्ति निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परंतु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यक्ति निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी।

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्धे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी। 5

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 (2009 का 33) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2011 (2011 का 8) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का 23) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का 17) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 (2014 का 25) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का 20) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी। 10

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा। 15

नियम 10—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं।

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं। 20

दूसरी अनुसूची
[धारा 109(क) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(क) अध्याय 20 में, टैरिफ मद 2008 19 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “45%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) अध्याय 84 में, टैरिफ मद 8421 99 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी।

5

तीसरी अनुसूची
[धारा 109(ख) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर		
			मानक	अधिमानी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
(1) अध्याय 11 में, टैरिफ मद 1106 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—					
“1106 10	- शीर्ष 0713 की शुष्कित फलीदार वनस्पतियों का				
1106 10 10	--- ग्वार अवचूर्ण	किग्रा0	30%	-	
1106 10 90	--- अन्य	किग्रा0	30%	-”;	10
(2) अध्याय 13 में, टैरिफ मद 1302 32 10 और 1302 32 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;					
(3) अध्याय 15 में, टैरिफ मद 1511 90 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—					
“1511 90 30	--- परिष्कृत विरंजित निर्गंधीकृत ताड़ स्टिएरिन	किग्रा0	100%	90%”;	
(4) अध्याय 38 में, —					
(क) शीर्ष 3823 में, उपशीर्ष 3823 11 और टैरिफ मद 3823 11 11 से टैरिफ मद 3823 11 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—					
“3823 11 00	- स्टिएरिक अम्ल	किग्रा0	30%	-”;	
(ख) शीर्ष 3824 में, टैरिफ मद 3824 88 00 के सामने स्तंभ (2) में, “हेक्सा-हेप्टा-” शब्दों के स्थान पर, “हेक्सा-, हेप्टा” शब्द रखे जाएंगे ;					
(5) अध्याय 39 में, शीर्ष 3904 में, उपशीर्ष 3904 00 और टैरिफ मद 3904 10 10 और टैरिफ मद 3904 10 90, उपशीर्ष 3904 21, टैरिफ मद 20 3904 21 10 और टैरिफ मद 3904 21 90 और उपशीर्ष 3904 22, टैरिफ मद 3904 22 10 और टैरिफ मद 3904 22 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—					
“3904 10	- पोलि (विनाइल क्लोराइड) जिसे किन्हीं अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित नहीं किया गया है :				
3904 10 10	--- इमल्शन श्रेणी पीवीसी रेजिन/पीवीसी पेस्ट रेजिन/पीवीसी विसर्जन रेजिन	किग्रा0	10%	-	
3904 10 20	--- निलंबन श्रेणी पीवीसी रेजिन	किग्रा0	10%	-	25
3904 10 90	--- अन्य	किग्रा0	10%	-	
- अन्य पोलि (विनाइल क्लोराइड) जिसे किन्हीं अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित किया गया है :					
3904 21 00	- अप्लास्टीकृत	किग्रा0	10%	-	
3904 22 00	- प्लास्टीकृत	किग्रा0	10%	-”;	
(6) अध्याय 44 में, टैरिफ मद 4401 22 00 के सामने स्तंभ (2) में, “संचित, लट्टों में” शब्दों के स्थान पर, “लट्टों में संचित” शब्द रखे जाएंगे ;					
(7) अध्याय 48 के टिप्पण 4 में, “लागू होते हैं” शब्दों के स्थान पर, “लागू होता है” शब्द रखे जाएंगे ;					
(8) अध्याय 54 में, टैरिफ मद 5402 59 10 और 5402 69 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;					
(9) अध्याय 63 उपशीर्ष टिप्पण में, “फैब्रिक से” शब्दों के स्थान पर, “तानकर बुने हुए फैब्रिक से” शब्द रखे जाएंगे ;					
(10) अध्याय 98 में,—					
(i) अध्याय टिप्पण 4 के खंड (ख) और खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—					
“ (ख) एल्कोहाली पेय ; और					
(ग) तम्बाकू और उसके विनिर्मित उत्पाद ।”;					
(ii) शीर्ष 9804 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर “वैयक्तिक उपभोग के लिए आयातित सभी शुल्क्य माल” प्रविष्टि रखी जाएगी।					

चौथी अनुसूची

[धारा 110 देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, क्र.सं. 23ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

	(1)	(2)	(3)	(4)
5	“23ग	2606 00 90	अन्य एल्युमिनियम अयस्क और सांद्र	30%”।

पांचवीं अनुसूची

[धारा 118 देखिए]

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 24 में,—

(क) टैरिफ मद 2402 10 10 और 2402 10 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5% या 4006 रु0 प्रति हजार, जो भी अधिक हो” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

5

(ख) टैरिफ मद 2402 90 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “4006 रु0 प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 2402 90 20 और 2402 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5% या 4006 रु0 प्रति हजार, जो भी अधिक हो” प्रविष्टि रखी जाएगी ।

छठी अनुसूची

[धारा 128 देखिए]

क्रम सं०	सेवा कर (मूल्य अवधारण) नियम, 2006 के उपबंध, जिनका संशोधन किया जाना है	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
5			
10	1. अधिसूचना सं० सा०का०नि० 375 (अ), तारीख 22 मई, 2007 [29/2007-सेवा कर, तारीख 22 मई, 2007] द्वारा यथा अंतःस्थापित नियम 2क ।	सेवा कर (मूल्य अवधारण) नियम, 2006 के नियम 2क में,— (I) उपनियम (1) के खंड (i) में, “अंतरित माल” शब्दों के पश्चात्, “या, यथास्थिति, माल और भूमि या भूमि के अविभक्त अंश” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ; “(II) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— “(2) जहां उपनियम (1) के अधीन मूल्य का अवधारण नहीं किया गया है और प्रभारित सकल रकम में माल और भूमि या भूमि के अविभक्त अंश सम्मिलित हैं, वहां सेवा कर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए संकर्म संविदा के लिए प्रभारित सकल रकम के पच्चीस प्रतिशत पर संदेय होगा, अर्थात् :— (i) निवेश या पूंजी माल पर संदत्त शुल्क का केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय या ऐसी निवेश सेवाओं, जिनका उपयोग ऐसी कराधेय सेवा उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है, पर सेवा कर का केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय, केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के उपबंधों के अधीन नहीं लिया गया है ; (ii) सेवा प्रदाता ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 12/2003-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2003 [सा०का०नि० 503(अ), तारीख 20 जून, 2003] के अधीन फायदा नहीं लिया है । स्पष्टीकरण —इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, प्रभारित सकल रकम में सेवा प्रदाता द्वारा कराधेय सेवा को उपलब्ध करने के लिए प्रदाय किए गए या उपलब्ध कराए गए या उपयोग किए गए माल या सामग्रियों का मूल्य भी सम्मिलित होगा ।”।	1 जुलाई, 2010 से 30 जून, 2012 तक (दोनों दिन सम्मिलित हैं) 1 जुलाई, 2010 से 30 जून, 2012 तक (दोनों दिन सम्मिलित हैं)
15			
20			
25			
30			
35	2. अधिसूचना सं० सा०का०नि० 431(अ), तारीख 6 जून, 2012 [24/2012-सेवा कर, तारीख 6 जून, 2012] द्वारा यथा प्रतिस्थापित नियम 2क ।	सेवा कर (मूल्य अवधारण) नियम, 2006 के नियम 2क में,— (I) खंड (i) में, “अंतरित माल” शब्दों के पश्चात्, “या, यथास्थिति, माल और भूमि या भूमि के अविभक्त अंश” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ; (II) खंड (ii) के उपखंड (क) में,— (क) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— “परंतु जहां संकर्म संविदा के लिए प्रभारित रकम में माल और भूमि या भूमि के अविभक्त अंश का मूल्य सम्मिलित है, वहां सेवा कर संकर्म संविदा के लिए प्रभारित कुल रकम के पच्चीस प्रतिशत पर संदेय होगा ।”;	1 जुलाई, 2012 से आगे 1 जुलाई, 2012 से 28 फरवरी, 2013 तक (दोनों दिन सम्मिलित हैं)
40			

(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>(ख) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—</p> <p>“परंतु जहां संकर्म संविदा के लिए प्रभारित रकम में माल और भूमि या भूमि के अविभक्त अंश का मूल्य सम्मिलित है, वहां सेवा कर संकर्म संविदा के लिए प्रभारित कुल रकम के तीस प्रतिशत पर संदेय होगा :</p> <p>परंतु यह और कि 2000 वर्ग फुट तक के फर्शी क्षेत्र वाली आवासीय इकाइयों के सन्निर्माण के लिए संकर्म संविदा की दशा में या जहां सेवा पाने वाले व्यक्ति से प्रति आवासीय इकाई के लिए प्रभारित रकम एक करोड़ रुपए से कम है और संकर्म संविदा के लिए प्रभारित रकम में माल और भूमि या भूमि का अविभक्त अंश सम्मिलित है, वहां सेवा कर संकर्म संविदा के लिए प्रभारित कुल रकम के पच्चीस प्रतिशत पर संदेय होगा।”;</p>	<p>1 मार्च, 2013 से 7 मई, 2013 तक (दोनों दिन सम्मिलित हैं)</p> <p>5</p>
		<p>(ग) परंतुकों के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—</p> <p>“परंतु जहां संकर्म संविदा के लिए प्रभारित रकम में माल और भूमि या भूमि के अविभक्त अंश का मूल्य सम्मिलित है, वहां सेवा कर संकर्म संविदा के लिए प्रभारित कुल रकम के तीस प्रतिशत पर संदेय होगा :</p> <p>परंतु यह और कि 2000 वर्ग फुट तक के फर्शी क्षेत्र वाली आवासीय इकाइयों के सन्निर्माण के लिए संकर्म संविदा की दशा में या जहां सेवा पाने वाले व्यक्ति से प्रति आवासीय इकाई के लिए प्रभारित रकम एक करोड़ रुपए से कम है और संकर्म संविदा के लिए प्रभारित रकम में माल और भूमि या भूमि का अविभक्त अंश सम्मिलित है, वहां सेवा कर संकर्म संविदा के लिए प्रभारित कुल रकम के पच्चीस प्रतिशत पर संदेय होगा।”;</p>	<p>8 मई, 2013 से 31 मार्च, 2016 तक (दोनों दिन सम्मिलित हैं)</p> <p>15</p> <p>20</p>
		<p>(घ) परंतुकों के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—</p> <p>“परंतु जहां संकर्म संविदा के लिए प्रभारित रकम में माल और भूमि या भूमि के अविभक्त अंश का मूल्य सम्मिलित है, वहां सेवा कर संकर्म संविदा के लिए प्रभारित कुल रकम के तीस प्रतिशत पर संदेय होगा।”।</p>	<p>1 अप्रैल, 2016 से आगे</p> <p>30</p>

सातवीं अनुसूची

[धारा 146 देखिए]

वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची में,—

- 5 (क) टैरिफ मद 2402 20 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “311 रु0 प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (ख) टैरिफ मद 2402 20 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “541 रु0 प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (ग) टैरिफ मद 2402 20 30 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “311 रु0 प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (घ) टैरिफ मद 2402 20 40 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “386 रु0 प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (ङ) टैरिफ मद 2402 20 50 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “541 रु0 प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (च) टैरिफ मद 2402 20 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “811 रु0 प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ; और
- 10 (छ) टैरिफ मद 2403 99 10, 2403 99 30 और 2403 99 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12%” प्रविष्टि रखी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है। खंडों पर टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करते हैं।

नई दिल्ली;
28 जनवरी, 2017

अरुण जेटली

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के

अधीन

राष्ट्रपति की सिफारिश

[वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली, के लोक सभा के महासचिव को भेजे गए, तारीख 28 जनवरी, 2017 के पत्र सं०एफ. 2(1)-बी०(डी०)/2017 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) और खंड (3) के अधीन, वित्त विधेयक, 2017 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने की सिफारिश करते हैं और साथ ही लोक सभा से विधेयक पर विचार करने की भी सिफारिश करते हैं।

2. यह विधेयक लोक सभा में 01 फरवरी, 2017 को बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद पुरःस्थापित किया जाएगा।

खंडों पर टिप्पण

आय-कर

विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित खंड 2 वे दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए हैं, जिन पर आय-कर निर्धारण वर्ष 2017-2018 के लिए कर से प्रभार्य आय पर उद्गृहीत किया जाना है। इसके अतिरिक्त, यह खंड उन दरों को, जिन पर “वेतन” से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती की जानी है, जो आय-कर अधिनियम के अधीन ऐसी कटौतियों के अधीन रहते हुए है ; और उन दरों को भी, जिन पर वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए “अग्रिम कर” का संदाय किया जाना है, “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में कर का परिकलन और प्रभारण किया जाना है, अधिकथित करने के लिए है।

निर्धारण वर्ष 2017-2018 के लिए आय-कर की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 में आय-कर की उन दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिन पर आय निर्धारण वर्ष 2017-2018 के लिए कर के दायित्वाधीन है। ये वे दरें हैं, जो वित्त अधिनियम, 2016, कराधान विधियां (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 48) द्वारा यथा संशोधित, की पहली अनुसूची के भाग 3 में, वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान “वेतन” से स्रोत पर कर की कटौती करने, “अग्रिम कर” की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान “वेतन” से भिन्न आय से स्रोत पर कर की कटौती की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 2 में उन दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिन पर, “वेतन” से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती की जानी है। ये दरें वहीं हैं, जो वित्त अधिनियम, 2016 की पहली अनुसूची के भाग 2 में, वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती करने के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट की गई थी।

इस प्रकार कटौती किए गए कर की रकम में—

(i) प्रत्येक अनिवासी, जो कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति निकाय है चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—

(क) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए पचास लाख रुपए से अधिक है किन्तु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से;

(ii) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकरण जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(iii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती

के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(iv) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान “वेतन” से स्रोत पर कर की कटौती करने, “अग्रिम कर” की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 3, वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए उन दरों को, जिन पर “वेतन” शीर्ष के अधीन आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और उन दरों को भी, जिन पर “अग्रिम कर” का संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में आय-कर परिकलित या प्रभारित किया जाना है, विनिर्दिष्ट करता है।

इस भाग के पैरा क में आय-कर की निम्नलिखित दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है :—

(i) प्रत्येक व्यक्ति [उपपैरा (ii) और उपपैरा (iii) में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित से भिन्न या हिंदू अविभक्त कुटुंब या प्रत्येक व्यक्ति-संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है :—

2,50,000 रुपए तक	कुछ नहीं
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत;
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत;
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत;

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक की आयु का, किन्तु अस्सी वर्ष से कम आयु का है:—

3,00,000 रुपए तक	कुछ नहीं
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत;
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत;
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत;

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष की या अधिक की आयु का है:—

5,00,000 रुपए तक	कुछ नहीं
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत;
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत;

इस पैरा में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है किन्तु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, दस प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा। इस पैरा में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों

की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, पन्द्रह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा। सीमांत राहत प्रदान की जाएगी।

इस भाग का पैरा ख प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। ऐसी दशाओं में, आय-कर की दरें वही बनी रहेंगी, जो निर्धारण वर्ष 2017-2018 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं। ऐसी सहकारी सोसाइटियों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा। सीमांत राहत प्रदान की जाएगी।

इस भाग का पैरा ग प्रत्येक फर्म की दशा में आय-कर की दर विनिर्दिष्ट करता है। ऐसी दशाओं में, आय-कर की दर वही बनी रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2017-2018 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है। ऐसी फर्मों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, बाहर प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा। सीमांत राहत प्रदान की जाएगी।

इस भाग का पैरा घ प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में आय-कर की दर विनिर्दिष्ट करता है। ऐसी दशाओं में, कर की दर वही बनी रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2017-2018 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है। ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा। सीमांत राहत प्रदान की जाएगी।

इस भाग का पैरा ड कंपनियों की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। देशी कंपनियों की दशा में, आय-कर की दर कुल आय की पच्चीस प्रतिशत होगी, जहां पूर्ववर्ष 2015-2016 की कुल आवर्त या कुल प्राप्तियां पचास करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और अन्य सभी मामलों में आय-कर की दर कुल आय की तीस प्रतिशत होगी। देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों की दशा में, कर की दर वही बनी रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2017-2018 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है।

ऐसी देशी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, सात प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा। ऐसी देशी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा। देशी कंपनियों से भिन्न ऐसी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, दो प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा। देशी कंपनियों से भिन्न ऐसी देशी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, पांच प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित किया जाएगा। सीमांत राहत प्रदान की जाएगी।

सभी अन्य मामलों (जिसमें धारा 115ण, धारा 115थक, धारा 115द, धारा 115नक, धारा 115 नघ आदि भी हैं) में, अधिभार बारह प्रतिशत की दर से लागू होगा।

पहली अनुसूची के भाग 3 के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों में दो प्रतिशत की दर से “शिक्षा उपकर” और एक प्रतिशत की दर से “माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर” उद्गृहीत किया जाता रहेगा। पहली अनुसूची के भाग 2 के अंतर्गत आने वाले मामलों में, देशी कंपनी और ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी हैं, स्रोत पर कटौती किए गए या संगृहीत कर पर कोई शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर का उद्ग्रहण नहीं किया जाएगा। दोनों उपकर, वेतन संदायों की दशा में, स्रोत पर कटौती किए गए कर के संबंध में लागू होते रहेंगे। ये भारत में अनिवासी व्यक्तियों और देशी

कंपनी से भिन्न कंपनियों के मामले में भी उद्गृहीत किए जाते रहेंगे।

विधेयक का खंड 3 परिभाषाओं से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के खंड (42क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध “अल्पकालिक पूंजी आस्ति” पद को परिभाषित करते हैं कि वह ऐसी कोई पूंजी आस्ति होगी जो निर्धारिती द्वारा उसके अंतरण की तारीख से ठीक पूर्व छत्तीस मास से कम अवधि के लिए धारित की गई हो। इसके अतिरिक्त स्पष्टीकरण 1 उस अवधि के अवधारण के लिए उपबंध करता है, जिसके लिए निर्धारिती द्वारा पूंजी आस्ति धारण की जाती है।

उक्त खंड के तीसरे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी स्थावर संपत्ति की दशा में, जो भूमि या भवन या दोनों हों, धृति की पूर्वोक्त अवधि, अल्पकालिक पूंजी आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए चौबीस मास से कम होगी।

स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) में एक नया उपखंड (जच) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो किसी कंपनी का साधारण शेयर है, धारा 47 के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो गई है, वहां वह कालावधि, जिसके लिए निर्धारिती द्वारा अधिमानी शेयर धारित किए गए थे, सम्मिलित कर ली जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

उक्त स्पष्टीकरण के खंड (i) में एक नया उपखंड (जछ) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसी पूंजी आस्ति, जो कोई यूनिट या यूनिटें हैं, की दशा में, जो धारा 47 के खंड (xix) में निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो जाती है, वह कालावधि, जिसके लिए पारस्परिक निधि स्कीम की समेकित योजना में यूनिट या यूनिटें निर्धारिती द्वारा धारित की गई थीं, सम्मिलित कर ली जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 4 भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी गई आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (i) यह उपबंध करता है कि उसमें उल्लिखित कतिपय आय भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाएगी। उक्त खंड का स्पष्टीकरण 5 यह उपबंध करता है कि ऐसी किसी आस्ति या पूंजी आस्ति के बारे में, जो भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या अस्तित्व में किसी शेयर या हित के रूप में है, यह समझा जाएगा और सदैव यह समझा जाएगा कि वह भारत में स्थित है, यदि उस शेयर या हित का अपना मूल्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सारवान् रूप से भारत में अवस्थित आस्तियों से व्युत्पन्न होता है।

एक नया स्पष्टीकरण 5क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि स्पष्टीकरण 5, धारा 115कघ के स्पष्टीकरण के खंड (क) में यथा निर्दिष्ट विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनिमय, 2014 के

अधीन प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 विदेशी पोर्टफोलियो के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, में प्रत्यक्षतः कर या अप्रत्यक्षतः उसमें उल्लिखित आस्ति या पूंजी आस्ति और विनिधान के माध्यम से अनिवासी द्वारा धारित को लागू नहीं होगा। प्रस्तावित संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति का है।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2012 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-2013 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 5 आय-कर अधिनियम की धारा 9क का संशोधन करने के लिए है जो कतिपय क्रियाकलापों से भारत में कारबारी संपर्क गठित न होने के संबंध में है।

उक्त धारा 9क की उपधारा (3) में पात्र विनिधान निधि होने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों के लिए उपबंध हैं। उक्त उपधारा के खंड (ज) और परंतुक में यह उपबंधित है कि समग्र निधि का मासिक औसत एक अरब रुपए से कम नहीं होगा सिवाय वहां के जहां निधि पूर्ववर्ष में स्थापित या निगमित की गई है, तो उस दशा में समग्र निधि ऐसे पूर्ववर्ष के अंत में एक अरब रुपए से कम की नहीं होगी।

उक्त उपधारा के खंड (ज) में एक अन्य परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड के उपबंध किसी ऐसी निधि को लागू नहीं होंगे जिसका परिसमापन पूर्ववर्ष में हो गया था।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-2017 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 6 आय, जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि किसी व्यक्ति की किसी पूर्ववर्ष में कुल आय की संगणना में, उसकी कुल आय में कतिपय प्रवर्ग की आय को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

उक्त धारा के खंड (4) का उपखंड (ii) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार भारत में किसी बैंक में अनिवासी (बाह्य) खाते में किसी व्यक्ति के प्रत्यय में धन पर ब्याज के माध्यम से किसी आय को निर्दिष्ट करता है। उक्त उपखंडों का परंतुक व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट करता है, जो 1973 के अधिनियम 46, जो निरसित हो गया है और जिसे 1999 के अधिनियम 42 के रूप में पुनःअधिनियमित किया गया है, की धारा 2 के खंड (थ) में यथा परिभाषित भारत से बाहर निवासी है। भारत से बाहर व्यक्ति की परिभाषा 1999 के अधिनियम 42 के खंड (ब) में है।

उक्त धारा के खंड (4) के उपखंड (ii) के परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे “ भारत से बाहर व्यक्ति” पद की सही परिभाषा को उपदर्शित किया जा सके और यह स्पष्टीकारक प्रकृति का है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा, जिस तारीख को उक्त धारा के खंड (4) के उपखंड (ii) को प्रवृत्त किया गया था।

इसके अतिरिक्त, उक्त धारा का खंड (12क), किसी कर्मचारी को, उसके द्वारा खाता बंद करने या स्कीम से बाहर निकलने का विकल्प लेने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा संदेय कुल रकम के चालीस प्रतिशत को छूट प्रदान करने का उपबंध करता है।

उक्त धारा में एक नया खंड (12ख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी कर्मचारी द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 और तदधीन बनाए गए विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार आंशिक रूप से धन निकाले जाने के समय कर से छूट का उस सीमा तक उपबंध करता है, जहां तक वह रकम उसके द्वारा किए गए अभिदायों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा के खंड (23ग) में अंतर्विष्ट उपबंध कतिपय निधियों की आय की बाबत छूट का उपबंध करते हैं, जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष सम्मिलित है। तथापि, धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (iiiजच) में निर्दिष्ट मुख्यमंत्री सहायता निधि या उप राज्यपाल सहायता निधि उक्त खंड (23ग) में छूट प्राप्त नहीं हैं।

खंड (23ग) में एक नया उपखंड (iiiकककक) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे मुख्यमंत्री सहायता निधि या उप राज्यपाल सहायता निधि को भी छूट का फायदा देने के लिए उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल, 1998 से, वह तारीख, जिसको मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल सहायता निधि में संदत्त किसी धनराशि की कटौती से संबंधित धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (क) का उपखंड (iiiजच) प्रवृत्त होगा, प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1998-1999 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा का खंड (23ग) यह उपबंध करता है कि उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi क) में निर्दिष्ट अस्तित्वों द्वारा धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था को दिए गए संदानों को, संचित आय में से किए गए संदानों को छोड़कर, उसके उद्देश्यों के प्रयोजनों के लिए आय का उपयोग समझा जाता है।

उक्त खंड (23ग) में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे उनकी आय में से जमा की गई या संदत्त किसी रकम के संबंध में उपरोक्तानुसार समान निर्बंधन का उपबंध किया जा सके, जहां वे अभिदाय ऐसे अस्तित्वों के उद्देश्यों की आय के उपयोग के रूप में उक्त अभिदाय की रकम को न समझ कर इस विनिर्दिष्ट निदेश के साथ स्वैच्छिक रूप से किए गए हैं कि वे धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था की समग्र निधि का भाग बनेंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा में एक नया खंड (37क) अंतःस्थापित करने का और भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी निर्धारिती, जो एक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है और जो 2 जून, 2014 को ऐसी विनिर्दिष्ट पूंजी आस्ति का स्वामी था और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2014 और उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों और स्कीमों के उपबंधों के अधीन बनाई गई आंध्र प्रदेश राजधानी नगर लैंड पूलिंग स्कीम (तैयार करना और कार्यान्वयन) नियम, 2015 के अंतर्गत आने वाली लैंड पूलिंग स्कीम के अधीन ऐसी विनिर्दिष्ट पूंजी आस्ति का अंतरण करता है, को विनिर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण की बाबत उद्भूत होने वाली “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोई आय, निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित नहीं

की जाएगी। “विनिर्दिष्ट पूंजी आस्ति” पद को स्पष्ट करने का और प्रस्ताव है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-2016 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा का खंड (38) अन्य बातों के साथ, दीर्घकालिक पूंजी आस्ति, जो किसी कंपनी या साधारण शेयरोंनुमुखी निधि या कारबार न्यास की यूनिट में वहां साधारण शेयर हैं जहां ऐसा संव्यवहार वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 के अधीन प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभावी है, के अंतरण से उद्भूत होने वाली आय पर कर से छूट के लिए उपबंध करता है।

उक्त खंड (38) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि दीर्घकालिक पूंजी आस्ति जो किसी कंपनी में साधारण शेयर है, के अंतरण से उद्भूत होने वाली कोई आय, यदि ऐसे साधारण शेयर का इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अर्जन से भिन्न अर्जन का संव्यवहार 1 अक्टूबर, 2004 को या उसके पश्चात् किया गया है और ऐसा संव्यवहार वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 के अधीन प्रतिभूति संव्यवहार प्रभावी कर से नहीं है, छूट प्राप्त नहीं होगी।

उक्त धारा के खंड (48क) में यह उपबंध है कि भारत में किसी सुविधा में अपरिष्कृत तेल के भंडारण या भारत में किसी निवासी व्यक्ति को उससे अपरिष्कृत तेल के विक्रय के मद्दे किसी विदेशी कंपनी को प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली किसी आय को छूट प्राप्त होगी यदि उक्त भंडारण और विक्रय केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए या उसके द्वारा अनुमोदित करार या ठहराव के अनुसरण में है ; और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उक्त विदेशी कंपनी और उक्त करार या ठहराव केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाता है।

उक्त धारा में एक नया खंड (48ख) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे किसी विदेशी कंपनी को, उपखंड (48क) में निर्दिष्ट करार या ठहराव के अवसान के पश्चात् भारत में किसी सुविधा से, अपरिष्कृत तेल के बचे हुए स्टॉक, यदि कोई हो, के विक्रय के मद्दे प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली किसी आय को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाएं, छूट देने का उपबंध किया जाए।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 7 विशेष आर्थिक जोन में स्थापित नई यूनिटों की बाबत विशेष उपबंधों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 10कक का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन, विशेष आर्थिक जोनों में प्रचालित निर्धारिती की ऐसी यूनिट से, जो इस धारा में वर्णित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए ऐसी वस्तुओं या चीजों के विनिर्माण या उत्पादन में या सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है, लाभ और अभिलाभ के संबंध में उसकी ऐसी कुल आय से पन्द्रह क्रमवर्ती वर्षों के लिए कटौती का उपबंध है।

इसमें उक्त धारा की उपधारा (1) के पश्चात् एक नया स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा में निर्दिष्ट कटौती की रकम, इस धारा के उपबंधों को प्रभावी करने से पूर्व, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित निर्धारिती की कुल आय से अनुज्ञात की जाएगी और इस धारा के अधीन कटौती, इस धारा के उपबंधों को प्रभावी करने

के पूर्व, इस अधिनियम में अधिकथित रीति से संगणित निर्धारिती की कुल आय से अधिक नहीं होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 8 पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए धारित संपत्ति से आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 11 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि संचित आय में से किए गए अभिदायों के सिवाय किसी अन्य को दिए गए स्वैच्छिक अभिदाय को उसके उद्देश्यों के प्रयोजनों के लिए आय के उपयोग के रूप में माना जाता है।

उक्त धारा के अधीन एक नया स्पष्टीकरण 2 अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि स्पष्टीकरण 1 के साथ पठित उक्त धारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट आय में से जमा की गई या संदत्त किसी रकम के संबंध में, जो इस विनिर्दिष्ट निदेश के साथ अभिदाय हैं कि वे ब्याज या संस्था की समग्र निधि का भाग बनेंगे, पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के प्रति आय के उपयोग के रूप में नहीं समझा जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 9 धारा 11 और धारा 12 के लागू होने के लिए शर्तों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 12क का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में, एक नया खंड (कख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 11 और धारा 12 के लागू होने के लिए एक अन्य ऐसी शर्त का उपबंध किया जा सके कि उस दशा में, जहां किसी न्यास या किसी संस्था को धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है या जिसने धारा 12क [जैसी यह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 द्वारा संशोधन से पूर्व थी] के अधीन किसी समय रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है और तत्पश्चात् उसने उद्देश्यों में उपांतरण अंगीकृत किए हैं या उनमें उपांतरण किए हैं जो रजिस्ट्रीकरण की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं, उससे उद्देश्यों के ऐसे अंगीकरण या उपांतरण की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर विहित प्ररूप और रीति में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की अपेक्षा होगी और यह कि वह धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में नया खंड अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति धारा 139 की उपधारा (4क) में निर्दिष्ट आय की विवरणी उक्त धारा के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर देगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 10 रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 12कक का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 12क में नया अंतःस्थापित खंड (कख) का निर्देश दिया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 11 राजनैतिक दलों की आय के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 13क का संशोधन करने के लिए है।

आय-कर अधिनियम की धारा 13क, अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि किसी राजनैतिक दल की किसी आय को, जो “गृह संपत्ति से आय” या “अन्य स्रोतों से आय” या “पूँजी अभिलाभों” शीर्ष के अधीन प्रभार्य है या किसी राजनैतिक दल द्वारा स्वैच्छिक अभिदायों के माध्यम से किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी आय को, पूर्ववर्ष की कुल आय की संगणना करने में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए अपवर्जित किया जाएगा कि ऐसा राजनैतिक दल लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज रखता है और बनाए रखता है, बीस हजार रुपए के आधिक्य में स्वैच्छिक अभिदायों का अभिलेख बनाए रखता है, लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे लेखापाल द्वारा कराता है, जैसा कि धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग की उपधारा (3) के अधीन निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे अन्य बातों के साथ यह उपबंध किया जा सके कि कोई राजनैतिक दल आय-कर अधिनियम की धारा 13क के अधीन छूट का पात्र होगा, यदि—

(i) किसी बैंक पर देय, पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले खाते में बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक निकासी प्रणाली के उपयोग या निर्वाचन बंधपत्र के माध्यम से भिन्न रूप में दो हजार रुपयों से अधिक का दान प्राप्त नहीं करता है;

(ii) यदि वह धारा 139 के अनुसार नियत तारीख को या उसके पूर्व, धारा 139 की उपधारा (4ख) के उपबंधों के अनुसार पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करता है।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि निर्वाचन बंधपत्र के माध्यम से प्राप्त किन्हीं अभिदायों को उक्त धारा के खंड (ख) के अनुसार रिपोर्टिंग से अपवर्जित किया जाएगा।

“निर्वाचन बंधपत्र” पद को भी परिभाषित करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 12 वार्षिक मूल्य कैसे अवधारित किया जाता है से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 23 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (5) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी भवन और उससे संलग्न भूमि को समाविष्ट करने वाली संपत्ति व्यापार स्टॉक के रूप में धारित की जाती है और संपत्ति या संपत्ति का कोई भाग संपूर्ण पूर्ववर्ष या उसके किसी भाग के दौरान किराए पर नहीं दिया जाता है, वहां ऐसी संपत्ति या संपत्ति के भाग का वार्षिक मूल्य, उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की अवधि तक के लिए, जिसमें सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त संपत्ति के सन्निर्माण का समापन प्रमाणपत्र प्राप्त होता है, शून्य के रूप में माना जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 13 विनिर्दिष्ट कारबार पर व्यय की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि किसी निर्धारिती को उसके द्वारा किए गए किसी विनिर्दिष्ट कारबार के प्रयोजन के लिए, पूर्णतः और अनन्यतः, उपगत पूँजी प्रकृति के संपूर्ण किसी व्यय की बाबत उस पूर्ववर्ष के दौरान, जिसमें उसके द्वारा ऐसा व्यय उपगत किया गया है, कटौती अनुज्ञात की जाएगी। उक्त धारा की उपधारा (8) का खंड (च) पूँजी प्रकृति के व्यय के कार्यक्षेत्र से किसी भूमि के अर्जन या साख या वित्तीय लिखत पर उपगत किसी व्यय, जो तदनुसार कटौती के रूप में अनुज्ञेय नहीं है, के अपवर्जन का उपबंध करता है।

उक्त धारा की उपधारा (8) के खंड (च) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे किसी व्यय, जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को किसी एक दिवस में किसी बैंक पर आहरित किसी खाते में देय चेक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का उपयोग करके संदाय करने से भिन्न ऐसा कोई संदाय या कुल संदाय किए जाते हैं, जो दस हजार रुपए से अधिक है, के संबंध में भी कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 14 अन्य कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 36 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (vii) के उपखंड (क) के उपबंध, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करते हैं कि किसी अनुसूचित बैंक (जो भारत से बाहर किसी देश की विधियों द्वारा या उनके अधीन निगमित कोई बैंक नहीं है) या किसी गैर-अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक को, डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए की गई व्यवस्था के संबंध में कटौती अनुज्ञात की जाएगी। इसके अतिरिक्त, ऐसी कटौती की रकम कुल आय (इस खंड और अध्याय 6क के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व संगणित) की रकम के साढ़े सात प्रतिशत तक और विहित रीति में संगणित ऐसे बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए सकल औसत अग्रिमों के दस प्रतिशत से अनधिक रकम तक सीमित है।

उक्त उपखंड के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे इस सीमा को साढ़े सात प्रतिशत से बढ़ाकर कुल आय (उक्त खंड और अध्याय 6क के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व संगणित) की रकम के साढ़े आठ प्रतिशत तक किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 15 व्यय या संदाय जो कतिपय दशाओं में कटौती योग्य नहीं हैं, से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 40क का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि जहां निर्धारिती कोई ऐसा व्यय उपगत करता है जिसकी बाबत किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया संदाय बीस हजार रुपए से अधिक राशि के बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी अन्य रीति से किया जाता है, वहां ऐसे व्यय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी व्यक्ति को एक दिन में किए गए संदायों या कुल संदाय एक दिन में दस हजार रुपए से अधिक राशि के बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक निकासी प्रणाली के उपयोग से अन्यथा करता है तो, यथास्थिति, उक्त उपधारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी या ऐसे संदाय कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ के रूप में समझे जाएंगे।

पारिणामिक संशोधन उपधारा (3क) और उपधारा (4) में भी किए जाने का प्रस्ताव है।

उपधारा (2) के खंड (क) के परन्तुक का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जो धारा 92 खक में प्रस्तावित संशोधनों का परिणाम है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 16 कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों से होने वाली आय से सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषा से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 43 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा का खंड (1), अधिनियम की धारा 32 के अधीन अवक्षयण का दावा करने के प्रयोजनों के लिए “वास्तविक लागत” की परिभाषा का उपबंध करता है।

उक्त धारा के खंड (1) के स्पष्टीकरण 1 के पूर्व परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारिती किसी ऐसी आस्ति या उसके भाग के अर्जन के लिए कोई व्यय उपगत करता है, जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को किसी एक दिवस में किसी बैंक पर आहरित किसी खाते में देय चेक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली का उपयोग करके संदाय करने से भिन्न ऐसा कोई संदाय या कुल संदाय किए जाते हैं, जो दस हजार रुपए से अधिक है, वहां ऐसे व्यय की वास्तविक लागत के अवधारण के प्रयोजनों के लिए छोड़ दिया जाएगा।

उक्त धारा के खंड (1) के स्पष्टीकरण 13 में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई आस्ति जिसकी बाबत धारा 35कघ के अधीन अनुज्ञात कटौती या कटौती के भाग को उक्त धारा की उपधारा (7ख) के उपबंधों के अनुसार निर्धारिती की आय समझी जाती है, वहां निर्धारिती की आस्ति की वास्तविक लागत, निर्धारिती की ऐसी वास्तविक लागत होगी जैसा कि वह प्रवृत्त दर पर संगणित अवक्षयण की रकम के बराबर रकम तक घटाई गई हो जो अनुज्ञेय होती यदि आस्ति का उपयोग इसके अर्जन की तारीख से कारबार के प्रयोजनों के लिए किया गया होता।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 17 वास्तविक संदाय पर ही की जाने वाली कुछ कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 43ख का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि किसी निर्धारिती द्वारा किसी अनुसूचित बैंक या लोक वित्तीय संस्था, आदि से किसी ऋण या उधार पर कर, उपकर, शुल्क या फीस या ब्याज के माध्यम से संदेय किसी

राशि को उस पूर्ववर्ष की कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा, जिसमें ऐसी राशि को संदाय करने का दायित्व उपगत (सुसंगत पूर्ववर्ष) हुआ था और यदि उनका आय-कर की विवरणी प्रस्तुत करने की निश्चित तारीख को या उससे पूर्व उसका वास्तव में संदाय कर दिया जाता है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारिती द्वारा प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से ऋण या अग्रिमों पर ब्याज के रूप में संदेय राशि को भी कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा, यदि उसका वास्तविक संदाय सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए आय-कर की विवरणी प्रस्तुत करने की निश्चित तारीख को या उससे पूर्व किया जाता है।

उक्त धारा में “सहकारी बैंक”, “प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी” और “प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक” पदों की परिभाषाओं को सम्मिलित करने का और प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 18 लोक वित्तीय संस्थाओं, पब्लिक कंपनियों, आदि की आय की दशा में विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 43घ का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि उक्त धारा के स्पष्टीकरण में यथानिर्दिष्ट कतिपय संस्थाओं या बैंकों या निगमों या कंपनियों द्वारा प्राप्त कतिपय प्रवर्ग के डूबंत या शंकास्पद ऋणों के संबंध में ब्याज आय उस पूर्व वर्ष में कर से प्रभार्य होगी, जिसमें उसे उस वर्ष के लाभ और हानि लेखा में जमा किया जाता है या वास्तविक रूप से प्राप्त किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक द्वारा प्राप्त कतिपय प्रवर्ग के डूबंत या शंकास्पद ऋण भी उस पूर्व वर्ष में कर से प्रभार्य होंगे, जिसमें उन्हें उस वर्ष के लाभ और हानि लेखा में जमा किया जाता है या वास्तविक रूप से प्राप्त किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

उक्त धारा में “सहकारी बैंक”, “प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी” और “प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक” पदों की परिभाषाओं को सम्मिलित करने का और प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 19 वृत्ति या कारबार चलाने वाले कतिपय व्यक्तियों द्वारा लेखाओं का रखा जाना से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 44कक का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (i) यह उपबंध करता है कि कारबार या वृत्ति चलाने वाले कतिपय व्यक्तियों द्वारा लेखा पुस्तकों का और ऐसे अन्य दस्तावेजों का रखा जाना अपेक्षित है यदि पूर्ववर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों में किसी एक वर्ष में कारबार या वृत्ति से उसकी कुल आय एक लाख बीस हजार रुपए से अधिक हो या कारबार या वृत्ति में उसका, यथास्थिति, कुल विक्रय,

आवर्त या सकल प्राप्तियां दस लाख रुपए से अधिक हों जिससे निर्धारण अधिकारी को कुल आय की संगणना करने में समर्थ बनाया जा सके।

उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (ii) यह उपबंध करता है कि किसी पूर्ववर्ष में नए सिरे से स्थापित कारबार या वृत्ति चलाने वाले कतिपय व्यक्तियों द्वारा लेखा पुस्तकों का और ऐसे अन्य दस्तावेजों का रखा जाना अपेक्षित है यदि पूर्ववर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों में किसी एक वर्ष में कारबार या वृत्ति से उसकी कुल आय एक लाख बीस हजार रुपए से अधिक होने की संभावना है या ऐसे पूर्ववर्ष के दौरान कारबार या वृत्ति में उसका यथास्थिति, कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां दस लाख रुपए से अधिक होने की संभावना है जिससे निर्धारण अधिकारी को उसकी कुल आय की संगणना करने में समर्थ बनाया जा सके।

उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि व्यष्टिक और हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में खंड (i) और खंड (ii) में विनिर्दिष्ट आय और कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियों की मौद्रिक सीमा को क्रमशः एक लाख बीस हजार रुपए से बढ़ाकर दो लाख पचास हजार रुपए और दस लाख रुपए से बढ़ाकर बीस लाख रुपए कर दिया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्पूर्व वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 20 वृत्ति या कारबार चलाने वाले कतिपय व्यक्तियों के लेखाओं की लेखा परीक्षा से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 44कख का संशोधन करने के लिए है।

धारा 44कख में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध है कि कारबार को चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति से किसी विनिर्दिष्ट तारीख से पहले अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराया जाना अपेक्षित है, यदि पूर्ववर्ष में, यथास्थिति, कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां एक करोड़ रुपए से अधिक है या हैं।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध करने के लिए नया परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके कि यह धारा ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो धारा 44कघ की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार पूर्ववर्ष के लिए लाभों और अभिलाभों की घोषणा करता है और कारबार में उसका यथास्थिति, कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं हैं।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 तथा पश्चात्पूर्व वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 21 उपधारणा के आधार पर कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा (वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा यथा संशोधित) में अंतर्विष्ट उपबंधों में यह उपबंध है कि धारा 28 से धारा 43ग में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, ऐसे पात्र निर्धारिती की दशा में, जो किसी पात्र कारबार में लगा हुआ है, जिसका कुल आवर्त या सकल प्राप्तियां दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं हैं, यथास्थिति, ऐसे कारबार के मद्दे पूर्व वर्ष में निर्धारिती की कुल आवर्त या सकल प्राप्तियों के आठ प्रतिशत के बराबर राशि या पात्र निर्धारिती द्वारा दावाकृत रूप से अर्जित पूर्वोक्त राशि से उच्चतर राशि को “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य ऐसे

कारबार के लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे।

उक्त उपधारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कुल आवर्त या सकल प्राप्तियों की रकम की बाबत किसी पूर्व वर्ष में या धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट निश्चित तारीख से पूर्व उस पूर्व वर्ष के संबंध में किसी खाते में देय चेक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली का उपयोग करके प्राप्त समझी गई कुल आय के आठ प्रतिशत की विद्यमान दर को घटाकर छह प्रतिशत किया जा सके। तथापि, उक्त धारा के उपबंधों में निर्दिष्ट समझे गए लाभों और अभिलाभों की आठ प्रतिशत की विद्यमान दर, किसी अन्य पद्धति से प्राप्त कुल आवर्त या सकल प्राप्तियों के संबंध में लागू बनी रहेगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्पूर्व वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 22 पूंजी अभिलाभों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 45 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन पूंजी अभिलाभ उक्त धारा में यथा उपबंधित कतिपय मामलों के सिवाय उस वर्ष में प्रभार्य हैं, जिसमें अंतरण होता है।

उक्त धारा में नई उपधारा (5क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके जहां किसी विनिर्दिष्ट करार के अधीन ऐसी किसी पूंजी आस्ति, जो भूमि या भवन या दोनों हैं, के अंतरण से, किसी ऐसे निर्धारिती को, जो व्यष्टि है या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, को पूंजी अभिलाभ उद्भूत होता है, वहां पूंजी अभिलाभ, उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपूर्ण परियोजना या उसके भाग के लिए समापन प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि नकद रूप में प्राप्त प्रतिफल, यदि कोई हो, के अनुसार वृद्धि रूप में उक्त प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख को उसका शेयर, जो परियोजना में भूमि या भवन या दोनों हैं, का स्टाम्प शुल्क मूल्य पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाएगा।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि इस उपधारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे, जहां निर्धारिती समापन के उक्त प्रमाणपत्र के जारी किए जाने की तारीख को या उसके पहले किसी अन्य व्यक्ति को परियोजना में अपना शेयर अंतरित करता है और पूंजी अभिलाभ, उस पूर्ववर्ष की आय समझी जाएगी, जिसमें ऐसा अंतरण हुआ था और इस उपधारा के उपबंधों से भिन्न इस अधिनियम के उपबंध ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के अवधारण के लिए लागू होंगे।

“सक्षम प्राधिकारी”, “विनिर्दिष्ट करार” और “स्टाम्प शुल्क मूल्य” अभिव्यक्तियों को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्पूर्व वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 23 अंतरण न समझे गए संव्यवहार से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 47 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा में यह उपबंधित है कि पूंजी आस्ति के कतिपय अंतरण आय-कर अधिनियम की धारा 45 के अधीन कर से प्रभार्य नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त उक्त धारा के खंड (x) के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी कंपनी के बंधपत्रों या डिबेंचरों, डिबेंचर स्टॉक या किसी भी रूप के निक्षेप प्रमाणपत्र का संपरिवर्तन के रूप में उस कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों में किसी अंतरण को अंतरण के रूप में नहीं समझा जाता है।

आय-कर अधिनियम की धारा 47 में एक नया खंड (viiकक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि किसी अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी को भारत के बाहर किया गया पूंजी आस्ति का, जो भारतीय कंपनी के भारत के बाहर निर्गमित किए गए रूप में अंकित बंधपत्र हैं, किसी अंतरण को अंतरण नहीं समझा जाएगा।

उक्त धारा में एक नया खंड (xख) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी कंपनी के अधिमानी शेयरों का उस कंपनी के साधारण शेयरों में परिवर्तन के माध्यम से किसी अंतरण को भी अंतरण नहीं समझा जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 24 संगणना करने के ढंग से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 48 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा का पांचवां परंतुक यह उपबंध करता है कि ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो अनिवासी है उसके द्वारा अभिदत्त किसी भारतीय कंपनी के रूप में अंकित बंधपत्र के मोचन के समय किसी विदेशी करेंसी के विरुद्ध रूप के अधिमूल्यन के परिणामस्वरूप उद्भूत किसी अभिलाभ को प्रतिफल के पूर्ण मूल्य की संगणना के प्रयोजन के लिए छोड़ दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन “अर्जन की सूचकांकित लागत” को ऐसी रकम के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका अर्जन की लागत से वही अनुपात है जो उस वर्ष के लिए, जिसमें आस्ति का अंतरण किया जाता है, लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का उस प्रथम वर्ष के लिए, जिसमें निर्धारिती द्वारा आस्ति धारित की गई थी या 1 अप्रैल, 1981 को प्रारंभ होने वाले वर्ष के लिए, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, लागत मुद्रास्फीति सूचकांक से है।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो अनिवासी है, उसके द्वारा धारित किसी भारतीय कंपनी के रूप में अंकित बंधपत्र के मोचन के समय विदेशी करेंसी के विरुद्ध रूप के अधिमूल्यन के परिणामस्वरूप उद्भूत किसी अभिलाभ को प्रतिफल के पूर्ण मूल्य की संगणना के प्रयोजन के लिए छोड़ दिया जाएगा।

उक्त धारा में पारिणामिक संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे 1 अप्रैल, 1981 के स्थान पर 1 अप्रैल, 2001 रखा जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 25 अर्जन के कतिपय ढंगों के प्रति निर्देश से लागत से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 49 का संशोधन करने के लिए है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंधित करते हैं कि जहां पूंजी आस्ति कतिपय स्थितियों के अधीन निर्धारिती की संपत्ति हो जाती है, वहां आस्ति के अर्जन की लागत को ऐसी लागत होना समझा जाएगा, जो यथास्थिति, पूर्वतन स्वामी या निर्धारिती द्वारा उपगत या

उठाई गई आस्तियों के किसी सुधार की लागत को जोड़कर आए।

उक्त उपधारा (1) के खंड (iii) के उपखंड (ड) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 47 के खंड (vi ग) में निर्दिष्ट अंतरण को भी उक्त उपधारा (1) के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत लाया जा सके।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (2कड) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई पूंजी आस्ति, जो किसी कंपनी का साधारण शेयर है, धारा 47 के खंड (xख) में निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो गई है, वहां आस्ति के अर्जन की लागत को ऐसे अधिमानी शेयर की लागत समझा जाएगा, जिसके संबंध में निर्धारिती द्वारा ऐसी आस्ति अर्जित की गई है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

एक नई उपधारा (2कच) भी अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई पूंजी आस्ति, किसी पारस्परिक निधि स्कीम की समेकित योजना में कोई यूनिट या यूनिटें हैं, धारा 47 के खंड (xix) में निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो गई है, वहां आस्ति के अर्जन की लागत को पारस्परिक निधि स्कीम की समेकित योजना में यूनिट या यूनिटों के उसे अर्जित होने की लागत समझा जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (6) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां पूंजी अभिलाभ आन्ध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2014 और उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों और स्कीमों के उपबंधों के अधीन बनाए गए आंध्र प्रदेश राजधानी नगर लैंड पूलिंग स्कीम (तैयार करना और कार्यान्वयन) नियम, 2015 के अंतर्गत आने वाली लैंड पूलिंग स्कीम के अधीन प्राप्त, धारा 10 के खंड (37क) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत होता है जिसे उस वित्तीय वर्ष, जिसमें उक्त विनिर्दिष्ट पूंजी आस्ति का कब्जा निर्धारिती को सौंपा गया था, की समाप्ति से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अंतरित किया गया है, वहां आस्ति के अर्जन की लागत को उस वित्तीय वर्ष जिसमें उक्त विनिर्दिष्ट पूंजी आस्ति का कब्जा निर्धारिती को सौंपा गया था, की समाप्ति के पश्चात् दूसरे वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को उक्त विनिर्दिष्ट पूंजी आस्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य समझा जाएगा।

“स्टॉप शुल्क मूल्य” को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (7) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसी परियोजना में के शेयरों के जो धारा 45 की उपधारा (5क) में यथा निर्दिष्ट भूमि या भवन या दोनों के रूप में हैं, और जो उक्त उपधारा के परंतुक में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति नहीं है, अर्जन की लागत वह रकम होगी, जिसे उस उपधारा में प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा गया है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

एक नई उपधारा अंतःस्थापित करके उक्त धारा का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां पूंजी अभिलाभ किसी

ऐसी आस्ति के, जो किसी न्यास या किसी संस्था, जिसके संबंध में अनुवर्धित आय संगणित की गई हो और उस पर अध्याय 12डख के उपबंधों के अनुसार कर का संदाय कर दिया गया हो, द्वारा धारित आस्ति हो, वहां ऐसी आस्ति के अर्जन की लागत उस आस्ति का उचित बाजार मूल्य समझा जाएगा, जिसे धारा 115नघ की उपधारा (2) के प्रतिनिर्देश से विनिर्दिष्ट तारीख को अनुवर्धित आय की संगणना के लिए हिसाब में लिया गया है।

प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 26** आय-कर अधिनियम में कोट किए गए शेयर से भिन्न शेयर के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य हेतु विशेष उपबंध से संबंधित नई धारा 50गक अंतःस्थापित करने के लिए है।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी कंपनी के कोट किए गए शेयरों से भिन्न शेयरों के अंतरण के मामले में ऐसे शेयरों के विहित रीति में अवधारित उचित बाजार मूल्य को पूंजी अभिलाभ के रूप में कर के लिए प्रभार्य आय की संगणना के प्रयोजन के लिए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा।

“कोट किए गए शेयर” पद को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 27** पूंजी अभिलाभ का कतिपय बंधपत्रों में विनिधान पर प्रभारित न किए जाने से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 54डग का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (खक) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में, उक्त धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् कोई विनिधान करने के लिए, दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति से ऐसा बंधपत्र अभिप्रेत है, जो तीन वर्ष के पश्चात् मोचनीय है और जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी रूल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 1 अप्रैल, 2007 का या उसके पश्चात् जारी किया गया है, के रूप में परिभाषित किया गया है।

खंड (खक) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे इसमें इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किसी अन्य बंधपत्र को सम्मिलित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 28** “समायोजित”, “सुधार की लागत” और “अर्जन की लागत” के अर्थ से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 55 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध के अधीन 1 अप्रैल, 1981 से पहले अर्जित दीर्घकालिक पूंजी आस्ति की लागत को निर्धारिती को अर्जन की लागत या निर्धारिती के विकल्प पर उस तारीख को आस्ति के उचित बाजार मूल्य के रूप में लिया जाता है। 1 अप्रैल, 1981 को या उसके पश्चात् निर्धारिती द्वारा आस्ति अर्जित करने के पश्चात् सुधार की लागत को भी हिसाब में लिया जाता है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे पूर्वोक्त अंतिम तारीख को पहले लाकर 1 अप्रैल, 2001 किया जा सके। जहां दीर्घकालिक पूंजी आस्ति 1 अप्रैल, 2001 से पहले अर्जित की गई है, वहां अर्जन की लागत को 1 अप्रैल, 2001 को आस्ति के मूल्य के रूप में लिया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे मामलों में अर्जन की लागत को उस तारीख के पश्चात् सुधार की लागत के रूप में लिया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 29** अन्य स्रोतों से आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 56 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (vii) के विद्यमान उपबंधों में बिना प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल के किसी धन या स्थावर संपत्ति या विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति की प्राप्ति पर, यदि ऐसी प्राप्ति का मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, तो व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की कराधेयता के लिए उपबंध है। इसके अतिरिक्त उक्त धारा 56 की उपधारा (2) का खंड (viiक) में बिना प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल के लिए किसी फर्म या किसी निकट रूप से धारित कंपनी द्वारा किसी निकट रूप से धारित कंपनी के शेयरों की प्राप्ति की कराधेयता के लिए उपबंध है, यदि शेयरों का उचित बाजार मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है। तथापि उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (vii) और खंड (viiक) के अधीन कराधेयता कतिपय विनिर्दिष्ट अपवादों के अधीन है।

उक्त धारा की उपधारा (2) में एक नया खंड (x) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि उक्त धारा के उपबंधों की परिधि का विस्तार किया जा सके ताकि बिना प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल के लिए प्राप्त आस्तियों को कर के अधीन लाया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त धारा 56 की उपधारा (2) में एक नया खंड (x) अंतःस्थापित करके सभी निर्धारितियों द्वारा उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान अपवाद का, उसमें कतिपय अतिरिक्त अपवादों को सम्मिलित करके सुव्यवस्थीकरण करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 30** कटौती न करने योग्य रकमों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 58 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के उपबंध ऐसी रकमों को विनिर्दिष्ट करते हैं, जो अन्य स्रोतों से आय की संगणना में कटौती न करने योग्य हैं।

उक्त धारा की उपधारा (1क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (i) के उपबंध “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना में भी उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे “कारखाने या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में लागू होते हैं।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 31** एक शीर्ष से होने वाली हानि का अन्य शीर्ष से होने वाली आय के प्रति मुजरा किए जाने से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 71 का संशोधन करने के लिए है।

पूर्वोक्त धारा में उपधारा (3क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी निर्धारण वर्ष में “गृह संपत्ति से

आय” शीर्ष के अधीन हानि के मुजरे को किसी अन्य शीर्ष के अधीन आय के विरुद्ध दो लाख रुपए तक निर्बंधित किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 32 कतिपय कंपनियों की दशा में हानियों का अग्रनीत किया जाना और उनका मुजरा किया जाना से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 79 को प्रतिस्थापित करने के लिए है।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां किसी कंपनी की दशा में, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता सारवान रूप से हितबद्ध है, पूर्ववर्ष में शेरधृति में कोई परिवर्तन हुआ है, वहां किसी भी ऐसी हानि को, जो उस पूर्ववर्ष के किसी पूर्ववर्ष में उपगत हुई थी, तब तक अग्रनीत नहीं किया जाएगा या पूर्ववर्ष की आय के प्रति उसका मुजरा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को कंपनी के वे शेर, जो इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति वाले थे, ऐसे व्यक्तियों द्वारा फायदाप्रद रूप से धारित हैं, न रहे हों, जो उस वर्ष या उन वर्षों के, जिसमें या जिनमें हानि उपगत हुई थी, अंतिम दिन कंपनी के ऐसे शेरों को फायदाप्रद रूप से धारण करते थे, जो इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति वाले थे।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां किसी कंपनी की दशा में, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता सारवान रूप से हितबद्ध है किंतु जो धारा 80झकग में यथानिर्दिष्ट पात्र स्टार्ट अप है, जो उस पूर्ववर्ष के किसी पूर्ववर्ष में उपगत हुई थी, पूर्ववर्ष में शेरधृति में कोई परिवर्तन हुआ है, वहां हानि को अग्रनीत किया जाएगा या पूर्ववर्ष की आय के प्रति उसका मुजरा किया जाएगा, यदि ऐसी कंपनी के सभी शेरधारक, जिनके पास उस वर्ष या उन वर्षों के, जिसमें या जिनमें ऐसी हानि, जो उस वर्ष से, जिसमें कंपनी निगमित हुई थी, आरंभ होने वाली सात वर्ष की अवधि के दौरान उपगत होने वाली हानि है, उठाई गई थी, अंतिम दिन को मतदान शक्ति वाले शेरों को धारण कर रहे थे, ऐसे पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को भी कंपनी के वे शेर धारण कर रहे हों।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव किया गया है कि इस धारा के उपबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे, जहां किसी शेरधारक की मृत्यु के परिणामस्वरूप या ऐसे शेरधारक के, जो ऐसा दान करता है, किसी संबंधी को दान के रूप में शेरों के अंतरण के कारण पूर्ववर्ष में पूर्वोक्त शेरधृति और मतदान शक्ति में कोई परिवर्तन होता है।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव किया गया है कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसी भारतीय कंपनी के, जो विदेशी कंपनी के समामेलन या निर्विलयन के परिणामस्वरूप किसी विदेशी कंपनी की समनुषंगी है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि समामेलित या निर्विलीन विदेशी कंपनी के इक्यावन प्रतिशत शेरधारक, समामेलित या परिणामी विदेशी कंपनी के शेरधारक बने रहते हैं, शेरधृति में हुए किसी परिवर्तन को लागू नहीं होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 33 केंद्रीय सरकार की पेंशन स्कीम में अभिदाय की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि केंद्रीय सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् नियोजित किसी

व्यष्टि की दशा में या जो किसी अन्य नियोक्ता द्वारा नियोजित कोई व्यष्टि है या कोई भी अन्य निर्धारिती, जो व्यष्टि है, जिसने केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई या जो अधिसूचित की जाए, पेंशन स्कीम के अधीन अपने खाते में किसी भी रकम का पूर्ववर्ष में संदाय या निक्षेप किया है, तो उसे उसके पूर्व वर्ष में वेतन के दस प्रतिशत से अनधिक रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी। किसी अन्य निर्धारिती की दशा में, कटौती पूर्व वर्ष में सकल योग आय के दस प्रतिशत तक सीमित है।

उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कर्मचारी से भिन्न व्यष्टि की दशा में ऊपरी सीमा को सकल योग आय के दस प्रतिशत से बढ़ाकर बीस प्रतिशत किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 34 किसी साधारण बचत स्कीम के अधीन किए गए विनिधान की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध में यह उपबंधित है कि जहां किसी निर्धारिती ने, जो कोई निवासी व्यष्टि है, ऐसी स्कीम के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, किसी साधारण शेरधरोन्मुखी निधि के सूचीबद्ध साधारण शेर या सूचीबद्ध यूनितें अर्जित करता है, कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे पूर्ववर्ष के सुसंगत निर्धारण वर्ष की उसकी कुल आय की संगणना में ऐसे साधारण शेरों या यूनितें में विनिधान की रकम के पचास प्रतिशत की कटौती उस सीमा तक अनुज्ञात की जाएगी जहां ऐसी कटौती पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं है।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (5) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन कोई कटौती 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष की बाबत अनुज्ञात नहीं की जाएगी। तथापि, किसी ऐसे निर्धारिती को, जिसने स्कीम के अनुसार शेर और यूनितें अर्जित की हैं और 1 अप्रैल, 2017 को या उससे पहले प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए उक्त धारा के उपबंधों के अधीन कटौती का दावा किया है, 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष तक इस धारा के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाएगी यदि वह इस धारा के अन्य उपबंधों के अनुसार कटौती का दावा करने के लिए अन्यथा पात्र है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 35 कतिपय निधियों, पूर्व संस्थाओं आदि को दान की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80छ का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (5घ) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, दस हजार रुपए से अधिक की किसी राशि के दान की बाबत कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं होगी जब तक ऐसी राशि का संदाय नकद से भिन्न किसी ढंग द्वारा नहीं किया गया हो।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि दो हजार रुपए से अधिक की किसी राशि के दान की बाबत कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं होगी जब तक ऐसी राशि का संदाय नकद से भिन्न किसी अन्य रीति द्वारा नहीं किया गया हो।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 36 विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80झकग का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ यह उपबंध करते हैं कि जहां निर्धारिती जो पात्र स्टार्ट-अप है, की कुल सकल आय में पात्र कारबार से उद्भूत लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं, वहां इस धारा के अनुसार और उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्धारिती की कुल आय की संगणना में ऐसे कारबार से तीन लगातार निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे कारबार से उद्भूत लाभ और अभिलाभ के शत-प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती, निर्धारिती के विकल्प पर उस वर्ष से आरम्भ होने वाले पांच वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों के लिए जिसमें स्टार्ट-अप निगमित किया गया है, अनुज्ञात की जाएगी।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कटौती उसी वर्ष से आरम्भ होने वाले, जिसमें ऐसा पात्र स्टार्ट-अप निगमित किया गया है, पांच वर्षों के बजाय सात वर्षों में से किन्हीं तीन निरंतर निर्धारण वर्षों के लिए अनुज्ञात की जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 37 गृह निर्माण परियोजनाओं से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80झखक का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए गृह निर्माण परियोजनाओं का विकास और निर्माण करने वाले निर्धारिती के लाभों और अभिलाभों की शत-प्रतिशत कटौतियों के लिए उपबंध करती है, जिसमें, अन्य बातों के साथ यह भी सम्मिलित है कि गृह निर्माण परियोजना में समाविष्ट आवासन यूनिट के निर्मित क्षेत्र के लिए ऊपरी सीमा चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के चार नगरों में तीस वर्गमीटर से अधिक नहीं होगी और पच्चीस किलोमीटर की दूरी के भीतर, जिसे उक्त नगरों की नगरपालिका सीमा से आकाशी रूप से मापा जाए, किसी अन्य स्थान में, साठ वर्गमीटर से अधिक नहीं होगी; और परियोजना तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि 'निर्मित क्षेत्र' पद को 'कार्पेट क्षेत्र' के पद से प्रतिस्थापित किया जा सके और उक्त नगरों की नगरपालिका सीमा से पच्चीस किलोमीटर की आकाशी दूरी के निर्बंधन को भी समाप्त किया जा सके; और इस धारा के अधीन गृह निर्माण परियोजना को पूरा करने की पात्रता की अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किया जा सके।

भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में यथा उपबंधित "कार्पेट क्षेत्र" की परिभाषा का उपबंध करने का भी प्रस्ताव किया जाता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 38 कतिपय व्यष्टियों की दशा में आय-कर की रिबेट से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 87क का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि ऐसा कोई निर्धारिती जो भारत में निवासी कोई व्यष्टि है, जिसकी कुल आय पांच लाख

रुपए से अधिक नहीं है, अपनी उस कुल आय पर जिसके लिए वह किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है, (अध्याय 8 के अधीन कटौतियां अनुज्ञात करवाने के पूर्व यथा संगणित) आय-कर की रकम से ऐसे आय-कर के शत-प्रतिशत के बराबर रकम की या पांच हजार रुपए की रकम की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती का हकदार होगा।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन कटौती ऐसे निर्धारिती, जो भारत में व्यष्टिक निवासी है, जिसकी कुल आय साढ़े तीन लाख रुपए से अधिक नहीं है, किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य आय का शत प्रतिशत या दो हजार पांच सौ रुपए तक अनुज्ञात की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 39 विदेशों या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों के साथ करार से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 90 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों में, केंद्रीय सरकार को किसी देश की सरकार या भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के साथ ऐसी आय की बाबत, जिस पर आय-कर का संदाय आय-कर अधिनियम के अधीन और उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में, दोनों में किया गया है, अनुतोष मंजूर करने के लिए करार करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह और उपबंधित है कि किसी पद का, जो इस अधिनियम में या उक्त धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार में प्रयुक्त है किंतु इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में इस निमित्त जारी अधिसूचना में उसका है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो बशर्ते वह आय-कर अधिनियम या करार के उपबंधों से असंगत न हो।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी करार में प्रयुक्त किसी पद को उक्त करार में परिभाषित किया गया है, वहां उक्त पद का अर्थ वही होगा जो उस करार में उसका है; और जहां उक्त करार में पद को परिभाषित नहीं किया गया है किंतु आय-कर अधिनियम में परिभाषित है, वहां उसका वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम या केंद्रीय सरकार द्वारा, उसके लिए दिए गए किसी स्पष्टीकरण में उसका है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 40 केंद्रीय सरकार द्वारा दोहरी कराधान राहत के लिए विनिर्दिष्ट संगमों के बीच करार को अंगीकृत किए जाने से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 90क का संशोधन करने के लिए है।

धारा 90क के उपबंधों के अधीन, केंद्रीय सरकार, ऐसी आय के, जिस पर आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर और भारत के बाहर उस विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में आय-कर, दोनों का संदाय किया गया है, दोहरे कराधान के परिवर्जन, आय-कर के अपवंचन या परिवर्जन को रोकने के लिए सूचना के आदान-प्रदान या आय-कर की वसूली के लिए राहत प्रदान करने के लिए भारत में किसी विनिर्दिष्ट संगम द्वारा भारत से बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में किसी विनिर्दिष्ट संगम के साथ किए गए करार को अंगीकृत और कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक उपबंध कर सकती है। इसमें यह और उपबंधित है कि ऐसे किसी पद का, जिसे आय-कर अधिनियम या उक्त धारा की उपधारा (1)

में निर्दिष्ट करार में प्रयुक्त किया गया है, किंतु परिभाषित नहीं किया गया है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, परंतु वह आय-कर अधिनियम या उक्त करार के उपबंधों से असंगत न हो, वही अर्थ होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में जारी अधिसूचना में उसका है।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी करार में प्रयुक्त किसी पद को उक्त करार में परिभाषित किया गया है, वहां उक्त पद का वही अर्थ होगा जो करार में उसका है; और जहां ऐसा उक्त पद करार में परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वहां उसका वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में उसका है और केंद्रीय सरकार द्वारा, किसी स्पष्टीकरण में उसे दिया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 41 विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के अर्थ से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 92खक का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के उपबंध, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करते हैं कि निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान बीस करोड़ रुपए की कुल धनीय अवसीमा से अधिक किया गया कोई संव्यवहार धारा 40क की उपधारा (2) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए “विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार” के अर्थान्तर्गत आएगा और तदनुसार उसकी आसन्निकट मूल्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए संगणना करने की अपेक्षा होगी।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त धारा के खंड (1) का लोप किया जा सके ताकि उस व्यय को आय-कर अधिनियम की धारा 92खक के विस्तार क्षेत्र से अपवर्जित किया जा सके, जिसके संबंध में निर्धारिती द्वारा धारा 40क की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति को संदाय किया गया है या किया जाना है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 42 आय-कर अधिनियम में कतिपय मामलों में द्वितीय समायोजन से संबंधित नई धारा 92गड अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा 92गड यह उपबंध करती है कि द्वितीय समायोजन वहां किया जाएगा जहां कीमत अंतरण के लिए प्राथमिक समायोजन निर्धारिती द्वारा अपनी आय की विवरणी में स्वप्रेरणा से किया गया है ; या निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया है और निर्धारिती द्वारा स्वीकार किया गया है ; या निर्धारिती द्वारा धारा 92गग के अधीन किए गए अग्रिम कीमत निर्धारण करार द्वारा अवधारित है; या धारा 92गख के अधीन विरचित सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अनुसार है ; या दोहरे कराधान को परिवर्जित करने के लिए धारा 90 या धारा 90क के अधीन किए गए करार के अधीन पारस्परिक सहमति की प्रक्रिया के माध्यम से किसी निर्धारण के संकल्प के परिणामस्वरूप उद्भूत हुआ है।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि जहां अंतरण कीमत के प्राथमिक समायोजन के परिणामस्वरूप निर्धारिती की, यथास्थिति, कुल आय में वृद्धि या हानि में कमी हुई है, वहां अतिरिक्त धन को, जो उसके सहयुक्त उद्यम के पास उपलब्ध है, यदि भारत में ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संप्रत्यावर्तित नहीं हुआ है, ऐसे सहयुक्त उद्यम को निर्धारिती द्वारा किया गया अग्रिम समझा जाएगा और ऐसे अग्रिम पर ब्याज को ऐसी रीति में संगणित किया जाएगा, जो विहित की जाए।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव भी है कि इस धारा के उपबंध लागू होंगे यदि किसी निर्धारिती की दशा में किसी पूर्ववर्ष में किए गए प्राथमिक समायोजन की रकम एक करोड़ रुपए से अधिक है।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव भी है कि इस धारा के उपबंध ऐसे निर्धारितियों को लागू नहीं होंगे जिनके मामले में प्राथमिक समायोजन 1 अप्रैल, 2016 को या उससे पहले प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष की बाबत किया गया है।

“सहयुक्त उद्यम”, “आसन्निकट कीमत”, “अधिक धन”, “प्राथमिक समायोजन” और “द्वितीय समायोजन” पदों को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 43 आय-कर अधिनियम में कतिपय मामलों में ब्याज कटौती पर परिसीमा से संबंधित एक नई धारा 94ख अंतःस्थापित करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां कोई भारतीय कंपनी या भारत में किसी विदेशी कंपनी का स्थायी स्थापन, जो उधार लेने वाला है, एक करोड़ रुपए से अधिक ब्याज या वैसे ही प्रतिफल का संदाय करता है जो, “कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन किसी अनिवासी जो ऐसे उधार लेने वाले का सहयुक्त उपक्रम है, द्वारा जारी किसी ऋण के संबंध में प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती योग्य है, वहां ब्याज के शीर्ष के अधीन आय की संगणना में उस सीमा तक जहां तक उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट हो वह, अधिक ब्याज से उद्भूत होता है, कटौती नहीं की जाएगी।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव कि जहां किसी उधार दाता द्वारा ऋण जारी किया जाता है, जो सहयुक्त नहीं है किंतु सहयुक्त उद्यम है, या तो ऐसे उधार देने वाले को अस्पष्ट या स्पष्ट गारंटी देता है या उधार दाता के पास निधियों की तत्स्थानी और समतुल्य रकम जमा करता है, वहां ऐसा ऋण सहयुक्त उद्यम द्वारा जारी किया हुआ समझा जाएगा।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए “अधिक ब्याज” से, पूर्ववर्ष में उधार लेने वाले के ब्याज, करों, अवक्षयण और अपाकरण या उस पूर्ववर्ष के लिए सहयुक्त उद्यमों को संदत्त या संदेय ब्याज के पूर्व उपार्जनों के तीस प्रतिशत से अधिक संदत्त या संदेय कुल ब्याज की रकम जो भी कम हो, अभिप्रेत है।

उक्त धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करने के लिए है कि उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात भारतीय कंपनी या विदेशी कंपनी के स्थायी स्थापन को, जो बैंककारी या बीमा के कारबार में लगा हुआ है, लागू नहीं होगी।

उक्त धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए, ऐसे ब्याज व्यय जिसका पूर्णतः “कारबार या वृत्ति के लाभ या अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय के प्रति कटौती नहीं की गई है तो उतने ब्याज व्यय को जितने की कटौती नहीं की गई है, आगामी निर्धारण वर्ष या निर्धारण वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा और इसका उसके द्वारा किए जाने वाले कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ, यदि कोई हों, और उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय के विरुद्ध उपधारा (2) के अनुसार अधिकतम अनुज्ञेय ब्याज व्यय के विस्तार तक कटौती अनुज्ञात की जाएगी। यह और

उपबंध किया जाता है कि कोई ब्याज व्यय निर्धारण वर्ष, जिसके लिए अधिक ब्याज व्यय की पहली बार संगणना की गई थी, के ठीक उत्तरवर्ती आठ निर्धारण वर्षों से अधिक के लिए इस धारा के अधीन अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

उक्त धारा की उपधारा (5) “सहयुक्त उद्यम”, “ऋण” और “स्थायी स्थापन” अभिव्यक्तियों को परिभाषित करने के लिए है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 44 देशी कंपनियों से प्राप्त कतिपय लाभांशों पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115खखघक [वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 52 द्वारा यथा अंतःस्थापित] का संशोधन करने के लिए है।

धारा 115खखघक के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी ऐसे निर्धारिती के मामले में, जो कोई व्यक्ति, हिंदू अविभक्त कुटुंब या फर्म, जो भारत में निवासी है, कर दस लाख रुपए से अधिक लाभांश के रूप में आय पर दस प्रतिशत की दर से प्रभारित किया गया है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यह धारा, धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vik) में निर्दिष्ट देशी कंपनी, निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था से भिन्न सभी निवासी व्यक्तियों और आय-कर अधिनियम की धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास या संस्था को लागू होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 45 आय-कर अधिनियम में कार्बन प्रत्ययों के अंतरण से आय पर कर से संबंधित आय-कर की नई धारा 115खखघ अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा 115खखघ यह उपबंध करने के लिए है कि किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, जिसकी कुल आय में, कार्बन प्रत्ययों के अंतरण के माध्यम से होने वाली कोई आय सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर, कार्बन प्रत्ययों के अंतरण के माध्यम से होने वाली आय पर दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम और आय-कर की उस रकम, जो उस समय निर्धारिती से प्रभार्य होती, यदि उसकी कुल आय में कार्बन प्रत्यय के अंतरण के रूप में निर्दिष्ट आय को घटा दिया जाता, का योग होगा।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि निर्धारिती प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट उसकी आय की संगणना करने में आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किए गए किसी व्यय या मोक के संबंध में किसी कटौती के लिए पात्र नहीं होगा।

उक्त धारा में ‘कार्बन प्रत्ययों’ पद को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव किया जाता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 46 कतिपय कंपनियों से संबंधित समझी गई आय पर

संदत्त कर की बाबत कर प्रत्यय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115जकक का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (2क) में यह उपबंध है कि उपधारा (1क) के अधीन अनुज्ञात किए जाने वाला कर प्रत्यय, धारा 115जख की उपधारा (1) के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए संदत्त कर की रकम और आय-कर अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार निर्धारिती की कुल आय पर संगणित संदेय कर की रकम के बीच का अंतर होगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 115जख के उपबंधों के अधीन निर्धारिती द्वारा संदेय कर के प्रति अनुज्ञात किसी देश या भारत से बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त किसी आय-कर की बाबत कर प्रत्यय की रकम, निर्धारिती द्वारा इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार उसकी आय पर संदेय कर के प्रति अनुज्ञेय ऐसे कर प्रत्यय की रकम से अधिक है, वहां उक्त उपधारा के अधीन प्रत्यय की रकम की संगणना करते समय ऐसी अधिक रकम पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

उक्त धारा की उपधारा (3क) में आगे और संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कर प्रत्यय को अग्रणीत करने की अवधि को दसवें निर्धारण वर्ष से बढ़ाकर पंद्रहवें निर्धारण वर्ष किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 47 कतिपय कंपनियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115जख का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा बही-लाभ के आधार पर कतिपय कंपनियों पर कर के उद्ग्रहण का उपबंध करती है जिसका अवधारण कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए लाभ और हानि लेख में प्रकटित शुद्ध लाभ के लिए कतिपय समायोजन करने के पश्चात् किया जाता है।

इस धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे भारतीय लेखांकन मानकों के उपबंधों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने वाली कंपनी के लिए धारा 115जख के उपबंधों को समामेलित किया जा सके और नए कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार उक्त धारा में निर्दिष्ट कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों को अद्यतन किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 48 अनुकल्पी न्यूनतम कर के लिए कर प्रत्यय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115जघ का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि किसी निर्धारण वर्ष की कर प्रत्यय की रकम वह होगी, जितनी संदत्त किए गए अनुकल्पी न्यूनतम कर की रकम, संदेय नियमित आय-कर की रकम से अधिक है और उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि ऐसा कर प्रत्यय दस वर्षों की अवधि के लिए अग्रणीत किया जाना अनुज्ञात है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां संदेय अनुकल्पी न्यूनतम कर के प्रति अनुज्ञात किसी देश या भारत से बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त किसी आय-कर की बाबत कर प्रत्यय की रकम, निर्धारिती द्वारा इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार

उसकी आय पर संदेय नियमित आय-कर के प्रति अनुज्ञेय ऐसे कर प्रत्यय की रकम से अधिक है, वहां प्रत्यय की रकम की संगणना करते समय ऐसी अधिक रकम पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और कर प्रत्यय को अग्रनीत करने की अवधि को दसवें निर्धारण वर्ष से बढ़ाकर पंद्रहवें निर्धारण वर्ष तक बढ़ाया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 49 अधीनस्थ प्राधिकारियों को अनुदेश से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 119 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (2) का उपखंड (क) बोर्ड को, राजस्व के निर्धारण या संग्रहण या शास्तियां अधिरोपित करने के लिए कार्यवाहियां आरंभ करने से संबंधित कार्य में अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले (निर्धारितियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) निदेश या अनुदेश उपवर्णित करते हुए आदेश जारी करने के लिए सशक्त करता है।

उक्त उपधारा में धारा 271ग और धारा 271गक का निर्देश अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे बोर्ड को उक्त धाराओं की बाबत भी निदेश या अनुदेश जारी करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 50 तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 132 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि जहां उसमें उल्लिखित किसी प्राधिकारी के पास, उसके कब्जे में की सूचना के आधार पर, उसमें निर्दिष्ट परिस्थितियों के विश्वास करने का कारण है, वहां वह उसमें विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को तलाशी और अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

उक्त उपधारा (1) के चौथे परन्तुक के पश्चात् एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन उसमें निर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी द्वारा विश्वास करने का लेखबद्ध कारण किसी व्यक्ति या किसी प्राधिकारी या अपील अधिकरण को प्रकट नहीं करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 1962, जो आय-कर अधिनियम, 1961 के प्रारंभ होने की तारीख है, से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

उक्त धारा की उपधारा (1क) में यह उपबंध है कि जहां उसमें उल्लिखित किसी प्राधिकारी के पास, उसके कब्जे में की सूचना के आधार पर, उसमें निर्दिष्ट परिस्थितियों में संदेह करने का कारण है, वहां वह उसमें विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को तलाशी और अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

उक्त उपधारा (1क) में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह घोषित किया जा सके कि इस उपधारा के उपबंधों के अधीन तलाशी और अभिग्रहण करने के लिए आय-कर प्राधिकारी द्वारा संदेह करने का कारण, किसी व्यक्ति या प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण को प्रकट नहीं किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 1975 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

उक्त धारा में उपधारा (9ख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि राजस्व के हितों की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए और उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित में आदेश द्वारा प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक के पूर्वानुमोदन से निर्धारित की किसी संपत्ति की अनंतिम रूप से कुर्की कर सकेगा।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (9ग) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी अनंतिम कुर्की, कुर्की के आदेश की तारीख से छह मास की समाप्ति के पश्चात् निष्प्रभावी हो जाएगी।

उक्त धारा में उपधारा (9घ) को भी अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि तलाशी के मामले में, संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के प्राक्कलन के लिए प्राधिकृत अधिकारी उक्त उपधारा के अधीन उपबंधित रीति में मूल्यांकन प्रयोजनों के लिए धारा 142क में निर्दिष्ट मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश कर सकेगा। इस धारा में यह भी प्रस्तावित है कि मूल्यांकन अधिकारी ऐसे निर्देश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

धारा 132 के स्पष्टीकरण 1 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (9क), उपधारा (9ख) और उपधारा (9घ) के प्रयोजनों के लिए “तलाशी के लिए प्राधिकार का निष्पादन” के संबंध में धारा 153ख की उपधारा (2) के उपबंध लागू होंगे।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 51 लेखा पुस्तकों आदि की अपेक्षा करने की शक्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 132क का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी उसके कब्जे में की सूचना के आधार पर उसमें विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के विश्वास करने का कारण है, तो वह उसमें उल्लिखित अन्य आय-कर प्राधिकारी को उक्त उपधारा के खंड (क) से खंड (ग) में निर्दिष्ट अन्य अधिकारी या प्राधिकारी से इस प्रकार प्राधिकृत आय-कर प्राधिकारी को निर्धारित की लेखा पुस्तकें, दस्तावेज या आस्तियां परिदत्त करने की अपेक्षा करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

उक्त उपधारा में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह घोषित किया जा सके कि आय-कर प्राधिकारी द्वारा अध्यक्षता करने के लिए अभिलिखित कारण किसी व्यक्ति या किसी प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण को प्रकट नहीं किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 1975 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 52 जानकारी मांगने की शक्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 133 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा कतिपय आय-कर प्राधिकारियों को, अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाही के प्रयोजन के लिए जानकारी मांगने हेतु सशक्त करती है।

उक्त धारा के पहले परन्तुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के खंड (6) में यथा निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाही के संबंध में शक्ति का प्रयोग संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक द्वारा भी किया जा सकेगा।

यह और प्रस्ताव है कि उक्त धारा के दूसरे परंतुक का संशोधन किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक ऐसे मामले में जहां कोई कार्यवाही लंबित नहीं है, उक्त परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना जांच के संबंध में शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 53** सर्वेक्षण की शक्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 133क का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा किसी आय-कर प्राधिकारी को किसी ऐसे स्थान का सर्वेक्षण करने के लिए सशक्त करती है जिस पर कोई कारबार या वृत्ति चलाई जाती है या जिस पर कारबार या वृत्ति से संबंधित कोई लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज या नकदी या स्टाक का कोई भाग या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज रखी जाती है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि वह स्थान, जिस पर पूर्ण प्रयोजन के लिए कोई क्रियाकलाप चलाया जाता है, का भी आय-कर प्राधिकारी द्वारा सर्वेक्षण किया जा सकेगा।

उक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में पूर्ण प्रयोजन के लिए क्रियाकलाप के प्रति निर्देश अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जो पारिणामिक प्रकृति का है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 54** विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा जानकारी मांगने की शक्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 133ग का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि विहित आय-कर प्राधिकारी किसी व्यक्ति को, ऐसे आय-कर प्राधिकारी के कब्जे में की जानकारी के सत्यापन के प्रयोजनों के लिए कोई जानकारी या दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा करते हुए सूचना जारी कर सकेगा।

उक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि जहां कोई जानकारी या दस्तावेज उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना के उत्तर में प्राप्त हुआ है वहां विहित आय-कर प्राधिकारी ऐसी जानकारी या दस्तावेज पर कार्यवाही कर सकेगा और निर्धारण अधिकारी को ऐसी कार्यवाही करने का परिणाम उपलब्ध करवा सकेगा।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (3) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केंद्रीयकृत रूप से सूचना के जारी किए जाने को समर्थ बनाने के लिए जानकारी या दस्तावेजों पर कार्यवाही करने और उक्त कार्यवाही का परिणाम निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध कराने के लिए, कोई स्कीम बना सकेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 55** आय की विवरणी से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 139 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (4ग) में कतिपय ऐसे अस्तित्वों द्वारा विवरणी फाइल करने की आज्ञा है जो धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त है।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10 के खंड (23ककक) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, खंड (23डग) या खंड (23डगघ) में निर्दिष्ट विनिधानकर्ता संरक्षा निधि, खंड (23डड) में निर्दिष्ट कोर समाधान प्रत्याभूति निधि और खंड (29क) में निर्दिष्ट बोर्ड या प्राधिकरण द्वारा भी आय की विवरणी फाइल करने की अपेक्षा आज्ञापक होगी।

उक्त धारा 139 की उपधारा (5) में यह उपबंध है कि कोई व्यक्ति उस दशा में, जहां वह पहले से ही दी गई अपनी आय की विवरणी में कोई लोप या गलत विवरण पाता है, तो वह सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से एक वर्ष के भीतर या निर्धारण पूरा होने से पहले, इसमें जो भी पूर्वतर हो, पुनरीक्षित विवरणी दे सकता है।

उक्त उपधारा (5) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पुनरीक्षित विवरणी देने का समय सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति तक या निर्धारण पूरा होने से पहले, इसमें जो भी पूर्वतर हो, उपलब्ध होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 56** स्वतः निर्धारण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 140क का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा में यह उपबंधित है कि निर्धारित आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन संदेय कर का ब्याज सहित संदाय करने का दायी होगा जिसमें से उक्त अधिनियम के अधीन विवरणी देने से पहले उसमें विनिर्दिष्ट रकम को घटा दिया जाएगा। खंड इस प्रकार संदेय रकम की संगणना की रीति तथा उक्त रकम का संदाय न करने के परिणाम के बारे में भी उपबंध करता है।

यह सम्मिलित करने के लिए उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि आय की विवरणी देने में विलंब होने की दशा में यथा पूर्वोक्त संदेय कर और ब्याज के साथ आय की विवरणी देने में विलंब के लिए फीस भी संदेय है।

प्रस्तावित संशोधन नई धारा 234च के अन्तःस्थापन का पारिणामिक है, जिसमें आय की विवरणी देने में विलंब के लिए फीस के बारे में उपबंध है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 57** निर्धारण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 143 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) धारा 139 के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन किसी नोटिस के प्रत्युत्तर में दी गई किसी विवरणी पर कार्यवाही करने की रीति उपबंधित करती है।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपधारा के अधीन विवरणी पर कार्यवाही किए जाने के मद्दे, यथास्थिति, संदेय रकम या शोध्य प्रतिदाय की संगणना करने के लिए धारा 234च के अधीन संदेय फीस पर भी विचार किया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन नई धारा 234च के अंतःस्थापन का पारिणामिक है, जो आय की विवरणी देने में विलंब के लिए फीस का उपबंध करता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा की उपधारा (1घ) (वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 68 द्वारा यथा प्रतिस्थापित) के स्थान पर यह उपबंध करने के लिए एक नई उपधारा रखने का प्रस्ताव है कि जहां उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन निर्धारिती को सूचना जारी की गई है, वहां किसी विवरणी पर कार्यवाही करना आवश्यक नहीं होगा।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए दी गई किसी विवरणी के संबंध में लागू नहीं होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 58 निर्धारणों, पुनः निर्धारणों और पुनःसंगणना को पूरा करने के लिए समय की परिसीमा से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 153 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा उसमें उल्लिखित कतिपय मामलों में निर्धारण, पुनःनिर्धारण और पुनःसंगणना को पूरा करने के लिए समय सीमा का उपबंध करती है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण वर्ष 2018-2019 के लिए धारा 143 या धारा 144 के अधीन निर्धारण आदेश करने की समय सीमा निर्धारण वर्ष के अंत से इक्कीस मास से घटाकर अठारह मास की जाएगी और निर्धारण वर्ष 2019-2020 के लिए तथा उसके पश्चात् उक्त समय सीमा उस निर्धारण वर्ष के अंत से, जिसमें आय पहली बार निर्धारणीय थी, बारह मास होगी।

उक्त धारा की उपधारा (2) को संशोधित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2019 को या उसके पश्चात् धारा 148 के अधीन तामील सूचना की बाबत धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना का आदेश उस वित्तीय वर्ष के अंत से बारह मास के भीतर किया जाएगा, जिसमें धारा 148 के अधीन सूचना तामील की गई थी।

उक्त धारा की उपधारा (3) को संशोधित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 में और उसके पश्चात् धारा 254, धारा 263 या धारा 264 के अधीन पारित या प्राप्त आदेश के अनुसरण में नए निर्धारण का आदेश करने के लिए समय सीमा उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें उसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा धारा 254 के अधीन आदेश प्राप्त किया गया है या धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश पारित किया गया है, बारह मास होगी।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण 1 के तीसरे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव भी है जिससे कि उसमें धारा 153ख के निर्देश का लोप किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

उक्त धारा की उपधारा (5) को संशोधित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या धारा 263 या धारा 264 के अधीन किसी आदेश में किसी विवाद्यक का निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी दस्तावेज के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सत्यापन अपेक्षित है या जहां निर्धारिती को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना है, वहां उपधारा (3) में उपबंधित नए निर्धारण से संबंधित समय सीमा उक्त आदेश को प्रभावी करने वाले आदेश को लागू होगी।

उक्त धारा की उपधारा (9) को संशोधित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 143

की उपधारा (2) या धारा 148 के अधीन सूचना 1 जून, 2016 से पहले जारी की गई है और स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट समय के अपवर्जन के कारण उक्त तारीख तक निर्धारण या पुनःनिर्धारण पूरा नहीं किया गया है, वहां ऐसा निर्धारण या पुनःनिर्धारण धारा 153 के उपबंधों के अनुसार, जैसी यह वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा इसके प्रतिस्थापन से ठीक पहले थी, किया जाएगा।

ये संशोधन 1 जून, 2016 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 59 तलाशी या अध्यक्षता की दशा में निर्धारण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 153क का संशोधन करने के लिए है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि जहां धारा 132 के अधीन कोई तलाशी ली जाती है या धारा 132क के अधीन अध्यक्षता की जाती है, वहां ऐसे व्यक्ति को एक सूचना जारी की जाएगी कि वह उस पूर्ववर्ष, जिसमें तलाशी ली जाती है या अध्यक्षता की जाती है, से सुसंगत निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती छह निर्धारण वर्षों के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के संबंध में आय की विवरणी प्रस्तुत करे। यह उक्त वर्षों की कुल आय के निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए भी उपबंध करता है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा के अधीन सूचना का जारी किया जाना और निर्धारण या पुनर्निर्धारण, उस पूर्ववर्ष, जिसमें तलाशी ली जाती है या अध्यक्षता की जाती है, से सुसंगत निर्धारण वर्ष से पूर्ववर्ती ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए भी किया जा सकता है, जो उस पूर्ववर्ष, जिसमें तलाशी ली जाती है या अध्यक्षता की जाती है, के छह निर्धारण वर्षों से परे है किंतु दस निर्धारण वर्षों से अपश्चात् है ; परंतु, —

(i) निर्धारण अधिकारी के कब्जे में ऐसी लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज या साक्ष्य न हों, जो यह प्रकट करते हों कि ऐसी आय, जो निर्धारण से रह गई है, किसी एक वर्ष में पचास लाख रुपए या अधिक की रकम के बराबर है या बराबर होने की संभावना है या उक्त चार निर्धारण वर्षों में उसका कुल योग पचास लाख रुपए या अधिक हो ;

(ii) ऐसी आय को, जो निर्धारण से रह गई है, आस्ति प्ररूप में व्यपदिष्ट किया जाता है, जिसके अंतर्गत ऐसी स्थावर संपत्ति होगी जो भूमि या भवन या दोनों, शेयर और प्रतिभूतियां, ऋण और अग्रिम, बैंक खातों में निक्षेप हैं ;

(iii) ऐसी आय, जो निर्धारण से रह गई है, या उसका भाग ऐसे वर्ष से संबंधित है ; और

(iv) धारा 132 के अधीन प्रारंभ की गई तलाशी या धारा 132क के अधीन की गई अध्यक्षता 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् की गई है।

उक्त उपधारा के परंतुकों में पारिणामिक संशोधन करने का और प्रस्ताव है।

स्पष्टीकरण के प्ररूप में “सुसंगत निर्धारण वर्ष” और “आस्ति” पद को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 60 धारा 153क के अधीन निर्धारण पूरा करने के लिए समय सीमा से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 153ख का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) में यह उपबंध है कि धारा 153क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट छह निर्धारण वर्षों के अंतर्गत आने

वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के संबंध में, निर्धारण या पुनर्निर्धारण का कोई आदेश, उस वित्तीय वर्ष, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यक्ष के लिए अंतिम प्राधिकारों का निष्पादन किया गया था, के अंत से चौबीस मास की अवधि के भीतर किया जाएगा।

उपरोक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उसमें यथा विनिर्दिष्ट निर्धारण और पुनर्निर्धारण के लिए समय सीमा धारा 153क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुसंगत निर्धारण वर्ष के संबंध में भी लागू होगी।

प्रस्तावित संशोधन आय-कर अधिनियम की धारा 153क के संशोधन का पारिणामिक है।

उपधारा (1) का और संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि वित्त वर्ष 2018-2019 के दौरान संचालित किए गए तलाशी और अभिग्रहण के मामलों के लिए, धारा 153क के अधीन निर्धारण आदेश करने के लिए समय सीमा को विद्यमान इक्कीस मास से घटाकर उस वित्त वर्ष, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यक्ष के लिए अंतिम प्राधिकारों का निष्पादन किया गया था, के अंत से अठारह मास किया जाएगा। यह और प्रस्ताव है कि वित्त वर्ष 2019-2020 में और उसके पश्चात् संचालित किए जाने वाले तलाशी और अभिग्रहण के मामलों के लिए, उक्त समय सीमा को आगे और घटाकर उस वित्त वर्ष, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यक्ष के लिए अंतिम प्राधिकारों का निष्पादन किया गया था, के अंत से बारह मास किया जाएगा।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि धारा 153ग में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमा की अवधि वह होगी, जो उस व्यक्ति की दशा में उपलब्ध है जिसकी तलाशी संचालित की जा रही है या उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें अभिगृहीत या अध्यक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियों को धारा 153ग के अधीन ऐसे व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंपा जाता है, बारह मास की अवधि, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, होगी।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण में, एक परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 245जक के अधीन समझौता आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही का उपशमन होता है, इस धारा के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने के लिए उपलब्ध परिसीमा की अवधि, धारा 245जक की उपधारा (4) के अधीन अवधि के अपवर्जन के पश्चात् एक वर्ष से कम नहीं होगी ; और जहां परिसीमा की ऐसी अवधि एक वर्ष से कम है, उसे एक वर्ष तक विस्तारित किया गया समझा जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

उक्त धारा की उपधारा (3) का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 153क या धारा 153ग के अधीन सूचना 1 जून, 2016 से पूर्व जारी की गई है और स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट समय के अपवर्जन के कारण ऐसी नियत तारीख तक निर्धारण पूरा नहीं हुआ है, वहां ऐसा निर्धारण इस धारा के, जैसी वह धारा वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा उसके प्रतिस्थापन से ठीक पूर्व थी, उपबंधों के अनुसार पूरा किया जाएगा।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 61 किसी अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 153ग का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा के दूसरे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 153क की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट सुसंगत निर्धारण वर्ष के प्रतिनिर्देश का उपबंध किया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन आय-कर अधिनियम की धारा 153क के संशोधन का पारिणामिक है और 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् ली गई किसी तलाशी या की गई किसी अध्यक्ष के संबंध में लागू होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 62 अन्य संशोधनों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 155 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (14क) को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां भारत से बाहर किसी देश या धारा 90, धारा 90क या धारा 91 में निर्दिष्ट भारत से बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त किसी आय-कर के लिए प्रत्यय इस आधार पर सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण आदेश में नहीं दिया गया है कि ऐसे कर का संदाय किसी विवाद के अधीन था, निर्धारण अधिकारी धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश या सूचना का परिशोधन करेगा, यदि निर्धारित, उस मास के, जिसमें विवाद का समाधान हो जाता है, अंत से छह मास के भीतर ऐसे विवाद के समाधान का सबूत और ऐसे कर के संदाय का साक्ष्य इस वचनबंध के साथ प्रस्तुत करता है कि किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी रकम के संबंध में किसी प्रत्यय का दावा नहीं किया गया है या दावा नहीं किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्ष 2018-2019 के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 63 कतिपय व्यष्टियों या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा किराए का संदाय से संबंधित नई धारा 194झख आय-कर अधिनियम में अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, (धारा 194झ के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट से भिन्न) जो किसी पूर्ववर्ष के दौरान किसी मास या मास के भाग के लिए पचास हजार रुपए से अधिक किराए के माध्यम से किसी आय का संदाय किसी निवासी को करने के लिए उत्तरदायी है, वह ऐसी रकम के पांच प्रतिशत रकम के बराबर रकम की कटौती आय-कर के रूप में करेगा।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय-कर की कटौती, यथास्थिति, पूर्ववर्ष के अंतिम मास या किराएदारी के अंतिम मास, यदि वर्ष के दौरान संपत्ति रिक्त की जाती है, के लिए, ऐसी आय पर किराए को जमा करने के समय पाने वाले के खाते में या उसके नकद संदाय के समय या चैक अथवा ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से, इनमें जो पूर्वतर हो, की जाएगी।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि धारा 203क के उपबंध, किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे जिससे इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती करना अपेक्षित है।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ऐसे मामले में, जहां कर की कटौती धारा 206कक के उपबंधों के अनुसार की जानी अपेक्षित हो, ऐसी कटौती, यथास्थिति, पूर्ववर्ष के अंतिम मास या किराएदारी के अंतिम मास के लिए संदेय किराए की रकम से अधिक नहीं होगी।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए “किराया” पद को किसी भूमि या भवन या दोनों के उपयोग के लिए किसी पट्टा या उप पट्टा, किराएदारी या किसी करार या ठहराव के अधीन किसी संदाय, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, के अर्थ में परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 जून, 2017 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 64 विनिर्दिष्ट करार के अधीन संदाय की बाबत कटौतियों के संबंध में आय-कर अधिनियम में नई धारा 194झग अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 194झक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 45 की उपधारा (5क) में निर्दिष्ट करार के अधीन प्रतिफल द्वारा, जो वस्तु के रूप में प्रतिफल न हो, किसी राशि का किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, पाने वाले के खाते में ऐसी राशि जमा करते समय या इसका नकद में या किसी बैंक अथवा ड्राफ्ट या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, ऐसी राशि के दस प्रतिशत के बराबर रकम की आय-कर के रूप में कटौती करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 65 वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194ज का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब नहीं है और जो किसी निवासी को वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं या इसमें उल्लिखित अन्य सेवाओं के लिए फीस के रूप में किसी राशि का संदाय करने के लिए दायी है, ऐसी राशि के दस प्रतिशत के बराबर रकम की इसमें सम्मिलित आय-कर के रूप में कटौती करेगा।

उक्त धारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे किसी ऐसे पाने वाले, जो केवल किसी काल सेंटर के प्रचालन के कारबार में लगा हुआ है, की दशा में प्राप्त या उसे जमा किए गए संदायों के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती की दर को दस प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2017 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 66 कतिपय स्थावर संपत्ति के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194उक का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध है कि कोई भी व्यक्ति, जो किसी स्थावर संपत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) के; तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों के अधीन अनिवार्य अर्जन के मद्दे किसी निवासी को प्रतिकर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, प्रतिकर या वर्धित प्रतिकर या प्रतिफल पर दस प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध करने के लिए एक नया परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके कि इस धारा के अधीन स्रोत पर कर की कटौती उस दशा में नहीं की जाएगी, जहां ऐसा संदाय किसी ऐसे अधिनिर्णय या करार की बाबत किया गया है, जिसे भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अधीन आय-कर के उद्ग्रहण से छूट प्राप्त है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 67 भारतीय कंपनी से ब्याज के रूप में आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194ठग का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में निम्नतर कर रोकने की पांच प्रतिशत दर के लिए पात्र ब्याज विनिर्दिष्ट किया गया है। यह विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा किसी उधार करार के अधीन भारत के बाहर स्रोतों से विदेशी करेंसी में लिए गए उधार पर या दीर्घकालिक बंधपत्र, या जिसके अंतर्गत दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्र भी हैं, के निर्गमन द्वारा, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए इसके द्वारा संदेय ब्याज आय होगी।

उक्त उपधारा के खंड (i) के उपखंड (क) और उपखंड (ग) यह और उपबंध करते हैं कि उधार, क्रमशः किसी उधार करार के अधीन किसी भी समय 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जुलाई, 2017 के पूर्व; और किसी दीर्घकालिक बंधपत्र, जिसके अंतर्गत दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्र है, के द्वारा 1 अक्टूबर, 2014 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जुलाई, 2017 के पूर्व लिया जाएगा।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (i) के उपखंड (क) और उपखंड (ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उधार 1 जुलाई, 2017 के बजाय 1 जुलाई, 2020 के पूर्व लिया जा सकता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

उक्त धारा की उपधारा (2) में एक नया खंड (i) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे उक्त धारा के फायदे को 1 जुलाई, 2020 के पूर्व भारत के बाहर निर्गमित रूप में अंकित बंधपत्र पर भी विस्तारित कर दिया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-2017 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 68 कतिपय बंधपत्रों और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194ठघ का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन उपधारा (1) में यथा उपबंधित पांच प्रतिशत की निम्नतर कर रोकने की दर के लिए पात्र ब्याज आय 1 जून, 2013 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जुलाई, 2017 के पूर्व संदेय ब्याज के रूप में विनिर्दिष्ट की गई है।

पूर्वोक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे सरकारी प्रतिभूतियों और रूप में अंकित कारपोरेट बंधपत्र में विनिधान की बाबत ब्याज संदाय पर कर रोक की पांच प्रतिशत की रियायती दर 1 जुलाई, 2020 के पूर्व संदेय ब्याज पर उपलब्ध कराने का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 69 कतिपय दशाओं में कटौती का न किया जाना से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 197क का संशोधन करने के लिए है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1क) और उपधारा (1ग) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंधित करते हैं कि धारा 197क की उक्त उपधारा (1क) और

उपधारा (1ग) में निर्दिष्ट विभिन्न धाराओं के अधीन कर की कटौती नहीं की जाएगी, यदि उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट व्यक्ति विनिर्दिष्ट धाराओं में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को विहित प्ररूप में दो प्रतियों में तथा विहित प्ररूप में सत्यापित इस आशय की लिखित घोषणा करते हैं कि उसकी उस पूर्ववर्ष की, जिसमें उसकी कुल आय की संगणना में ऐसी आय सम्मिलित की जानी है, प्राक्कलित कुल आय पर कर शून्य होगा।

उक्त धारा की उक्त उपधारा (1क) और उपधारा (1ग) को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 194घ के अधीन स्रोत पर कटौती को भी समाविष्ट किया जा सके।

ये संशोधन 1 जून, 2017 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 70 “संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति” के अर्थ से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 204 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा में एक नया खंड (iiख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी अनिवासी, जो कंपनी नहीं है, को या किसी विदेशी कंपनी को किसी ऐसी राशि के संदाय के संबंध में, जो चाहे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य है अथवा नहीं, सूचना प्रस्तुत किए जाने की दशा में, स्वयं संदायकर्ता या यदि संदायकर्ता कोई कंपनी है तो स्वयं कंपनी भी, जिसके अंतर्गत उसका प्रधान अधिकारी भी है, इस धारा के अधीन परिभाषा के अर्थान्तर्गत संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 71 एलकोहाली लिकर, वनोत्पाद, स्कूप आदि में व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1घ) का खंड (ii) पांच लाख रुपए से अधिक के आभूषण के नकद विक्रय पर विक्रय प्रतिफल के 1% की दर से स्रोत पर कर संग्रहण का उपबंध करता है। धारा 269घन के अधीन उपबंध किए जाने के लिए यथा प्रस्तावित नकद संव्यवहारों पर निर्बन्धन को ध्यान में रखते हुए उक्त खंड का लोप करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन आयकर अधिनियम में एक नई धारा 269घन के अंतःस्थापन के परिणामस्वरूप है।

उक्त धारा की उपधारा (1च) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है कि विक्रेता, जो दस लाख रुपए से अधिक मूल्य के किसी मोटर यान के विक्रय के लिए प्रतिफल के रूप में कोई रकम प्राप्त करता है, ऐसी रकम की प्राप्ति के समय, क्रेता से विक्रय प्रतिफल के एक प्रतिशत की राशि के बराबर रकम का आय-कर के रूप में संग्रहण करेगा।

उक्त धारा की उपधारा (1च) के उपबंधों से निम्नलिखित वर्ग के क्रेताओं को छूट देने के लिए धारा 206ग के स्पष्टीकरण के खंड (कक) में एक नया उपखंड (iii) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, अर्थात् :—

(i) केंद्रीय सरकार, कोई राज्य सरकार, किसी विदेशी राज्य का कोई राजदूतावास, कोई उच्चायोग, दूतावास, आयोग, कौंसल कार्यालय और व्यापार प्रतिनिधित्व ; या

(ii) धारा 10 के खंड (20) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित कोई स्थानीय प्राधिकारी ; या

(iii) कोई ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी, जो यात्रियों का वहन करने के कारबार में लगी हुई है।

इसमें धारा 206ग के स्पष्टीकरण के उपखंड (ii) में उपधारा (1च) के निर्देश का लोप करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 72 आय-कर अधिनियम की धारा 206गख के पश्चात्, उस व्यक्ति द्वारा, जिससे संग्रह किया गया है, स्थायी खाता संख्यांक दिए जाने की अपेक्षा से संबंधित एक नई धारा 206गग अंतःस्थापित करने के लिए है।

उक्त धारा की प्रस्तावित उपधारा (1) यह विनिर्दिष्ट करती है कि ऐसी राशि या रकम का, जिस पर अध्याय 17खख के अधीन स्रोत पर कर संग्रहणीय है, संदाय करने वाला कोई भी व्यक्ति (जिसे इसमें वह व्यक्ति, जिससे संग्रह किया गया है, कहा गया है) ऐसा कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को (जिसे इसमें संग्रहकर्ता कहा गया है) अपना स्थायी खाता संख्यांक देगा जिसमें असफल रहने पर कर का संग्रह सुसंगत उपबंध में उल्लिखित दर के दो गुना की दर से या पांच प्रतिशत की दर से, जो भी उच्चतर हो, किया जाएगा।

प्रस्तावित उपधारा (2) में यह उपबंध है कि धारा 206ग की उपधारा (1क) के अधीन फाइल की गई कोई भी घोषणा तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक ऐसी घोषणा में व्यक्ति अपना स्थायी खाता संख्यांक नहीं देता है।

प्रस्तावित उपधारा (3) में यह उपबंध है कि उस दशा में, जब उपधारा (2) के अधीन कोई घोषणा अविधिमान्य हो जाती है, संग्रहकर्ता, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर का संग्रह करेगा।

प्रस्तावित उपधारा (4) में यह उपबंध है कि धारा 206ग की उपधारा (9) के अधीन कोई भी प्रमाणपत्र तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक उस धारा के अधीन आवेदन में आवेदक का स्थायी खाता संख्यांक नहीं है।

प्रस्तावित उपधारा (5) में यह उपबंध है कि वह व्यक्ति, जिससे संग्रह किया गया है, अपना स्थायी खाता संख्यांक संग्रहकर्ता को देगा जो उसे अपने समस्त पत्राचार, बिलों, वाउचरों और ऐसे अन्य दस्तावेजों में उपदर्शित करेगा, जो एक दूसरे को भेजे जाते हैं।

उक्त धारा की प्रस्तावित उपधारा (6) में यह उपबंध है कि जहां संग्रहकर्ता को दिया गया स्थायी खाता संख्यांक अविधिमान्य है या उस व्यक्ति से संबंधित नहीं है जिससे संग्रह किया गया है, वहां यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने, जिससे संग्रह किया गया है, संग्रहकर्ता को स्थायी खाता संख्यांक नहीं दिया है और उपधारा (1) के अधीन कर का संग्रह किया जाएगा।

प्रस्तावित उपधारा (7) में यह उपबंध है कि नई धारा 206गग ऐसे अनिवासी को लागू नहीं होगी जिसका भारत में स्थायी स्थापन नहीं है और इसमें “स्थायी स्थापन” पद को भी स्पष्ट किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 73 अग्रिम कर की किस्तों और निश्चित तारीखों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 211 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) में यह उपबंध है कि खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्धारितियों के सिवाय सभी निर्धारित प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चार किस्तों में अग्रिम कर का संदाय करने के दायी हैं और उसमें संदायों और संदेय रकमों के लिए निश्चित तारीखों का भी उपबंध है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) में यह उपबंध है कि धारा 44कघ में निर्दिष्ट किसी पात्र कारबार में लगा हुआ कोई पात्र निर्धारिती प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 15 मार्च को या उससे पहले एक ही किश्त में अग्रिम कर का संदाय करने का दायी है।

उक्त खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा कोई निर्धारिती भी, जो धारा 44कघ की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार लाभ और अभिलाभ घोषित करता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 15 मार्च को या उससे पहले एक ही किश्त में अग्रिम कर का संदाय करने का दायी होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 74 अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 234ग का संशोधन करने के लिए है।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि धारा 44कघ में निर्दिष्ट किसी निर्धारिती के संबंध में पूर्वोक्त धारा के अधीन ब्याज उद्गृहीत किया जाएगा, यदि 15 मार्च को या उससे पहले संदत्त अग्रिम कर विवरणी में दी गई आय पर देय कर से कम है। उक्त संशोधन धारा 211 के संशोधन के परिणामस्वरूप है।

1 अप्रैल, 2017 से धारा 115खखघक के अधीन घरेलू कंपनियों से प्राप्त कतिपय लाभों पर कर उद्गृहीत किया जाता है, यदि ऐसी आय दस लाख रुपए से अधिक है। धारा 234ग की उपधारा (1) का प्रथम परंतुक कतिपय आयों की दशा में अग्रिम कर के संदाय में कमी को उक्त उपधारा के लागू होने के अपवाद अधिकथित करती है, पूर्वोक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 15खखघक की उपधारा (1) में उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन निर्दिष्ट आय पर उक्त धारा के अधीन कोई ब्याज उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 75 आय की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए फीस से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 234घ अंतःस्थापित करने के लिए है।

इसमें यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उस दशा में, जहां धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए विनिर्दिष्ट नियत तारीख के भीतर विवरणी फाइल नहीं की जाती है, वहां विवरणी के फाइल किए जाने में विलंब के लिए फीस निर्धारण वर्ष 2018-2019 और उसके आगे के निर्धारण वर्षों के लिए संदत्त की जाएगी। यह और प्रस्ताव है कि यदि विवरणी नियत तारीख के पश्चात् किन्तु निर्धारण वर्ष की 31 दिसंबर को या उसके पूर्व दी जाती है, तो पांच हजार रुपए फीस संदत्त की जाएगी। किसी अन्य दशा में, दस हजार रुपए फीस संदत्त करने का प्रस्ताव है। तथापि, उस दशा में, जहां कुल आय पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है, वहां यह प्रस्ताव है कि फीस की रकम एक हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 76 आय-कर अधिनियम में कतिपय मामलों में प्रतिदाय को रोके रखना से संबंधित धारा 241क अंतःस्थापित करने के लिए है।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि 1 अप्रैल, 2017 को या उसके

पश्चात् प्रारंभ होने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए, जहां धारा 143 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन निर्धारिती को किसी रकम का प्रतिदाय शोध्य हो जाता है और निर्धारण अधिकारी की यह राय है कि प्रतिदाय मंजूर किए जाने पर राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, वहां वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से और, यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से प्रतिदाय को उस तारीख तक रोक सकेगा, जिसको निर्धारण किया जाता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 77 प्रतिदायों पर ब्याज से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 244क का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा में यह उपबंधित है कि कोई निर्धारिती, अग्रिम कर, स्रोत पर कटौती किए गए या संगृहीत कर, आदि के अधिक संदाय से उद्भूत प्रतिदाय पर ब्याज प्राप्त करने का हकदार है।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (1ख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां प्रतिदाय की कोई रकम कटौतीकर्ता को देय हो जाती है, वहां ऐसा व्यक्ति प्रतिदाय के अतिरिक्त, उस तारीख से, जिसको विहित प्ररूप में प्रतिदाय का दावा किया जाता है या धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 के अधीन किसी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए उस तारीख से, जिसको कर का संदाय किया जाता है, उस तारीख तक, जिसको प्रतिदाय अनुदत्त किया जाता है, की अवधि में समाविष्ट प्रत्येक मास या मास के किसी भाग के लिए आधा प्रतिशत की दर से परिकलित साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा।

उक्त धारा की उपधारा (2) का, निर्धारिती के अतिरिक्त कटौतीकर्ता का निर्देश करने के लिए और यह उपबंध करने के लिए भी संशोधन करने का प्रस्ताव है कि उस अवधि के लिए ब्याज अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जिसके लिए ऐसी कार्यवाहियों में, जिनका परिणाम प्रतिदाय है, विलंब कटौतीकर्ता के कारण हुआ माना जा सकता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 78 आय-कर अधिनियम की धारा 245क का, जो मामलों के समझौते से संबंधित अध्याय 19क के प्रयोजनों के लिए परिभाषाओं से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के खंड (ख) में “मामला” की परिभाषा उपबंधित है। उक्त खंड (ख) के स्पष्टीकरण के खंड (iv) में यह उपबंधित है कि जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, तब तक उस मामले में, जहां कोई निर्धारण नहीं किया गया है, कार्यवाहियों को सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से दो वर्ष की समाप्ति पर समाप्त किया गया समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण के उक्त खंड (iv) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कार्यवाहियों के समापन का अर्थान्वयन धारा 153 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण करने के लिए विनिर्दिष्ट समय के अनुसार किया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन आय-कर अधिनियम की धारा 153 और धारा 153क के संशोधन का पारिणामिक है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 79 “अग्रिम विनिर्णय” से संबंधित अध्याय 19ख के अधीन परिभाषाओं से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 245ड का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा का खंड (ख) “आवेदक” पद की परिभाषा का उपबंध करता है।

उक्त खंड (ख) का संशोधन करने और किसी ऐसे आवेदक को “आवेदक” की परिभाषा के विस्तार क्षेत्र के भीतर सम्मिलित करने का प्रस्ताव है जैसा कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28ड, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 23क और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 96क में है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 80 अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 245ण का संशोधन करने के लिए है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) का खंड (क) यह उपबंध करता है कि अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है।

उक्त खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या कम से कम सात वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, भी अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र होगा।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) का खंड (ग) यह उपबंध करता है कि अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण का राजस्व सदस्य भारतीय राजस्व सेवा से ऐसा व्यक्ति होगा, जो प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या मुख्य आयुक्त या महानिदेशक की पंक्ति का है।

उक्त खंड (ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि भारतीय राजस्व सेवा से कोई ऐसा अधिकारी, जो उक्त रिक्ति होने की तारीख को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का सदस्य है या होने के लिए अर्हित है या भारतीय सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सेवा से कोई ऐसा अधिकारी, जो उक्त रिक्ति होने की तारीख को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड का सदस्य है या होने के लिए अर्हित है, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के राजस्व सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र होगा।

उक्त उपधारा (3) के खंड (घ) का और संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विधि सदस्य की नियुक्ति के लिए पात्रता रिक्ति के उत्पन्न होने की तारीख को अवधारित की जाएगी।

पूर्वोक्त धारा में उपधारा (6क) और उपधारा (6ख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अध्यक्ष के पद में रिक्ति होने की दशा में या उस दशा में, जब अध्यक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है, ज्येष्ठतम उपाध्यक्ष ऐसे समय तक, जब तक, यथास्थिति, नया अध्यक्ष पद ग्रहण करे या अध्यक्ष अपना कर्तव्य भार संभाले, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा या अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 81 अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 245थ का संशोधन करने के लिए है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि आय-कर अधिनियम

के अध्याय 19ख के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने की वांछ करने वाला कोई आवेदक ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय 5 के अधीन या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अध्याय 3क के अधीन या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5क के अधीन भी किया जा सकेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 82 अपील अधिकरण को अपीलों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 253 का संशोधन करने के लिए है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के उपखंड (च) में यह उपबंध है कि धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) या उपखंड (vik) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अपील अधिकरण के समक्ष अपील योग्य होगा।

पूर्वोक्त धारा के खंड (23ग) में उपखंड (iv) और उपखंड (v) को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त उपखंडों के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को भी अपील अधिकरण के समक्ष अपील योग्य बनाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 83 आय-कर अधिनियम में संव्यवहार करने के कतिपय ढंग से संबंधित नई धारा 269धन अंतःस्थापित करने के लिए है।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि कोई व्यक्ति तीन लाख रुपए या अधिक की, किसी व्यक्ति से एक दिन में सकल रकम; या किसी एकल संव्यवहार के संबंध में; या किसी एक घटना या अवसर के संबंध में किसी संव्यवहार की बाबत किसी व्यक्ति से, किसी खाता देय चेक या खाता देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक निकासी प्रणाली के सिवाय प्राप्त नहीं करेगा।

यह और प्रस्ताव है कि उक्त निर्बंधन सरकार, किसी बैंककारी कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक, किसी ऐसे व्यक्ति से जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है, जिसके पास की ऐसी प्राप्ति, कृषि आय है और धारा 269धध में निर्दिष्ट प्रकृति के संव्यवहारों को; और ऐसे अन्य व्यक्तियों के वर्ग या प्राप्तियों को जिन्हें केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, लागू नहीं होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 84 आय-कर अधिनियम में धारा 269धन के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित एक नई धारा 271 घक अंतःस्थापित करने के लिए है।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 269धन के उपबंधों के उल्लंघन में कोई राशि प्राप्त करता है तो वह ऐसी प्राप्ति के बराबर रकम का शास्ति के माध्यम से संदाय करने का दायी होगा। यह और प्रस्तावित है कि कोई शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी यदि ऐसा व्यक्ति साबित कर देता है कि उल्लंघन के लिए ठोस और पर्याप्त कारण थे। यह और प्रस्तावित है कि ऐसी कोई शास्ति संयुक्त आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 85 आय की विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 271च का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा में आय की विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति के बारे में उपबंधित है।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उक्त धारा के उपबंध निर्धारण वर्ष 2018-2019 और उससे आगे के वर्षों की बाबत लागू नहीं होंगे।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 86 आय-कर अधिनियम में रिपोर्टों या प्रमाणपत्रों में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए शास्ति से संबंधित नई धारा 271ज अंतःस्थापित करने के लिए है।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है कि यदि कोई लेखापाल या वाणिज्यिक बैंककार या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी रिपोर्ट या प्रमाणपत्र में ऐसी गलत जानकारी प्रस्तुत करता है, तो निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) आय-कर अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसे यह निदेश दे सकेगा कि वह शास्ति के रूप में ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट या प्रमाणपत्र के लिए दस हजार रुपए की राशि का संदाय करे। इसमें “लेखापाल”, “वाणिज्यिक बैंककार” और “रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक” अभिव्यक्तियों को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 87 कुछ दशाओं में शास्ति अधिरोपित न किए जाने से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 273ख का संशोधन करने के लिए है।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि प्रस्तावित धारा 271ज के संबंध में भी शास्ति उद्ग्रहणीय नहीं होगी यदि व्यक्ति या निर्धारिती यह साबित कर देता है कि उक्त धारा में निर्दिष्ट असफलता के लिए युक्तियुक्त कारण था।

यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

सीमाशुल्क

विधेयक का खंड 88 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है। इसमें खंड (13), खंड (16), खंड (20) और खंड (26) का संशोधन करने और उसमें नए खंड (3क), खंड (20क), खंड (28क) और खंड (30ख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

विधेयक का खंड 89 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 7 का संशोधन करने के लिए है जिससे विदेशी डाकघर और अंतरराष्ट्रीय कुरियर टर्मिनल नियत किए जाने का उपबंध करने के उद्देश्य से उसकी उपधारा (1) में नया खंड (ड) और खंड (च) अंतःस्थापित किया जा सके।

विधेयक का खंड 90 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है जिससे उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन स्व-निर्धारण के सत्यापन के लिए आयातकर्ता या निर्यातकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दस्तावेज या जानकारी पेश किए जाने को सरल बनाने के लिए उसकी उपधारा (3) को प्रतिस्थापित किया जा सके।

विधेयक का खंड 91 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 27 का संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रतिदायों के कतिपय प्रवर्ग को अनुचित संवृद्धि की परिधि से अपवर्जित करने के लिए उसमें नया खंड (छ) अंतःस्थापित किया जा सके।

विधेयक का खंड 92 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ड का संशोधन करने के लिए है जिससे उक्त धारा के खंड (ड) में “प्राधिकरण” की परिभाषा को प्रतिस्थापित किया जा सके।

विधेयक का खंड 93 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28च को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आय-कर अधिनियम की धारा 245ण के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, सीमाशुल्क अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अग्रिम विनिर्णय देने के लिए प्राधिकरण होगा। यह और उपबंध करने के लिए है कि भारतीय राजस्व सेवा (सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क) से राजस्व सदस्य, जो बोर्ड का सदस्य होने के लिए अर्हित है, सीमाशुल्क अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण का राजस्व सदस्य होगा।

यह खंड तत्कालीन अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, सीमाशुल्क और सेवा कर) के समक्ष लंबित आवेदनों को आय-कर अधिनियम की धारा 245ण के अधीन गठित प्राधिकरण को उसी प्रक्रम से अंतरित करने का उपबंध करने के लिए है, जिस पर ऐसे आवेदन या ऐसी कार्यवाहियां, उस तारीख को थीं, जिसको वित्त अधिनियम, 2017 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है।

विधेयक का खंड 94 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28छ का लोप करने के लिए है।

विधेयक का खंड 95 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ज का संशोधन करने के लिए है, जिससे आवेदन फीस को बढ़ाकर “दस हजार रुपए” किया जा सके।

विधेयक का खंड 96 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28झ का संशोधन करने के लिए है, जिससे प्राधिकरण द्वारा अपने विनिर्णय की उद्घोषणा करने की समय सीमा को बढ़ाकर छह मास किया जा सके।

विधेयक का खंड 97 सीमाशुल्क अधिनियम में एक नई धारा 30क अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे किसी ऐसे प्रवहण के, जो भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में प्रवेश करता है, भारसाधक व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उचित अधिकारी को, ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किसी वायुयान या किसी जलयान की दशा में, पहुंचने से पूर्व की और किसी यान की दशा में आगमन के समय की, यात्री और कर्मिंदल आगमन सूची ; और आने वाले यात्रियों की यात्री नाम अभिलेख सूचना परिदत्त करने को बाध्यकारी बनाया जा सके। इसमें सूचना देने में विलंब की दशा में पचास हजार रुपए से अनधिक की ऐसी शास्ति, जो विहित की जाए, अधिरोपित करने का प्रस्ताव है।

विधेयक का खंड 98 सीमाशुल्क अधिनियम में एक नई धारा 41क अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे किसी प्रवहण के, जो भारत से बाहर किसी स्थान को भारत से प्रस्थान करता है, भारसाधक व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाए, उचित अधिकारी को, ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए कि यात्री और कर्मिंदल प्रस्थान सूची ; और प्रस्थान करने वाले यात्रियों की यात्री नाम अभिलेख सूचना

परिदत्त करने को बाध्यकारी बनाया जा सके। इसमें सूचना देने में विलंब की दशा में पचास हजार रुपए से अनधिक की ऐसी शास्ति, जो विहित की जाए, अधिरोपित करने का भी प्रस्ताव है।

विधेयक का **खंड 99** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आयातित मालों के लिए प्रवेश पत्र को उस दिन के, जिसको माल का वहन करने वाला पोत या वायुयान या यान ऐसे किसी सीमाशुल्क केंद्र पर पहुंचता है, जिस पर ऐसे मालों की घरेलू उपभोग या भांडागारण के लिए निकासी की जानी है, पश्चात् आगामी दिवस के अंत से पूर्व प्रस्तुत करेगा और यह कि व्यतिक्रम की दशा में वह, विलंब से फाइल किए जाने के लिए ऐसे प्रभार का संदाय करेगा, जो विहित किया जाए।

विधेयक का **खंड 100** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 47 का संशोधन करने के लिए है, जिससे स्वतः निर्धारित प्रवेश पत्रों की दशा में या, यथास्थिति, निर्धारित, पुनःनिर्धारित या अनंतिम रूप से निर्धारित प्रवेश पत्रों की दशा में ब्याज के संदाय की रीति का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का **खंड 101** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 49 को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिसमें आयातित माल को हटाए जाने तक किसी लोक भांडागार में भंडारकरण के लिए उपबंध किया जा सके।

विधेयक का **खंड 102** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) के खंड (क) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे उसमें धारा 82 के निर्देश से धारा 84 को प्रतिस्थापित किया जा सके।

विधेयक का **खंड 103** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 82 का लोप करने के लिए है।

विधेयक का **खंड 104** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 84 के खंड (क) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे ऐसे प्ररूप और रीति का उपबंध किया जा सके जिसमें डाक द्वारा आयातित या निर्यात किए जाने वाले माल की बाबत प्रविष्टि की जा सकेगी।

विधेयक का **खंड 105** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ख का संशोधन करने के लिए है, जिससे उसमें एक नई उपधारा (5) अंतःस्थापित की जा सके, ताकि उसमें निर्दिष्ट आवेदक से भिन्न अन्य व्यक्ति को समझौता आयोग के समक्ष आवेदन करने को समर्थ बनाया जा सके।

विधेयक का **खंड 106** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ग की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे उसमें के कतिपय शब्दों को प्रतिस्थापित किया जा सके। यह खंड उसमें एक नई उपधारा (5क) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव करता है, जिससे समझौता आयोग को, उसके द्वारा उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश को, उसमें अभिलेख को देखने से प्रकट होने वाली किसी त्रुटि का परिशोधन करने के लिए संशोधित करने में समर्थ बनाया जा सके।

विधेयक का **खंड 107** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 157 का संशोधन करने के लिए है जिससे आगमन और प्रस्थान के लिए यात्री और कर्मीदल सूची तथा यात्री नाम अभिलेख सूचना उपलब्ध कराने का प्ररूप, विशिष्टियां, रीति और समय तथा सूचना परिदत्त करने में विलंब की दशा में शास्ति विहित करने हेतु विनियम बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त किया जा सके।

सीमाशुल्क टैरिफ

विधेयक का **खंड 108** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ग) का संशोधन करने के लिए है, जिससे सहायिकीरोधी अन्वेषणों की परिधि से उसमें विनिर्दिष्ट गैर-अनुयोज्य सहायिकियों के तीन प्रवर्गों की छूट को वापस लिया जा सके।

विधेयक का **खंड 109** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का,—

(i) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन करने के लिए है जिससे उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय टैरिफ मदों की बाबत टैरिफ दरों को पुनरीक्षित किया जा सके ;

(ii) तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन करने के लिए है जिससे कतिपय प्रविष्टियों को नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के साथ सामंजस्यपूर्ण बनाया जा सके और साथ ही अध्याय 98 का भी संशोधन किया जा सके।

विधेयक का **खंड 110** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची का चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करने के लिए है जिससे कि अन्य एल्युमिनियम अयस्कों और सांद्रों से संबंधित टैरिफ मद 2606 00 90 की तीस प्रतिशत निर्यात शुल्क की टैरिफ दर नियत की जा सके।

उत्पाद-शुल्क

विधेयक का **खंड 111** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23क का संशोधन करने के लिए है जिससे उक्त धारा के खंड (ड) में “प्राधिकरण” की परिभाषा को प्रतिस्थापित किया जा सके।

विधेयक का **खंड 112** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23ख का लोप करने के लिए है।

विधेयक का **खंड 113** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23ग की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है, जिससे आवेदन फीस को बढ़ाकर दस हजार रुपए किया जा सके।

विधेयक का **खंड 114** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23घ की उपधारा (6) का संशोधन करने के लिए है, जिससे प्राधिकरण द्वारा विनिर्णय को उद्घोषित करने की समय सीमा को छह मास तक विस्तारित किया जा सके।

विधेयक का **खंड 115** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में नई धारा 23झ अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे तत्कालीन अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (केंद्रीय उत्पाद -शुल्क, सीमाशुल्क और सेवा कर) के समक्ष लंबित आवेदनों को आय-कर अधिनियम की धारा 245ण के अधीन गठित प्राधिकरण को उसी प्रक्रम से अंतरित करने का उपबंध किया जा सके, जिस पर ऐसी कार्यवाहियां, उस तारीख को थीं, जिसको वित्त अधिनियम, 2017 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है।

विधेयक का **खंड 116** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ड का संशोधन करने के लिए है, जिससे उसमें एक नई उपधारा (5) अंतःस्थापित की जा सके, ताकि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्धारिती से भिन्न अन्य व्यक्ति को समझौता आयोग के समक्ष आवेदन करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

विधेयक का खंड 117 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32घ की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे उसमें के कतिपय शब्दों को प्रतिस्थापित किया जा सके। यह खंड उसमें एक नई उपधारा (5क) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव करता है, जिससे समझौता आयोग को, उसके द्वारा उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश को, उसमें अभिलेख को देखने से प्रकट होने वाली किसी त्रुटि का परिशोधन करने के लिए संशोधित करने में समर्थ बनाया जा सके।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

विधेयक का खंड 118 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन करने के लिए है जिससे कतिपय टैरिफ मदों के संबंध में टैरिफ दरों को पुनरीक्षित किया जा सके।

विधेयक का खंड 119 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे टैरिफ मद 8702 90 21, 8702 90 22, 8702 90 28 और 8702 90 29 के अधीन आने वाले मोटर यानों पर उत्पाद-शुल्क को भूतलक्षी रूप से 1 जनवरी, 2017 से प्रतिस्थापित किया जा सके।

सेवा कर

विधेयक का खंड 120, 1994 के अधिनियम की धारा 65ख का संशोधन करने के लिए है जिससे उसके खंड (40) का लोप किया जा सके।

विधेयक का खंड 121, 1994 के अधिनियम की धारा 66घ का संशोधन करने के लिए है जिससे उसके खंड (घ) का लोप किया जा सके।

विधेयक का खंड 122, 1994 के अधिनियम की धारा 96क का संशोधन करने के लिए है जिससे उक्त धारा के खंड (ड) में “प्राधिकरण” की परिभाषा को प्रतिस्थापित किया जा सके।

विधेयक का खंड 123, 1994 के अधिनियम की धारा 96ख का लोप करने के लिए है।

विधेयक का खंड 124, 1994 के अधिनियम की धारा 96ग की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है, जिससे आवेदन फीस को बढ़ाकर “दस हजार रुपए” किया जा सके।

विधेयक का खंड 125, 1994 के अधिनियम की धारा 96घ की उपधारा (6) का संशोधन करने के लिए है, जिससे प्राधिकरण द्वारा अपने विनिर्णय को उद्घोषित करने की समय सीमा को छह मास तक विस्तारित किया जा सके।

विधेयक का खंड 126, 1994 के अधिनियम में नई धारा 96जक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे तत्कालीन अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, सीमाशुल्क और सेवा कर) के समक्ष लंबित आवेदनों और कार्यवाहियों को आय-कर अधिनियम की धारा 245ण के अधीन गठित प्राधिकरण को उसी प्रक्रम से अंतरित करने का उपबंध किया जा सके, जिस पर ऐसी कार्यवाहियां या आवेदन उस तारीख को थे, जिसको वित्त अधिनियम, 2017 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है।

विधेयक का खंड 127, 1994 के अधिनियम में नई धारा 104 और धारा 105 अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे—

(क) 1 जून, 2007 से प्रारंभ होने वाली और 21 सितंबर, 2016 को समाप्त होने वाली अवधि (दोनों दिन सम्मिलित हैं) के दौरान किसी राज्य

सरकार के औद्योगिक विकास निगम या उपक्रम द्वारा औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक प्लांटों का तीस वर्ष या अधिक का दीर्घकालिक पट्टा देकर उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई गई कराधेय सेवा के संबंध में उद्ग्रहणीय एक बारगी (प्रीमियम, सलामी, लागत, कीमत विकास, प्रभार या किसी भी नाम से ज्ञात) अग्रिम धनराशि पर सेवा कर की छूट दी जा सके ;

(ख) 10 सितंबर, 2004 से प्रारंभ होने वाली और 1 फरवरी, 2016 को समाप्त होने वाली अवधि (दोनों दिन सम्मिलित हैं) के दौरान, केंद्रीय सरकार की समूह बीमा स्कीमों के अधीन क्रमशः सेना, नौसेना और वायु सेना के सदस्यों को सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई गई कराधेय सेवाओं पर सेवा कर की छूट को विस्तारित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 128, भूतलक्षी रूप से सेवा कर (मूल्य अवधारण) नियम, 2006 के नियम 2क का भूतलक्षी प्रभाव से छठी अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति से उसके स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही और उस तक संशोधन करने के लिए है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि ऐसी संकर्म संविदा के, जिसमें, यथास्थिति, भूमि का अंतरण या भूमि के अविभक्त अंश का अंतरण भी अंतर्वलित है, निष्पादन में सेवा भाग के मूल्य में इस प्रकार अंतरित भूमि या भूमि के अविभक्त अंश का संपत्ति मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।

प्रकीर्ण

विधेयक के खंड 129 और खंड 130 न्यास धन का विनिधान से संबंधित भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 20 [भारतीय न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित] का संशोधन करने के लिए हैं।

उपरोक्त धारा के उपबंध अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध करते हैं कि जहां न्यास संपत्ति धन से मिलकर बनी हो और उसका उपयोगन तुरंत या नजदीकी तारीख पर न किया जा सके, वहां न्यासी, न्यास की लिखत में अंतर्विष्ट किसी निदेश के अध्यक्ष रहते हुए, उस धन को न्यास की लिखत द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के वर्ग में या केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में विनिहित करेगा।

उक्त धारा यह और उपबंध करती है कि जहां कोई व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम हो और न्यास-संपत्ति की आय को अपने जीवनपर्यन्त या किसी वृहत्तर संपदा प्राप्त करने का हकदार हो, वहां ऊपर उल्लिखित किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के वर्ग में कोई विनिधान उसकी लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाएगा।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि न्यासी, न्यास की लिखत द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत या केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के वर्ग में ऐसे धन का विनिधान कर सकेगा।

उक्त धारा के परंतुक का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि “ऊपर उल्लिखित किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के वर्ग में” पद का लोप किया जा सके जो पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

विधेयक के **खंड 131 और 132** अंतर्देशीय डाक महसूल की दरें नियत करने की शक्ति से संबंधित भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 7 का संशोधन करने के लिए हैं।

उपरोक्त धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन अन्तर्देशीय डाक द्वारा भेजी गई डाक वस्तुओं की बाबत, डाक महसूल की दरें और प्रभासित की जाने वाली अन्य राशियां नियत कर सकेगी परन्तु यह तब जब कि डाक महसूल की उच्चतम दर, जब पूर्व संदत्त हो, पहली अनुसूची में डाक वस्तुओं के प्रत्येक वर्ग के लिए उपवर्णित दर से अधिक नहीं होगी।

उक्त अधिनियम की उक्त धारा की उपधारा (1) के परन्तुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा डाक महसूल की दरें और डाक वस्तुओं की अन्य राशियां नियत करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी किए जाने तक, पहली अनुसूची में उपवर्णित दरें, उक्त अधिनियम के अधीन प्रभासित दरें होंगी।

उक्त धारा की उपधारा (2) का लोप करने का भी प्रस्ताव है जो पारिणामिक प्रकृति का है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

विधेयक के **खंड 133 और 134** मांग बिल और टिप्पण से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 7 का संशोधन करने के लिए हैं।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (3) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार किसी अनुसूचित बैंक को आय-कर अधिनियम की धारा 13क के परंतुक के प्रस्तावित खंड (घ) में यथानिर्दिष्ट निर्वाचन बंधपत्रों का निर्गमन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

“निर्वाचन बंधपत्र” पद को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह भाग 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

विधेयक के **खंड 135 और खंड 136** किसी राजनैतिक दल द्वारा प्राप्त दान की घोषणा से संबंधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग का संशोधन करने के लिए हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग की उपधारा (3), अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि प्रत्येक राजनैतिक दल, आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार आय-कर राहत का फायदा उठाने का हकदार होने के लिए किसी व्यक्ति से बीस हजार रुपए के आधिक्य में प्राप्त अभिदायों के ब्योरों के संबंध में एक रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेगा।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि “निर्वाचन बंधपत्र” द्वारा प्राप्त अभिदायों को उक्त अधिनियम की धारा 29ग की उपधारा (3) की परिधि से अपवर्जित किया जाएगा। “निर्वाचन बंधपत्र” पद को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है, जो पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 137 और खंड 138** तेल उद्योग विकास निधि से संबंधित तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 18 का संशोधन करने के लिए हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) में कतिपय प्रयोजनों के लिए तेल उद्योग विकास निधि के उपयोजन का उपबंध है। उक्त धारा की परिधि में विस्तार करने का प्रस्ताव है जिससे तेल और गैस सेक्टर में किसी केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा केन्द्रीय सरकार की ओर से उपगत किसी व्यय की पूर्ति के लिए तथा तेल और गैस सेक्टर से संबंधित किसी स्कीम या क्रियाकलाप में केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय की पूर्ति के लिए उक्त निधि का उपयोग किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त होगा।

विधेयक के **खंड 139 से खंड 142** अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 को निरसित करने के लिए हैं।

अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 देश में विकसित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक उपयोजन को प्रोत्साहित करने के प्रयोजनों के लिए प्रौद्योगिकी के आयात के लिए किए गए सभी संदायों पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करता है।

उक्त अधिनियम को निरसित करने का और अनुसंधान तथा विकास के लिए बजटीय आबंटन करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त होगा।

विधेयक के **खंड 143 से खंड 145** भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने के लिए हैं।

अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उसमें “बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण”, “न्यायिक सदस्य”, “पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण” और “तकनीकी सदस्य” पदों की परिभाषाओं को अंतःस्थापित किया जा सके। प्रतिभूति अपील अधिकरण की स्थापना से संबंधित धारा 15ट, अपील अधिकरण की संरचना से संबंधित धारा 15ठ, पीठासीन अधिकारी और न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताओं से संबंधित धारा 15ड को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। पीठासीन अधिकारी, न्यायिक सदस्यों, तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोज-सह-चयन समिति, रिक्ति के कारण चयन कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होने से संबंधित नई धारा 15डक, धारा 15डख और धारा 15डग अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है। पीठासीन अधिकारी, न्यायिक सदस्यों और तकनीकी सदस्यों की पदावधि से संबंधित धारा 15ढ को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है। कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने वाली नई धारा 15तक का अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है। अधिकरण के पीठासीन अधिकारी न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के हटाए जाने से संबंधित धारा 15थ की उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है। पूर्वोक्त संशोधनों की दृष्टि से धारा 15न में कतिपय पारिणामिक संशोधन करने का भी प्रस्ताव है। न्यायपीठों के बीच कार्य के वितरण, एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ को मामलों के अंतरण से संबंधित धारा 15प में नई उपधारा (4) से उपधारा (6) अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

विधेयक का **खंड 146** वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे सातवीं अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कतिपय टैरिफ मदों की दरों का पुनरीक्षण किया जा सके।

विधेयक के **खंड 147 से खंड 149** संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के

कतिपय उपबंधों का संशोधन करने के लिए है, जो भारत में संदाय प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए उपबंध करते हैं।

उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के विद्यमान उपबंध, अभिहित प्राधिकारी और उसकी समिति से संबंधित है। उक्त अध्याय को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि संदायों और निपटान का विनियमन और पर्यवेक्षण करने के लिए विद्यमान बोर्ड की बजाय संदाय विनियामक बोर्ड अधिनियम के अधीन संदाय और निपटान प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करने से संबंधित कृत्यों का निर्वहन करेगा। प्रस्तावित नए बोर्ड में रिजर्व बैंक का गवर्नर अध्यक्ष के रूप में, रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर, जो संदाय और निपटान प्रणाली का प्रभारी हो, सदस्य के रूप में, रिजर्व बैंक का एक अधिकारी, जो रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा, बोर्ड के सदस्य के रूप में और तीन व्यक्ति, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे, सदस्यों के रूप में होंगे। इसमें बोर्ड को विनियमों द्वारा अपने अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाओं, अधिवेशनों का स्थान और उसके आनुषंगिक अन्य विषयों को करने के लिए बोर्ड को सशक्त करने का भी प्रस्ताव है।

अधिनियम की धारा 38 में पारिणामिक संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे उस धारा में बोर्ड का निर्देश और उपधारा (1) का निर्देश किया जा सके।

ये संशोधन ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

विधेयक का खंड 150 वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 50 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त अधिनियम की धारा 50 द्वारा आय-कर अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) का संशोधन किया गया था, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2017 से, किसी ऐसी पूंजी आस्ति, जो किसी ऐसी कंपनी, जो कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता सारवान् रूप से हितबद्ध है, के शेयरों के रूप में है, के अंतरण से उद्भूत होने वाले दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ भी दस प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय होंगे।

अब उक्त धारा 50 का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त संशोधन 1 अप्रैल, 2017 की बजाय 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

धारा 197 के खंड (ग) में यह उपबंध है कि जहां आय घोषणा स्कीम, 2016 के प्रारंभ से पूर्व कोई आय प्रोद्भूत, उद्भूत या प्राप्त हुई है या ऐसी आय से किसी आस्ति का अर्जन किया गया है और स्कीम के अधीन ऐसी आय के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई है, वहां ऐसी आय को उस वर्ष में, यथास्थिति, प्रोद्भूत, उद्भूत या प्राप्त किया गया समझा जाएगा, जिसमें निर्धारण अधिकारी द्वारा आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 142 की उपधारा (1), धारा 143 की उपधारा (2) या धारा 148 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन सूचना जारी की जाती है और तदनुसार उक्त अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

उक्त धारा के खंड (ग) का लोप करने का प्रस्ताव किया जाता है।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से, भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 9 धारा 11 और धारा 12 के लागू होने के लिए शर्तों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 12क का संशोधन करने के लिए है।

उक्त खंड, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करने के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) में एक नया खंड (कख) अंतःस्थापित करने के लिए है कि धारा 11 और धारा 12 के उपबंध तब तक न्यास या संस्था की आय के संबंध में लागू नहीं होंगे, जब तक आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने प्रधान आयुक्त या आयुक्त को विहित प्ररूप और रीति में ऐसे न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन न किया हो, जिसने उद्देश्यों को अंगीकृत किया है या ऐसे उद्देश्यों में, जो रजिस्ट्रीकरण की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं, उपांतरण किए हैं।

विधेयक का खंड 26 आय-कर अधिनियम में कोट किए गए शेरयों से भिन्न शेरयों के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित नई धारा 50गक अंतःस्थापित करने के लिए है।

उक्त नई धारा में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी कंपनी के कोट किए गए शेरयों से भिन्न शेरयों के अंतरण की दशा में, पूंजी अभिलाभ के रूप में कर से प्रभार्य आय की संगणना करने के प्रयोजन के लिए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, के अनुसार अवधारित ऐसे शेरयों का उचित बाजार मूल्य होगा।

विधेयक का खंड 42 आय-कर अधिनियम में कतिपय मामलों में द्वितीय समायोजन से संबंधित एक नई धारा 92गड अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (2), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करने के लिए है कि जहां अंतरण कीमत के प्राथमिक समायोजन के परिणामस्वरूप निर्धारिती की, यथास्थिति, कुल आय में वृद्धि हुई है या हानि में कमी हुई है, वहां ऐसे अधिक धन को, जो उसके सहयुक्त उद्यम के पास उपलब्ध है, यदि उसे ऐसे समय, जो विहित किया जाए, के भीतर संप्रत्यावर्तित नहीं किया जाता है तो निर्धारिती द्वारा ऐसे सहयुक्त उद्यम को दिया गया अग्रिम समझा जाएगा, और उसकी संगणना ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए।

विधेयक का खंड 99 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 का संशोधन करने के लिए है जिससे उसकी उपधारा (3) को प्रतिस्थापित किया जा सके। उक्त उपधारा का दूसरा परंतुक बोर्ड को, विलंब से

प्रवेश पत्र देने के लिए प्रभार विहित करने हेतु विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 105 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ख में एक नई उपधारा (5) अन्तःस्थापित करने के लिए है। उक्त उपधारा केन्द्रीय सरकार को, ऐसी रीति जिसमें और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, आवेदक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा समझौता आयोग के समक्ष आवेदन किया जा सकेगा, विनिर्दि-ट करने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का खंड 107 नियम बनाने की शक्ति से संबंधित सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 157 की उपधारा (2) में एक नया खंड (कख) अन्तःस्थापित करने के लिए है। उक्त खंड बोर्ड को आगमन और प्रस्थान के लिए यात्री और कर्मदल सूची तथा यात्री नाम अभिलेख सूचना देने का प्ररूप, विशि-टियां, रीति और समय तथा उसकी धारा 30क और 41क के अधीन ऐसी जानकारी देने में विलंब के लिए शास्ति का उपबंध करने हेतु विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 116 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ड में एक नई उपधारा (5) अंतःस्थापित करने के लिए है। उक्त उपधारा केन्द्रीय सरकार को, ऐसी रीति जिसमें और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, निर्धारिती से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा समझौता आयोग के समक्ष आवेदन किया जा सकेगा, विनिर्दि-ट करने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का खंड 148 अभिहित प्राधिकारी से संबंधित संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अध्याय 2 का प्रतिस्थापन करने के लिए है, जो अन्य बातों के साथ, उक्त अधिनियम की धारा 3 को प्रतिस्थापित करने के लिए है। प्रस्तावित उपधारा (4) में यह उपबंधित है कि बोर्ड की शक्तियां और कृत्य, उसके अधिवेशन का समय और स्थान, ऐसे अधिवेशन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) और उसके आनुषंगिक अन्य वि-य वे होंगे, जो विहित किए जाएं।

2. वे वि-य, जिनके संबंध में विधेयक के उपबंधों के अनुसार नियम या विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरे के वि-य हैं और उनके लिए विधेयक में उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है।

3. अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

लोक सभा

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय
प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए
विधेयक

[श्री अरुण जेटली,
वित्त मंत्री]